आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
के
महत्वपूर्ण शासनादेशों का संकलन

(जनवरी 2019 से दिसम्बर 2019)

सुखद पर्यावास

आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

उत्तर प्रदेश शासन

दूरभाष : 0522-4070567

Mail ID : awasbandhu@gmail.com

Websites : www.awas.up.nic.in ● www.awasbandhu.in

नितिन रमेश गोकर्ण
आई०ए०एस०
प्रमुख सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
लाल बहादुर शास्त्री भवन,
उ०प्र० शासन।

संदेश

नगरीय क्षेत्रों के सुनियोजित विकास एवं आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं से युक्त आवास उपलब्ध कराने हेतु उत्तर प्रदेश शासन का आवास एवं शहरी नियोजन विभाग क्रियाशील है। स्वतंत्रता के उपरान्त प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के साथ आवास एवं शहरी नियोजन क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आया है जिसका मुख्य कारण प्रदेश की ग्रामीण आबादी का नगरीय क्षेत्रों में पलायन है। अतः जनआकांक्षाओं के अनुरूप शहरी नियोजन सुनिश्चित करने तथा सुनियोजित नयी विकसित कालोनियों में जन सामान्य को अपने भवन निर्मित करने में आ रही कठिनाइयों के दृष्टिगत शासन द्वारा समय–समय पर विकास प्राधिकरणों, आवास एवं विकास परिषद तथा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के लिए दिशा निर्देश जारी किये जाते रहे हैं।

वर्ष 2019 में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा भूमि/सम्पत्ति प्रबन्धन, प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में भवन निर्मित करने से सम्बन्धित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, अवैध निर्माण तथा उसका शमन, नगर के विकास एवं निर्माण में निजी क्षेत्र की सहभागिता, रेन वाटर हार्वेस्टिंग तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास आदि के सम्बन्ध में अनेक महत्वपूर्ण नीति विषयक शासनादेश जारी किये गये हैं। अतः ऐसे शासनादेशों एवं शासन की नीतियों का प्रस्तुत संकलन उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों के साथ–साथ आवासीय सेक्टर से जुड़े निजी संगठनों एवं जनसामान्य को लाभान्वित करेगा, ऐसी मुझे आशा है।

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव
उ० प्र० शासन

विषय सूची

क्रम.स.	विषय	शासनादेश संख्या	दिनांक	पृष्ठ संख्या
1. सम्पत्ति प्रबन्धन				**1**
1.1	कार्यालय ज्ञाप– प्राधिकरणों की आय में वृद्वि किये जाने हेतु विभिन्न स्रोतों पर विचार–विमर्श कर प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु समिति का गठन के सम्बन्ध में।	1796/आठ–1–19–20 विविध/2019	26.09.2019	1
2. भवन निर्माण एवं विकास उपविधि				**2–19**
2.1	ऑनलाईन मानचित्र का अवर अभियन्ताओं के बीच समुचित वितरण के सम्बन्ध में।	82/8–3–19–09विविध/2019	14.01.2019	2
2.2	भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु निरीक्षण प्रकिया एवं चेक लिस्ट उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।	259/8–3–19–36विविध/16 टी0सी0	28.02.2019	3-16
2.3	हाई–रिस्क भूखण्ड/भवन के ऑनलाईन मानचित्र स्वीकृत व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू किये जाने के सम्बन्ध में।	332/8–3–19–28विविध/17टी0सी0	19.03.2019	17-18
2.4	भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु निरीक्षण प्रकिया एवं चेक लिस्ट में संशोधन के सम्बन्ध में।	351/8–3–19–36विविध/16 टी0सी0	28.03.2019	19
3. विकास/निर्माण योजनाएं				**20–23**
3.1	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अवस्थापना सुविधाओं के विकास मद के अन्तर्गत शहर के विकास के दृष्टिकोण से कराये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यो के प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी दिशा–निर्देश।	333/आठ–1–19–58 बजट/2018	18.02.2019	20-21
3.2	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अवस्थापना सुविधाओं के विकास मद के अन्तर्गत शहर के विकास के दृष्टिकोण से कराये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यो के प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने सम्बंधी दिशा–निर्देश।	834/आठ–1–19–58 बजट/2018	06.06.2019	22-23
4. वित्तीय प्रबन्धन				**24–96**
4.1	जनपद लखनऊ के राजीव गांधी प्रथम वार्ड के अन्तर्गत विराट खण्ड में म0सं0–1/244 से म0सं0–1/156 होते हुए राशि ट्रेडर्स कान्सप्ट कोचिंग के पास तक नाली व साइड पटरी पर इण्टरलाकिंग निर्माण एवं सड़क सुधार/पुनर्निर्माण कार्य से सम्बन्धित परियोजना की अवशेष वित्तीय स्वीकृति (2018–19) संबंध में।	698/आठ–1–18–12बजट/2015	17.05.2018	24-25
4.2	वित्तीय वर्ष 2018–19 में उ0प्र0 भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण हेतु गैर वेतन मद में प्राविधानित धनराशि की द्वितीय किश्त की स्वीकृति के संबंध में।	1/2019/114/8–3–19–25विविध/18	05.03.2019	26
4.3	वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–2 लेखाशीर्षक–4217 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली–गाज़ियाबाद–मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना में उत्तर प्रदेश सरकार के अंश के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	2/2019/19एन.सी.आर./आठ–2–2019–05एन.सी.आर./17टी0सी0	08.03.2019	27-29
4.4	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 के अधिष्ठान व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए धनराशि का आवंटन।	1/2019/642/आठ–6–19/03बजट/2019	18.04.2019	30-31
4.5	विहित प्राधिकारियों के कार्यालय अधिष्ठान व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए धनराशि का आवंटन।	02/2019/643/आठ–6–19/02बजट/19	18.04.2019	32-33

4.6	नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999 के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि आवंटित/स्वीकृति जारी किये जाने के सम्बन्ध में।	03/2019/644/आठ–6–19/01बजट/2019	18.04.2019	34-36
4.7	स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों व उपवनों आदि की प्रबन्धन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति के कार्मिकों के वेतन–भत्तों के लिए धनराशि की स्वीकृति (वित्तीय वर्ष 2019–20) के सम्बन्ध में।	01/2019/529/आठ–4–2019–03स्मारक/2019	23.04.2019	37-38
4.8	नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण हेतु कर्मचारियों के अधिष्ठान सम्बन्धी व्यय के लिए वित्तीय वर्ष 2019–20में धनराशि का आवंटन।	2/2019/544/आठ–4–2019–19एन/2019	30.04.2019	39-41
4.9	अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के अधिष्ठान व्यय (वेतन) के लिए वित्तीय स्वीकृति (वित्तीय वर्ष 2019–20) के सम्बन्ध में।	4/2019/633/आठ–1–19–31विविध/2009	07.05.2019	42-43
4.10	लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन को भूमि हेतु सब–आर्डिनेट ऋण की बजट व्यवस्था के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि (वित्तीय वर्ष 2019–20) की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	5/2019/584/आठ–1–19–50बजट/2014	18.05.2019	44-45
4.11	सी0एस0आई0 टावर्स, गोमतीनगर, लखनऊ के बहुमंजिली आवासीय भवनों के वार्षिक रख–रखाव कार्यो की वित्तीय स्वीकृति (2019–20) के संबंध में।	914/आठ–1–19–43 एलडीए/2006टी0सी0(ए)	18.06.2019	46-47
4.12	लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न नगरों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास मद (समग्र विकास) के अन्तर्गत अभियंत्रण खण्ड–4 के अन्तर्गत चिनहट राजीव गांधी प्रथम एवं रफी अहमद किदवई वार्ड में नाली इन्टरलाकिंग एवं सड़क सुधार/नव–निर्माण कार्य कराये जाने सम्बन्धी परियोजना की वित्तीय स्वीकृति (2019–20) के सम्बन्ध में।	6/2019/1025/आठ–1–19–66बजट/2018	31.07.2019	48-49
4.13	लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न नगरों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास मद के अन्तर्गत अभियंत्रण खण्ड जोन–4 के अन्तर्गत चिनहट प्रथम वार्ड केविनायकपुरम, गौरव विहार, बिहारीपुरम, गंगा विहार, आर0के0 पुरम, चक मल्हौरी एवं अशरफ विहार में नाली इन्टरलाकिंग एवं सड़क सुधार/नव–निर्माण कार्य कराये जाने सम्बन्धी परियोजना की वित्तीय स्वीकृति (2019–20) के सम्बन्ध में।	7/2019/1026/आठ–1–19–64बजट/2018	01.08.2019	50-51
4.14	लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न नगरों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास मद के अन्तर्गत अभियंत्रण जोन–3 के अन्तर्गत जानकीपुरम–1, 2, अलीगंज, अयोध्यादास, मनकामेश्वर, फैजुल्लागंज एवं लाला लाजपतराय वार्डों में नाली इन्टरलाकिंग एवं सड़क सुधार/नव–निर्माण कार्य कराये जाने सम्बन्धी परियोजना की वित्तीय स्वीकृति (2019–20) के सम्बन्ध में।	8/2019/1344/आठ–1–19–60बजट/2018	06.08.2019	52-53
4.15	लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न नगरों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास मद (समग्र विकास) के अन्तर्गत अभियंत्रण खण्ड–8 के अन्तर्गत शारदा नगर प्रथम वार्ड में नाली एवं सड़क सुधार/नव–निर्माण कार्य कराये जाने सम्बन्धी परियोजना की वित्तीय स्वीकृति (2019–20) के सम्बन्ध में।	9/2019/1038/आठ–1–19–81बजट/2018	07.08.2019	54-55
4.16	जनपद कानपुर में बर्रा विश्वबैंक योजना के अन्तर्गत सेक्टर–आई, आई–1, जे., के तथा के–1 में सीवरलाइन डालने तथा क्षतिग्रस्त नालियों एवं सड़कों के सुधार कार्य से सम्बन्धी प्रायोजना की वित्तीय स्वीकृति (2019–20) के सम्बन्ध में।	10/2019/999/आठ–1–19–24बजट/2015	07.08.2019	56-57

4.17	अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के अधिष्ठान व्यय (गैर वेतन) के लिए धनराशि की स्वीकृति (वित्तीय वर्ष 2019–20) के सम्बन्ध में।	11/2019/1359/आठ–1–19–31विविध/2009	22.08.2019	58-59
4.18	आगरा मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन को अंशपूंजी विनियोजन की बजट व्यवस्था के सापेक्ष धनराशि की स्वीकृति (वित्तीय वर्ष 2019–20) के सम्बन्ध में।	12/2019/1043/आठ–1–19–62बजट/2019	03.09.2019	60-61
4.19	कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन को अंशपूंजी विनियोजन की बजट व्यवस्था के सापेक्ष धनराशि की स्वीकृति (वित्तीय वर्ष 2019–20) के सम्बन्ध में।	13/2019/1042/आठ–1–19–08बजट/2018	03.09.2019	62-63
4.20	दि न्यू इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0 मुम्बई से आवासीय योजनाओं हेतु लिए गये ऋण पर देय ब्याज के प्रतिदान की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	15/2019/1699/आठ–1–19–01एन0आई0ए0/2012	17.09.2019	64
4.21	दि भारतीय साधारण बीमा निगम, मुम्बई से आवासीय योजनाओं हेतु लिए गये ऋण पर देय ब्याज के प्रतिदान की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	14/2019/1698/आठ–1–19–01जी0आई0सी0–2012–13	17.09.2019	65
4.22	अयोध्या विकास क्षेत्र के पहाड़गंज क्षेत्र में सड़कों/नालियों के सौन्दर्यीकरण कार्य कराये जाने सम्बन्धी परियोजना की वित्तीय स्वीकृति (2019–20) के सम्बन्ध में।	17/2019/1526/आठ–1–19–104बजट/2019	09.10.2019	66-68
4.23	पुराने लखनऊ शहर में हुसैनाबाद टीले मस्जिद से जामा मस्जिद मार्ग, शीशमहल मार्ग एवं दुर्गा देवी मार्ग पर कोबाल स्टोन लगाने सम्बन्धी परियोजना की अन्तिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति (2019–20) के सम्बन्ध में।	18/2019/1740/आठ–1–19–64बजट/2015	09.10.2019	69-70
4.24	कुम्भ मेला–2019 हेतु ग्यारहवें चरण के अन्तर्गत त्रिवेणीपुरम आवास योजना, अवंतिका आवास योजना, नैनी के अन्तर्गत मार्गों का सौन्दर्यीकरण सम्बन्धी परियोजना की वित्तीय स्वीकृति (2019–20) के सम्बन्ध में।	19/2019/1530/आठ–1–19–94बजट/2018	10.10.2019	71-73
4.25	लखनऊ विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत शारदा नगर विस्तार योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना के पहुँच मार्ग हेतु किला मोहम्मदी ड्रेन पर स्थित कल्वर्ट से प्रस्तावित स्थल तक नाले के बहाव से सड़क की मिट्टी को सुरक्षित करने हेतु सड़क व नाली के मध्य दीवार का निर्माण करते हुए सड़क सुदृढीकरण के कार्य सम्बन्धी परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति (2019–20) के सम्बन्ध में।	20/2019/1894/आठ–1–19–28बजट/2019	16.10.2019	74-75
4.26	लखनऊ विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत शारदा नगर विस्तार योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना के पहुँच मार्ग हेतु बिजनौर रोड से किला मोहम्मदी ड्रेन पर स्थित कल्वर्ट तक पहुँच मार्ग हेतु नाले के बहाव से सड़क की मिट्टी को सुरक्षित करने हेतु सड़क व नाली के मध्य दीवार का निर्माण सम्बन्धी परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति (2019–20) के सम्बन्ध में।	21/2019/1627/आठ–1–19–29बजट/2019	16.10.2019	76-77
4.27	लखनऊ विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत बिजनौर मार्ग पर शारदा नगर विस्तार योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना के 2256 आवासों हेतु 2 गुणा 5 एम0वी0ए0 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण कार्य की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति (2019–20) के सम्बन्ध में।	22/2019/1320/आठ–1–19–65बजट/2019	16.10.2019	78-79

4.28	लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न नगरों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास मद (समग्र विकास) के अन्तर्गत अभियंत्रण खण्ड–3 के अन्तर्गत शंकरपुरवा द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत आदर्श नगर कालोनी, आदिलनगर, कल्याणपुर पश्चिम नाली एवं साइड पटरी का सुधार सम्बन्धी परियोजना की वित्तीय स्वीकृति (2019–20) के सम्बन्ध में।	23/2019/1602/आठ–1–19–51बजट/2018	31.10.2019	80-81
4.29	अधिसूचना–संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन अधिसूचना को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा, राज्य सरकार की ''लैण्ड पूलिंग स्कीम'' के पायलट परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट के सम्बन्ध में।	संख्या–8/2019/684/94 स्टा0 नि0.2.2019. 700(394)/2017	05.11.2019	82-84
4.30	सी0एस0आई0 टावर्स, गोमतीनगर, लखनऊ के बहुमंजिली आवासीय भवनों के वार्षिक रख–रखाव कार्यो की वित्तीय स्वीकृति (2019–20) के सम्बन्ध में।	25/2019/1946/आठ–1–19–43एलडीए/2006टी.सी.(ए)	14.11.2019	85-86
4.31	भारतीय जीवन बीमा निगम, मुम्बई से आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1994–95 से वर्ष 1995–96 तक लिए गये विभिन्न ऋणों के प्रतिदान की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	24/2019/2090/आठ–1–19–06एल0आई0सी0–2013–14	14.11.2019	87-88
4.32	वित्तीय वर्ष 2019–20 में अनुदान संख्या–2 लेखाशीर्षक–4217 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली–गाज़ियाबाद–मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना में उत्तर प्रदेश सरकार के अंश के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	3/2019/120एन.सी.आर./आठ–2–19–05N.C.R./17टी0सी0	13.12.2019	89-91
4.33	लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न नगरों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास मद (समग्र विकास) के अन्तर्गत अभियंत्रण खण्ड–3 के अन्तर्गत भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, फैजुल्लागंज–1, 2, 3, 4 त्रिवेणी नगर एवं जानकीपुरम–1, 2 वार्डों में नाली इन्टरलाकिंग एवं सड़क का सुधार/नव–निर्माण कार्य कराये जाने सम्बन्धी परियोजना की द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति (2019–20) के सम्बन्ध में।	26/2019/2407/आठ–1–19–85बजट/2018	20.12.2019	92-93
4.34	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नियंत्रणाधीन अभिकरणों की आय बढ़ाने के सम्बन्ध में अभिकरणों द्वारा उनका अभिमत एवं सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु गठित समिति के सम्बन्ध में।	2418/आठ–1–19–20 विविध/2019	23.12.2019	94
4.35	जनपद कानपुर में विधान सभा क्षेत्र–गोविन्द नगर, कानपुर के अन्तर्गत विश्वबैंक योजना के तहत बसाये गये बर्रा क्षेत्र में वार्ड–60 बर्रा 62 गाँव वार्ड–80 बर्रा पूर्वी में सीवर लाइन डालने के कार्य के सम्बन्ध में।	27/2019/1789/आठ–1–19–16बजट/2013	23.12.2019	95-96

5. कार्मिक प्रबन्धन				**97—110**
5.1	विकास प्राधिकरणवार पेंशन अंशदान निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में	53 / 2018 / 2291 / आठ—5—18 / 11ई / 2011	24.12.2018	97-98
5.2	असाधारण गजट — उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली के सम्बन्ध में। नियमावली, 2019 (इक्कीसवाँ संशोधन)	351 / 8—5—19—05ई—14 टी0सी0	06.03.2019	99-101
5.3	उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्दीयित सेवा के अधिकारियों / कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति।	719 / आठ—5—19—33विविध / 2008	27.06.2019	102
5.4	उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित / अकेन्द्रीयित सेवा के दिनांक 01.04.2005 अथवा उसके पश्चात् नियुक्त / विनियमित नये प्रवेशकों पर नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू करने के सम्बन्ध में।	24 / 2019 / 704 / आठ—5—19—01ई / 16	04.06.2019	103
5.5	उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के कार्मिकों को विनियमितीकरण की तिथि से समस्त सेवा लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में।	28 / 2019 / 1237 / आठ—5—19—219विविध / 15टीसी	19.11.2019	104
5.6	उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के पेंशनरों को विनियमितीकरण की तिथि से समस्त सेवा लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में।	30 / 2019 / 1239 / आठ—5—19—219विविध / 15टीसी	19.11.2019	105
5.7	उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के सहायक अभियन्ताओं को विनियमितीकरण की तिथि से समस्त सेवा लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में।	31 / 2019 / 1238 / आठ—5—19—219विविध / 15टीसी	19.11.2019	106
5.8	विदेश प्रशिक्षण, विदेश सेवायोजन, गोष्ठी, सेमिनार तथा व्यक्तिगत कार्यो से विदेश जाने हेतु सरकारी सेवकों को अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	1353 / आठ—5—19—72 विविध / 2017	23.12.2019	107
5.9	सहायक अभियन्ता (वि0 / याँ) की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची की प्रख्यापन।	35 / 2019 / 1394 / आठ—5—19—05विविध / 18	31.12.2019	108-110
6. ऑन—लाईन बिल्डिंग प्लान एप्रूवल सिस्टम				**111—121**
6.1	Online Building Plan Approval System (OBPAS) को लाग करने हेतु मानचित्र स्वीकृत की प्रक्रिया के निर्धारण एवं मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी शुल्कों में एकरूपता व पारदर्शिता लाए जाने के सम्बन्ध में।	563 / आठ—3—19—26 विविध / 2017 टी0सी0	20.06.2019	111-117
6.2	ईज आफ डूईंग बिजनेस के अन्तर्गत ऑनलाईन मानचित्रों की स्वीकृति हेतु आफनलाईन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (OBPAS) को उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों में लागू किये जाने के सम्बन्ध में।	567 / आठ—3—19—26विविध / 2017टी0सी0	20.06.2019	118
6.3	Online Building Plan Approval System (OBPAS) को लागू करने हेतु मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया के निर्धारण एवं मानचित्र स्वीकृति संबंधी शुल्कों में एकरूपता व पारदर्शिता लाए जाने के सम्बन्ध में।	1036 / आठ—3—19—26 विविध / 2017टी0सी0	02.09.2019	119-120
6.4	ईज आफ डूईंग बिजनेस के अन्तर्गत ऑन लाईन मानचित्रों की स्वीकृति हेतु आननलाईन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (OBPAS) को उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों में लागू किये जाने के सम्बन्ध में।	1208 / आठ—3—19—26 विविध / 2017टी0सी0	24.10.2019	121
7. प्रधानमंत्री आवास योजना				**122—124**
7.1	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग—इन पार्टनरशिप मद के अन्तर्गत भवनों के निर्माण के लिए अभिकरणों हेतु निर्धारित लक्ष्य के संबंध में।	845 / आठ—1—19—08विविध / 2016टी0सी0	07.06.2019	122-124

8. विविध				125–180
8.1	प्रदेश में स्थापित जनसेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जनसुविधा केन्द्रों/ई–सुविधा केन्द्रों के माध्यम से ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना के द्वारा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की सेवाओं को आम जन मानस तक उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।	2039/8–3–18–187विविध/2018	10.01.2019	125-127
8.2	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा पायलट प्रोजेक्ट्स के रूप में लैण्ड पूलिंग स्कीम के क्रियान्वयन हेतु नीति।	संख्या–239/8–3–19–152 विविध/17	20.02.2019	128-147
8.3	उ0प्र0 भू–सम्पदा अपील अधिकरण के गठन के सम्बन्ध में।	281/8–3–19–65विविध/16 टी0सी0	27.02.2019	148-149
8.4	भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के गठन सम्बन्धी एवं निर्गत अधिसूचना के प्रभावी होने के सम्बन्ध में।	284/8–3–19–65विविध/16	28.02.2019	150
8.5	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत नई मेट्रो रेल नीति, 2017 के अन्तर्गत प्रदेश के पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप (पी.पी.पी.) आधार पर मेट्रो रेल परियोजनाओं तथा भविष्य में क्रियान्वित की जाने वाली अर्बन ट्रांसपोर्टेशन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कन्सल्टेंट नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।	1/2019/169/आठ–7–19–37विविध/2018	07.02.2019	151-160
8.6	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली–गाज़ियाबाद–मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आर0आर0टी0एस0) परियोजना के डी0पी0आर0 एवं डी0पी0आर परिशिष्ट तथा इसकी संशोधित योजना के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	1/2019/617/आठ–2–2019–05एन0सी0आर0/17	07.03.2019	161-162
8.7	सरकारी गजट–उ0प्र0 भू–सम्पदा अपील अभिकरण का कार्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में।	334/8–3–19–158विविध–18	25.03.2019	163
8.8	उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में शारीरिक रूप से दिव्यांगजन के लिए आरक्षण हेतु समूह– 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' के पदों के चिन्हांकन हेतु निम्नवत् समिति गठन किये जाने	यू0ओ0 65/आठ–5–2019	21.05.2019	164-165
8.9	सड़क मार्गो के आस–पास एवं विशेष रूप से खाली पड़े भूखण्डों में भारी मात्रा में गन्दगी व पॉलिथीन के निस्तारण के संबंध में।	812/आठ–1–19–10 विविध/2019	31.05.2019	166
8.10	मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अपील योजित किये जाने तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष अनुज्ञा याचिका अथवा पुर्विचार याचिका योजित किये जाने के पूर्व शासन की सहमति प्राप्त किया जाना।	529/आठ–3–19–178रिट/2017	04.06.2019	167-168
8.11	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ0प्र0 को नोडल एजेन्सी के रूप में दायित्वों का निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में।	747/आठ–1–19–74 विविध/2017	06.06.2019	169-170
8.12	वर्ष 2019–20 में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अन्तर्गत सोलर पावर इंस्टॉलेशन के संबंध में।	751/आठ–1–19–64बैठक/17	06.06.2019	171-173
8.13	उत्तर प्रदेश के विभिन्न महानगरों में मेट्रो रेल परियोजनाओं/रेल आधारित मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 'उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन' के नाम से एकल विशेष प्रयोजन साधन गठित किये जाने के सम्बन्ध में।	2/2019/634/आठ–7–19–18मेट्रो/2017	07.06.2019	174-175
8.14	प्रदेश के प्राधिकरणों में विभिन्न समितियों द्वारा उठायी गयी आडिट आपत्तियों को कम्प्यूटराइज्ड करने के सम्बन्ध में।	16/2019/1783/आठ–1–19–06आडिट/2014टी0सी0	25.09.2019	176

8.15	रिट याचिका संख्या–13029/1985 एम.सी.मेहता बनाम भारत संघ व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।	2566/आठ–1–19–83बैठक/2017	27.12.2019	177-180

सम्पत्ति प्रबन्धन

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1
संख्या–1796/आठ–1–20विविध/2019
लखनऊः दिनांक 26 सितम्बर, 2019

कार्यालय ज्ञाप

प्राधिकरणों की आय में वृद्वि किये जाने हेतु विभिन्न स्रोतों पर विचार–विमर्श कर प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु एतद् द्वारा निम्नवत् समिति का गठन किया जाता हैं:–

1.	आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	अध्यक्ष
2.	विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग/अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु	सदस्य संयोजक
3.	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ	सदस्य
4.	उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ	सदस्य
5.	उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली	सदस्य
6.	निदेशक विकास, आवास बन्धु	सदस्य
7.	निदेशक, समन्वय, आवास बन्धु	सदस्य
8.	वित्त नियन्त्रक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद	सदस्य
9.	वित्त नियन्त्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ	सदस्य
10.	वित्त नियन्त्रक, भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, उ0प्र0	सदस्य

2– समिति 15 दिनों में सुविचारित एवं स्पष्ट प्रस्ताव शासन को उपलब्ध करायेगी।

दीपक कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक : तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सम्बन्धित अधिकारीगण।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ।
5. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के समस्त अनुभाग।
6. गाई फाईल।

आज्ञा से

अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनुसचिव।

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि

संख्या–82/8–3–19–09विविध/2019

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   आवास एवं विकास परिषद,
   उत्तर प्रदेश।
2. **उपाध्यक्ष/अध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

आवास एंव शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक : 14 जनवरी, 2019

विषय :– ऑनलाईन मानचित्र का अवर अभियन्ताओं के बीच समुचित वितरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ द्वारा शिकायत की गयी है कि प्राधिकरण में प्राप्त होने वाले ऑनलाईन मानचित्र का अवर अभियन्ताओं के बीच समुचित वितरण नहीं हो रहा है। कुछ प्राधिकरणों के आंकड़े देखने से स्पष्ट होता है कि अवर अभियन्ताओं को प्राप्त होने वाले मानचित्रों की संख्या में काफी अन्तर है जो उचित नहीं है। ऑनलाईन मानचित्रों को प्राप्त करने हेतु प्राधिकरण के DA Admin द्वारा अवर अभियन्ताओं को अधिकृत किया जाता है और उन्हें Active/Inactive भी किया जाता है। अवर अभियन्ताओं को बिना पर्याप्त कारण के प्रायः Active/Inactive किया जा रहा है जिसके कारण भी मानचित्र वितरण में विसंगति हो रही है।

अतः मुझे कहने का निदेश हुआ है कि प्राधिकरण स्तर पर अधिकतम 02 डी.ए. एडमिन ही रखे जाएं और अवर अभियन्ताओं को बिना पर्याप्त कारण के प्रायः Active/Inactive न किया जाए। जिन अवर अभियन्ताओं को माह में अत्यधिक मानचित्र प्राप्त हों उसकी अलग से समीक्षा किया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि मानचित्र वितरण युक्ति संगत हो। अवर अभियन्ताओं के मानचित्र विरतण की समीक्षा मासिक बैठक में भी किया जाएगा।

भवदीय,

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव।

प्रतिलिपिः– निदेशक, आवास बन्धु को इस निर्देश के साथ कि इस कार्य की समीक्षा हेतु विवरण पत्र तैयार कर मासिक बैठक में समीक्षा हेतु रखें।

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव।

संख्या–259 /8–3–19–36विविध/16 टी0सी0

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
आवास एवं विकास परिषद,
उ0 प्र0 लखनऊ।
2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
3. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक : 28 फरवरी, 2019**

विषयः भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु निरीक्षण प्रकिया एवं चेक लिस्ट उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि ''ईज ऑफ डूइंग बिजनेस'' के संबंध में BRAP-2019 (Business Reform Action Plan-2019) की अपेक्षाओं के अन्तर्गत आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सम्बन्धित एक्शन बिन्दु–30 जिसमें भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु समस्त विकास प्राधिकरणों को एक समान निरीक्षण प्रकिया एवं चेकलिस्ट बनाये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2– इस सम्बन्ध में भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु निरीक्षण प्रकिया एवं चेकलिस्ट संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त में उल्लिखित प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करते का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(2) निदेशक (प्रशासन), आवास बन्धु उ0प्र0 लखनऊ।
(3) निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि समस्त सम्बन्धित को तामील कराते हुए विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
(4) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मनीष चन्द्र श्रीवास्तव
अनु सचिव।

भवन निर्माण/ले–आउट अनुज्ञा हेतु निरीक्षण प्रकिया

भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु मानचित्र स्वीकृत करने के लिए शासनादेश संख्या–1090/8–3–17–36विविध/16, दिनांक 26.09.2017 द्वारा भवन/भूखण्डों का रिस्क आधारित निम्नवत् वर्गीकरण किया गया है :–

(अ) लो–रिस्क श्रेणी–इस श्रेणी में वह आवासीय भवन/भूखण्ड आते हैं जो आवास एवं विकास परिषद/विकास प्राधिरकण द्वारा विकसित कालोनियों में हों तथा ऐसे प्रकरण जिनके आवासीय भूखण्ड निजी क्षेत्र के स्वीकृत तलपट मानचित्र के अनुरूप हों अथवा महायोजना में चिन्हित निर्मित क्षेत्र के अन्तर्गत 100 वर्गमीटर तक के आवासीय निर्माण को हाई–रिस्क श्रेणी से बाहर रखा गया है। इस श्रेणी के भवन निर्माण अनुज्ञा/पूर्णता प्रमाण–पत्र हेतु स्थल निरीक्षण की अनिवार्यता नहीं है।

(ब) हाई–रिस्क श्रेणी–जो भवन/भूखण्ड लो रिस्क की श्रेणी में नहीं हैं वे सभी प्रकरण हाई–रिस्क श्रेणी के माने जाएंगे। हाई–रिस्क प्रकरणों में स्थल निरीक्षण की अनिवार्यता अवश्यकतानुसार निर्दिष्ट की जा सकती है।

हाई–रिस्क श्रेणी के भवनों/भूखण्डों के प्रकरण में तीन स्तरीय निरीक्षण कराये जाते हैं जो मानचित्र स्वीकृति के पूर्व, प्लिंथ लेवल निर्माण के बाद तथा पूर्णता प्रमाण–पत्र के समय निर्धारित है। इसके अलावा बहुमंजिली भवनों के गुणवत्ता नियंत्रण हेतु निर्माण के दौरान आवश्यकतानुसार निरीक्षण किये जा सकते हैं। तीनों स्तर के निरीक्षण हेतु निम्न प्रकिया निर्धारित की जाती है :–

1. **भवन मानचित्र/ले–आउट प्लान स्वीकृति के पूर्व किये जाने वाले निरीक्षण एवं प्रकियाः–**

शासनादेश संख्या–एम.एस.–35/8–3–16–36विविध/16, दिनांक 02.06.2016 के अन्तर्गत यह निर्देश दिये गये हैं कि मानचित्र स्वीकृति हेतु अन्य विभागों, जिनसे प्राधिकरण द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना है, यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सम्बन्धित विभाग द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया जाए तथा इसकी सूचना आवेदक को भी दी जाए। उक्त क्रम में निरीक्षण की निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती हैः–

- आवेदन प्राप्त होने की तिथि को ही सम्बन्धित विभागों को 15वें दिन निरीक्षण किये जाने हेतु तिथि एवं समय निर्धारित करके सूचना प्रेषित की जायेगी।
- निरीक्षण के पश्चात् तीन कार्यवदिवस में सम्बन्धित विभाग अपनी आख्या/अनापत्ति प्रेषित करेगा।
- आवास एवं विकास परिषद/विकास प्राधिकरण स्तर पर ऐसे स्थलों को निरीक्षण सम्बन्धित अवर/सहायक अभियन्ता द्वारा आवेदन प्राप्त होने के 7 दिन के अन्तर्गत पूर्ण किया जायेगा और निरीक्षण आख्या 48 घण्टे के भीतर विभाग को उपलब्ध कराते हुए वेबसाईट पर अपलोड की जायेगी।

- निरीक्षण आख्या **चेक लिस्ट–1** अथवा **चेक लिस्ट–2** (यथास्थिति) के अनुसार तैयार किया जायेगा। शिकायत को छोड़ करके अन्य प्रकरण में चेक लिस्ट के बाहर किसी भी बिन्दु पर आख्या नहीं दी जायेगी।

2. प्लिंथ लेवेल निरीक्षणः–

हाई–रिस्क श्रेणी के प्रकरण में आवेदक से भवन उपविधि के परिशिष्ट–18 में निर्धारित प्रारूप पर सूचना प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर सम्बन्धित अवर/सहायक अभियन्ता द्वारा **चेक लिस्ट–3** में निर्धारित बिन्दुओं पर निरीक्षण करके रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी ओर निरीक्षण के 48 घण्टे के भीतर निरीक्षण रिपोर्ट विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किया जाएगा। निरीक्षण रिपोर्ट चेक लिस्ट बिन्दुओं से भिन्न बिन्दुओं पर (शिकायत को छोड़ करके) नहीं प्रस्तुत की जायेगी। किसी विचलन की दशा में तुरन्त परिशिष्ट–19 में निर्धारित प्रारूप पर आवेदक को नोटिस प्रेषित की जाएगी।

3. पूर्णता प्रमाण–पत्र हेतु निरीक्षणः–

आवेदक से पूर्णता प्रमाण–पत्र हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्राप्त होने पर 7 दिन के भीतर सम्बन्धित अवर/सहायक अभियन्ता द्वारा **चेक लिस्ट–4क** अथवा 4ख अथवा **चेक लिस्ट–5** (यथास्थिति) में निर्धारित बिन्दुओं पर निरीक्षण करके रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और निरीक्षण के 48 घण्टे के भीतर निरीक्षण रिपोर्ट विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किया जाएगा। निरीक्षण रिपोर्ट चेक लिस्ट बिन्दुओं से भिन्न बिन्दुओं पर (शिकायत को छोड़ करके) नहीं प्रस्तुत की जायेगी। सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के 24 घण्टे के भीतर निर्धारित प्रारूप पर पूर्णता प्रमाण--पत्र जारी किया जायेगा।

चेकलिस्ट–1

भवन मानचित्र स्वीकृति के पूर्व निरीक्षण हेतु चेक लिस्ट

आवेदन/मानचित्र संख्या :	.....
आवेदक का नाम :	.....
आवेदक का वर्तमान पता :	.....
आर्किटेक्ट का नाम एवं पंजीकरण सं.	.....
प्रस्तावित भवन की स्थिति	खसरा सं./प्लाट सं.....
	ग्राम/योजना का नाम.....
भूखण्ड का आकार (लम्बाई X चौड़ाई मीटर में)	.....
भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	.....

क्रमांक	विवरण	निरीक्षण आख्या
1.	मानचित्र पर दर्शित लोकेशन/की–प्लान का स्थल पर मिलान	
2.	रजिस्ट्री के अनुसार भूखण्ड की चौहद्दी का स्थलीय परीक्षण एवं पुष्टि	
3.	महायोजना/जोनल प्लान/ले–आउट प्लान की स्थिति के अनुसार स्थल का भू–उपयोग	
4.	रोड वाइडिंग/ग्रीन बेल्ट हेतु छोड़ी गयी भूमि (जहाँ लागू हो)	
5.	पहुँच मार्ग की चौड़ाई (मीटर)	
6.	प्रस्तावित भूखण्ड सरकारी चकरोड, नाली व ग्राम समाज, आदि की भूमि से प्रभावित होने की स्थिति	
7.	भूखण्ड की स्थलीय स्थिति के अनुसार किसी सरकारी विभाग की भूमि/भवन से लगे होने सम्बन्धी परीक्षण	
8.	प्रस्तावित भूखण्ड पर अवस्थापना सुविधाओं यथा–जलापूर्ति, ड्रेनेज, मल–निस्तारण, विद्युत–आपूर्ति, आदि की उपलब्धता	
9.	भूखण्ड पर निर्माण की वर्तमान स्थिति (रिक्त अथवा निर्मित), स्थल पर निर्माण विद्यमान होने की स्थिति में निर्माण का स्थल पर मिलान एवं वैधता का परीक्षण	
10.	एच.टी./एल.टी. लाईन की स्थिति	
11.	भूखण्ड के तालाब/जलाशय तथा अन्य वाटर बॉडी से प्रभावित होने की स्थिति	
12.	भूखण्ड के जलभराव/बाढ़ से सुरक्षित होने की स्थिति	
13.	भूखण्ड की संरक्षित स्मारकों/हेरिटेज स्थलों से दूरी (जहाँ लागू हो)	
14.	भूखण्ड के आस–पास रेलवे लाईन/गैस पाईप लाईन/नहर, आदि की स्थिति	
15.	भूखण्ड पर आवेदक के स्थलीय कब्जा होने का परीक्षण/कब्जा प्रमाण–पत्र	
16.	अन्य विवरण, यदि कोई हो	

दिनांक :

अवर/स./अधि. अभियन्ता　　स./मु.न. नियोजक　　प्राधिकृत अधिकारी

चेकलिस्ट–2

ले–आउट प्लान की स्वीकृति के पूर्व निरीक्षण हेतु चेक लिस्ट

आवेदन/मानचित्र संख्या :	.....
आवेदक का नाम :	.....
आवेदक का वर्तमान पता :	.....
आर्किटेक्ट का नाम एवं पंजीकरण सं.	.....
प्रस्तावित भवन की स्थिति	खसरा सं./प्लाट सं.....
	ग्राम/योजना का नाम.....
भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	.....

क्रमांक	विवरण	निरीक्षण आख्या
1.	मानचित्र पर दर्शित लोकेशन/की–प्लान का स्थल पर मिलान	
2.	रजिस्ट्री के अनुसार भूखण्ड की चौहद्दी का स्थलीय परीक्षण एवं पुष्टि	
3.	महायोजना/जोनल प्लान के अनुसार स्थल का भू–उपयोग	
4.	रोड वाइडिंग/ग्रीन बेल्ट हेतु छोड़ी गयी भूमि (जहाँ लागू हो)	
5.	पहुँच मार्ग की चौड़ाई (मीटर) एवं मुख्य मार्ग से कनेक्टिविटी	
6.	प्रस्तावित भूखण्ड के अन्तर्गत सरकारी चकरोड, नाली व ग्राम समाज, आदि की भूमि होने की स्थिति	
7.	भूखण्ड की स्थलीय स्थिति के अनुसार किसी सरकारी विभाग की भूमि/भवन से लगे होने संबंधी परीक्षण	
8.	प्रस्तावित भूखण्ड हेतु वाह्य अवस्थापना सुविधाओं यथा–जलापूर्ति, ड्रेनेज, मल–निस्तारण, विद्युत–आपूर्ति, कूड़ा निस्तारण आदि की उपलब्धता	
9.	स्थल पर निर्माण विद्यमान होने की स्थिति में निर्माण का स्थल पर मिलान एवं वैधता का परीक्षण	
10.	एच.टी./एल.टी. लाईन की स्थिति	
11.	भूखण्ड के तालाब/जलाशय तथा अन्य वाटर बॉडी से प्रभावित होने की स्थिति	
12.	स्थल पर फॉरेस्ट, बाग, आदि होने की स्थिति	
13.	भूखण्ड के जलभराव/बाढ़ से सुरक्षित होने की स्थिति	
14.	भूखण्ड के आस–पास रेलवे लाईन/गैस पाईप लाईन/नहर, आदि की स्थिति	
15.	अन्य विवरण, यदि कोई हो	

दिनांक :

अवर/स./अधि. अभियन्ता **स./मु.न. नियोजक** **प्राधिकृत अधिकारी**

चेकलिस्ट–3

प्लिंथ लेवेल निरीक्षण हेतु चेक लिस्ट

आवेदन/मानचित्र संख्या :	.....
आवेदक का नाम :	.....
आवेदक का वर्तमान पता :	.....
आर्किटेक्ट का नाम एवं पंजीकरण सं.	.....
प्रस्तावित भवन की स्थिति	खसरा सं./प्लाट सं.....
	ग्राम/योजना का नाम.....
भूखण्ड का आकार (लम्बाई x चौड़ाई मीटर में)	.....
भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	.....
मानचित्र स्वीकृति का परमिट संख्या	.....

क्रमांक	विवरण		टिप्पणी	
			स्वीकृत मानचित्र के अनुसार	मौके के अनुसार
1.	भूखण्ड का आकार (लम्बाई x चौड़ाई मीटर में)			
2.	पहुँच मार्ग की चौड़ाई			
3.	सेटबैक (मीटर)	अग्र		
		पार्श्व–1		
		पार्श्व–2		
		पृष्ठ		
4.	भू–आच्छादन (प्रतिशत)			
5.	बेसमेन्ट (यदि स्वीकृत है):–			
	(i) बेसमेन्ट की संख्या			
	(ii) क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)			
	(iii) रैम्प (चौड़ाई एवं ढाल/ग्रेडिएन्ट)			
	(iv) सीढ़ी	चौड़ाई (मी.)		
		राइजर (मी.)		
		ट्रेड (मी.)		
	(v) भूखण्ड की सीमाओं से बेसमेंट की दूरी (मीटर)	अग्र		
		पार्श्व–1		
		पार्श्व–2		
		पृष्ठ		
6.	प्लिंथ की ऊँचाई (सेंटीमीटर)			
7.	अन्य विवरण, यदि कोई हो			

दिनांक :

अवर/स./अधि. अभियन्ता **स./मु.न. नियोजक** **प्राधिकृत अधिकारी**

चेकलिस्ट–4 'क'

आवासीय भवन के पूर्णता प्रमाण–पत्र (300वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड) के लिए निरीक्षण हेतु चेकलिस्ट

आवेदन/मानचित्र संख्या :	.....
आवेदक का नाम :	.....
आवेदक का वर्तमान पता :	.....
आर्किटेक्ट का नाम एवं पंजीकरण सं.	.....
प्रस्तावित भवन की स्थिति	खसरा सं./प्लाट सं.....
	ग्राम/योजना का नाम.....
भूखण्ड का आकार (लम्बाई x चौड़ाई मीटर में)	.....
भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	.....
मानचित्र स्वीकृति का परमिट संख्या	.....
शमन मानचित्र के अनुमोदन की परमिट संख्या तथा तिथि (जहाँ लागू हो)	.....
शमन शुल्क भुगतान की तिथि/तिथियां/रसीद संख्या/संख्याएं (जहाँ लागू हो)	.....

क्र. सं.	विवरण		टिप्पणी	
			स्वीकृत/शमन मानचित्र के अनुसार	मौके के अनुसार
1.	पहुँच मार्ग की चौड़ाई			
2.	रोड वाइडनिंग/ग्रीन बेल्ट हेतु छोड़ी गयी भूमि की स्थिति (जहाँ लागू हो)			
3.	बेसमेन्ट (यदि स्वीकृत है):–			
	सेट बैक (मीटर में)	(क) अग्र		
		(ख) पार्श्व–1		
		(ग) पार्श्व–2		
		(घ) पृष्ठ		
4.	बेसमेन्ट (यदि स्वीकृत है)			
	(i) बेसमेन्ट की संख्या			
	(ii) क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)			
	(iii) रैम्प (चौड़ाई एवं ढाल/ग्रेडिएन्ट)			
	(iv) सीढ़ी	चौड़ाई (मी.)		
		राइजर (मी.)		

		ट्रेड (मी.)		
	(v) भूखण्ड की सीमाओं से बेसमेंट की दूरी (मीटर)	अग्र		
		पार्श्व–1		
		पार्श्व–2		
		पृष्ठ		
5.	भू–आच्छादन (प्रतिशत)			
6.	एफ.ए.आर.			
7.	स्टिल्ट फ्लोर की ऊँचाई (यदि स्वीकृत है)			
8.	भवन की ऊँचाई (मीटर में)			
9.	ऑप्टिकल फाइवर हेतु डक्ट का प्राविधान			
10.	पाइप्ड नेचुरल गैस का प्राविधान (जहाँ लागू हो)			
11.	अवस्थापना सुविधाएं (हाँ/नहीं में)	(क) जल आपूर्ति		
		(ख) मलोत्सारण		
		(ग) जल निकास		
		(ध) विद्युत आपूर्ति		
		(च) लिफ्ट (यदि कोई हो)		
		(छ) सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र (500 वर्गमी. से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखण्डों में)		
12.	ठोस अपशिष्ट निस्तारण प्रबन्धन (हाँ/नहीं में)			
13.	पंजीकृत वास्तुविद्/अभियन्ता का प्रमाण–पत्र (हाँ/नहीं में)			
14.	स्ट्रक्चरल इंजीनियर का प्रमाण पत्र (हाँ/नहीं में)			
15.	रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली (पंजीकृत अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति का प्रमाण–पत्र (हाँ/नहीं में)			

दिनांक :

अवर/स./अधि. अभियन्ता **स./मु.न. नियोजक** **प्राधिकृत अधिकारी**

चेकलिस्ट–4 'ख'

ग्रुप हाउसिंग, व्यवसायिक एवं अन्य बहुखण्डीय भवन के पूर्णता प्रमाण–पत्र के लिए निरीक्षण हेतु चेकलिस्ट

आवेदन/मानचित्र संख्या :	.....
आवेदक का नाम :	.....
आवेदक का वर्तमान पता :	.....
आर्किटेक्ट का नाम एवं पंजीकरण सं.	.....
प्रस्तावित भवन की स्थिति	खसरा सं./प्लाट सं.....
	ग्राम/योजना का नाम.....
भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	.....
मानचित्र स्वीकृति का परमिट संख्या	.....
शमन मानचित्र के अनुमोदन की परमिट संख्या तथा तिथि (जहाँ लागू हो)	.....
शमन शुल्क भुगतान की तिथि/तिथियां/रसीद संख्या/संख्याएं (जहाँ लागू हो)	.....

क्र. स.	विवरण		टिप्पणी	
			स्वीकृत/शमन मानचित्र के अनुसार	मौके के अनुसार
1.	पहुँच मार्ग की चौड़ाई			
2.	रोड वाइडनिंग/ग्रीन बेल्ट तथा महायोजना मार्ग हेतु छोड़ी गयी भूमि की स्थिति (जहाँ लागू हो)			
3.	खुले स्थल, पार्क एवं कीड़ा स्थल का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)			
4.	सेट बैक (मीटर में)	(क) अग्र		
		(ख) पार्श्व–1		
		(ग) पार्श्व–2		
		(घ) पृष्ठ		
5.	बेसमेन्ट (यदि स्वीकृत है)			
	(i) बेसमेन्ट की संख्या			
	(ii) क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)			
	(iii) रैम्प (चौड़ाई एवं ढाल/ग्रेडिएन्ट)			
	(iv) सीढ़ी	चौड़ाई (मी.)		
		राइजर (मी.)		
		ट्रेड (मी.)		

	(iii) बेसमेन्ट प्लान का स्वीकृत मानचित्र से मिलान			
6.	भू–आच्छादन (प्रतिशत)			
7.	एफ.ए.आर.			
8.	स्टिल्ट फ्लोर की ऊँचाई (यदि स्वीकृत है)			
9.	कट आउट/डक्ट का आकार (लम्बाई ग्चौड़ाई मी0 में)			
10.	प्रोजेक्शन्स/छज्जे/बालकनी आदि			
11.	पार्किंग की संख्या एवं क्षेत्रफल (वर्ग मी0 में)	(क) खुले क्षेत्र में		
		(ख) कवर्ड पार्किंग		
		(ग) बेसमेन्ट पार्किंग		
12.	भवन की ऊँचाई (मीटर में)			
13.	मंजिलो की संख्या			
14.	सर्विस फ्लोर की संख्या एवं ऊंचाई (जहाँ लागू हो)			
15.	आवासीय इकाईयों की संख्या (ग्रुप हाउसिंग हेतु)			
16.	लिफ्ट का आकार एवं संख्या			
17.	अग्निशमन की अपेक्षाओं का अनुपालन			
18.	सामुदायिक सुविधाएं यथा–सुविधाजनक दुकानें, स्कूल, नर्सिंग होम, सामुदायिक केन्द्र आदि की स्थिति			
19.	वृक्षारोपण की स्थिति			
20.	ऑप्टिकल फाइबर एवं टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु डक्ट, का प्राविधान			
21.	पाइप्ड नेचुरल गैस का प्राविधान (जहाँ लागू हो)			
22.	अवस्थापना सुविधाएं (हाँ/नहीं में)	(क) जल आपूर्ति		
		(ख) मलोत्सारण		
		(ग) जल निकास		
		(ध) विद्युत आपूर्ति		
		(छ) सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र (500 वर्गमी. से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखण्डों में)		
23.	पर्यावरणीय स्वीकृति (हाँ/नहीं में) (जहाँ लागू हो)			
24.	दिव्यांगजन हितैषी प्राविधानों की स्थिति (हाँ/नहीं में)			
25.	ई.सी.बी.सी. कोड के अनुपालन की स्थिति			
26.	वेस्ट वाटर रिसाइक्लिंग सिस्टम, एस.टी.पी. का प्राविधान पूर्ण एवं संचालित अवस्था में (हाँ/नहीं में)			

27.	ठोस अपशिष्ट निस्तारण प्रबन्धन (हाँ/नहीं में)
28.	स्वीकृत/शमनित मानचित्रों के अतिरिक्त निर्माण (हाँ/नहीं में)
29.	पंजीकृत वास्तुविद्/अभियन्ता का प्रमाण–पत्र (हाँ/नहीं में)
30.	स्ट्रक्चरल इंजीनियर का प्रमाण पत्र (हाँ/नहीं में)
31.	एविएशन क्षेत्र में स्थित होने की दशा में एविएशन लाइट्स की स्थिति (लगी है/नहीं लगी हैं)
32.	चीफ इलैक्ट्रिकल इन्सपेक्टर, उ.प्र. से लिफ्ट के पूर्णता का प्रमाण–पत्र (हाँ/नहीं में)
33.	रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली (पंजीकृत अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति का प्रमाण–पत्र (हाँ/नहीं में)
34.	एयरपोर्ट फनल जोन में स्थित होने की दशा में एयरपोर्ट अथार्टी का अनापत्ति प्रमाण–पत्र (हाँ/नहीं में)
35.	अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण–पत्र (हाँ/नहीं में)
36.	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण–पत्र (हाँ/नहीं में)
37.	ए.एस.आई. का अनापत्ति प्रमाण–पत्र (जहाँ लागू हो)

दिनांक :

अवर/स./अधि. अभियन्ता **स./मु.न. नियोजक** **प्राधिकृत अधिकारी**

चेकलिस्ट–5

ले–आउट प्लान के पूर्णता प्रमाण–पत्र के लिए निरीक्षण हेतु चेकलिस्ट

आवेदन/मानचित्र संख्या :	.....
आवेदक का नाम :	.....
आवेदक का वर्तमान पता :	.....
आर्किटेक्ट का नाम एवं पंजीकरण सं.	.....
प्रस्तावित भवन की स्थिति	खसरा सं./प्लाट सं.....
	ग्राम/योजना का नाम.....
भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	.....
मानचित्र स्वीकृति का परमिट संख्या	.....
शमन मानचित्र के अनुमोदन की परमिट संख्या तथा तिथि (जहाँ लागू हो)	.....
शमन शुल्क भुगतान की तिथि/तिथियां/रसीद संख्या/ संख्याएं (जहाँ लागू हो)	.....

1.	पहुँच मार्ग की चौड़ाई (मीटर)	स्वीकृत मानचित्र के अनुसार
		मौके के अनुसार
2.	रोड वाइडनिंग/ग्रीन बेल्ट हेतु छोड़ी गयी भूमि की स्थिति (जहाँ लागू हो)	स्वीकृत मानचित्र के अनुसार
		मौके के अनुसार

3. भू–उपयोग का विवरण

कमांक	भू–उपयोग की श्रेणी	स्वीकृत मानचित्र के अनुसार		मौके पर विकसित		विचलन (यदि कोई हो)	
		क्षेत्रफल (व.मी.)	प्रतिशत	क्षेत्रफल (व.मी.)	प्रतिशत	क्षेत्रफल (व.मी.)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
I	आवसीय						
II	वाणिज्यिक						
III	अन्य						
IV	पार्क एवं खुला स्थान						
V	सड़कें/सर्कुलेशन						

4. सुविधाओं की स्थिति :

कमांक	सुविधाएं	स्वीकृत मानचित्र के अनुसार		मौके पर विकसित			
				पूर्ण		अपूर्ण	
		संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	संख्या.	क्षेत्रफल (व.मी.)	संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)
(I)	नर्सरी/प्राइमरी स्कूल						
(II)	हायर सेकेण्डरी स्कूल						
(III)	डिग्री कालेज						
(IV)	डिस्पेन्सरी						
(V)	अस्पताल						
(VI)	पोस्ट ऑफिस						
(VII)	कम्युनिटी सेन्टर						
(VIII)	पुलिस स्टेशन						
(IX	फायर स्टेशन						
(X)	टेलीफोन एक्सचेंज						
(XI)	बस स्टेशन						
(XII)	टैक्सी स्टैण्ड						
(XIII)	जन सुविधाएं						
(XIV)	अन्य सुविधाएं						

5. स्वीकृत/शमनित ले–आउट प्लान के अनुसार विकास कार्यो की स्थिति (हाँ/नहीं में)

(i) सड़कें

(ii) सड़कों के किनारे वृक्षारोपण (आरबोरीकल्वर)

(iii) पुलिया (कल्वर्ट)

(iv) मार्ग प्रकाश व्यवस्था

(v) पेयजल वितरण प्रणाली जिसमें स्लूइस–वाल्व, एयर वाल्व, फायर हाईड्रेन्ट दर्शाए गए हों तथा भूमिगत जल नलिकाओं का व्यास अंकित हो।

(vi) ओवर हैड टैंक व भूमिगत जलाशयों की स्थिति एवं उनकी क्षमता, पम्पों की संख्या एवं उनकी क्षमता।

(vii) सीवर प्रणाली जिसमें पाइप का व्यास, इन्वर्ट लेबल देते हुए मेन होल, गली पिट्स की स्थिति/मल–निस्तारण व्यवस्था।

(viii) सीवेज, पम्पिंग स्टेशन की स्थिति, उसकी क्षमता तथा पम्पों की संख्या एवं क्षमता (यदि विकासकर्ता द्वारा उक्त विकास किया गया है)

(ix) सीवर का अन्तिम निस्तारण–विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद/स्थानीय निकाय आदि की ट्रंक सीवर लाईन में जोड़ने का विवरण। बरसाती पानी के निकास की व्यवस्था।

(x) वेस्ट वाटर रिसाइक्लिंग सिस्टम, एस.टी.पी. का प्राविधान पूर्ण एवं संचालित अवस्था में (हाँ/नहीं में)

(xi) ठोस अपशिष्ट निस्तारण प्रबन्धन (हाँ/नहीं में)

(xii) ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग सिस्टम

	(xiii) बरसाती पानी के निकास की व्यवस्था। (xiv) विद्युत आपूर्ति प्रणाली जिसमें ट्रान्सफार्मर तथा 11 के.वी.ए. सब–स्टेशन की स्थिति एवं ट्रान्सफर्मरस् की क्षमता अंकित हो। (xv) ऑप्टिकल फाइबर एवं टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु डक्ट का प्राविधान (xvi) पाइप्ड नेचुरल गैस का प्राविधान (जहाँ लागू हो)	
6.	शहर की अवस्थापना प्रणाली (ट्रंक सेवाओं) से संयोजन की स्थिति/व्यवस्था (हाँ/नहीं में)	
	(i) सड़कें (ii) पानी की निकासी (ट्रंक नाले से जोड़ने की व्यवस्था) (iii) पेयजल की व्यवस्था (जल संस्थान/विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय आदि से संयोजन की व्यवस्था) (iv) विद्युत व्यवस्था (33 के.वी.ए./11 के.वी.ए. लाइन से संयोजन की स्थिति व ट्रान्सफार्मर की स्थिति) (v) ठोस अपशिष्ट निस्तारण व्यवस्था (डम्पिंग ग्राउण्ड/कम्पोस्टिंग, आदि)	
7.	ले–आउट प्लान के साथ स्वीकृत विकास कार्यो के मानक एवं विशिष्टियों में विचलन की स्थिति(हाँ/नहीं में) यदि विचलन है, तो उसका अनुमोदन सम्बन्धित विभाग से प्राप्त किया जा चुका है (प्रमाण–पत्र संलग्न करें) अब कोई ऐसा विचलन नही है, जो सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत न हो।	
8.	आवेदक का प्रमाण–पत्र (हाँ/नहीं में)	
9.	पंजीकृत वास्तुविद्/नगर नियोजक का प्रमाण–पत्र (हाँ/नहीं में)	
10.	रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली (पंजीकृत अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति का प्रमाण–पत्र (हाँ/नहीं में)	

दिनांक :

अवर/स./अधि. अभियन्ता **स./मु.न. नियोजक** **प्राधिकृत अधिकारी**

संख्या–332/8–3–19–28विविध/17 टी0सी0

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश।

2. **उपाध्यक्ष/अध्यक्ष**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक : 19मार्च, 2019**

विषयः हाई–रिस्क भूखण्ड/भवन के ऑनलाईन मानचित्र स्वीकृत व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत है कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन आवास एवं विकास परिषद तथा 29 विकास प्राधिकरणों में upobpd.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन मानचित्र स्वीकृत करने की व्यवस्था लागू की गयी है। उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत अस्वीकृत होने वाले मानचित्रों की संख्या अत्यधिक है, 03 फरवरी, 2019 तक के आकड़ों के अनुसार कुल 20,114 आवेदनों में से अस्वीकृत आवेदनों की संख्या 6265 है मानचित्र स्वीकृत हेतु कुल प्राप्त आवेदन पत्रों में अस्वीकृत मानचित्रों की संख्या 31 प्रतिशत है जिसमें स्वतः अस्वीकृत मानचित्रों की संख्या 25 प्रतिशत है। हाई–रिस्क मानचित्रों की अस्वीकृति की स्थिति अत्यन्त असंतोषजनक है और स्वतः अस्वीकृत होने वाले मानचित्रों में आगरा 83 प्रतिशत, खुर्जा 71 प्रतिशत, लखनऊ 66 प्रतिशत, प्रयागराज 66 प्रतिशत एवं गोरखपुर 65 प्रतिशत की स्थिति सबसे खराब है। इस सम्बन्ध में आगरा, प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली, लखनऊ एंव गोरखपुर में अस्वीकृत होने वाले कतिपय मानचित्रों की समीक्षा किये जाने पर स्थिति निम्नवत् पाई गयी हैः–

(1) अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के अस्वीकृत 38 मानचित्रों के परीक्षण किये जाने पर यह पाया गया कि दो प्रकरण ऐसे है जिसमें हार्ड कापी मांगी गयी है और 30 दिन के अन्दर जमा न होने के कारण स्वतः अस्वीकृत हो गया है, 21 मानचित्र स्वीकृत ले–आउट एरिया से बाहर होने के कारण, एक प्रकरण डबल फाईल के कारण, एक प्रकरण धनराशि जमा न होने के कारण, चार प्रकरण भू–उपयोग के विपरीत होने के कारण एवं तीन प्रकरण अन्य कारणों से निरस्त किये गये है। आवेदकों से फीडबैक लिए जाने के उपरान्त चार प्रकरण ऐसे पाये गये जिसमें मानचित्र अस्वीकृत के बाद ऑफलाईन कार्यवाही की गयी है।

(2) प्रयागराज विकास प्राधिकरण के कुल परीक्षण किये गये 126 अस्वीकृत मानचित्रों में 70 प्रकरणों में हार्ड कापी 30 दिन के भीतर जमा न होने के कारण, 46 प्रकरण में कोई भी अभिलेखों अपलोड न किये जाने के कारण, निरस्त हुए है। आवेदकों से वार्ता के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया कि 43 प्रकरणों में आफलाईन कार्यवाही की गयी है।

(3) आगरा विकास प्राधिकरण के परीक्षण किये गये 41 मानचित्रों में 14 मानचित्र हार्ड कापी जमा न होने के कारण, और शेष 27 मानचित्र आपत्ति का निराकरण न होने के कारण निरस्त है। आवेदकों से वार्ता के उपरान्त ये तथ्य संज्ञान में आया कि 22 प्रकरणों में आफलाईन कार्यवाही की जा रही है।

(4) लखनऊ विकास प्राधिकरण के परीक्षण किये गये 40 मानचित्रों में 39 मानचित्र हार्ड कापी न प्रस्तुत करने के कारण एवं 1 मानचित्र में आपत्ति का निराकरण न होने के कारण निरस्त हुआ

है। आवेदकों से वार्ता के उपरान्त ये तथ्य संज्ञान में आया कि 9 प्रकरणों में हार्ड कापी जमा होना बताया गया है जिसमे आफलाईन कार्यवाही की जा रही है।

(5) बरेली विकास प्राधिकरण के परीक्षण किये गये 22 मानचित्रों में 8 मानचित्र हार्ड कापी जमा न होने और शेष आपत्तियों के निराकरण न करने के कारण निरस्त किये गये है। आवेदकों से हुई वार्ता के उपरान्त ये तथ्य संज्ञान में आया कि 4 प्रकरणों में आफलाईन कार्यवाही की जा रही है।

(6) गोरखपुर विकास प्राधिकरण के परीक्षण किये गये 36 मानचित्रों में 29 मानचित्र हार्ड कापी जमा न के कारण, 2 मानचित्र धनराशि जमा न होने के कारण एवं शेष 5 मानचित्र आपत्ति का निराकरण न होने के कारण अस्वीकृत किये गये है। आवेदकों से वार्ता के उपरान्त ये तथ्य प्रकाश में आया कि 21 प्रकरणों में आफलाईन कार्यवाही गतिमान है।

2– उपरोक्त 6 प्राधिकरणों के हाई–रिस्क मानचित्रों के परीक्षण से स्पष्ट है कि सभी प्राधिकरणों में हाई–रिस्क मानचित्र के संबंध में निम्नवत् कार्यवाही की जा रही है:–

(1) हाई–रिस्क के मानचित्र ऑन–लाईन प्रस्तुत किये जाने के बाद उनकी हार्ड कापी मांगी जाती है और अधिकांश मामलों में 30 दिनों के अन्दर हार्ड कापी प्रस्तुत न होने पर मानचित्र स्वतः निरस्त हो जाता है।

(2) मानचित्र निरस्त होने के बाद जिन मामलों में हार्ड कापी प्रस्तुत की जा रही है उसमें अधिकांश मामलों में आगे की कार्यवाही ऑफ लाईन ही की जाती है। जिससे मानचित्र स्वीकृत होने के बाद भी ऑनलाईन सिस्टम में अस्वीकृत ही दिखता है।

(3) जिन मामलों में आपत्ति का निराकरण 30 दिन में नहीं किया जाता उसमें भी मानचित्र स्वतः अस्वीकृत हो जाते है। पुनः आपत्ति का निराकरण होने पर अधिकांश मामलों में ऑफलाईन कार्यवाही की जाती है।

(4) मानचित्र की स्वीकृति भी उपरोक्त मामलों में ऑफलाईन ही जारी की जा रही है।

3– उक्त के दृष्टिगत प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हाई–रिस्क मानचित्रों के ऑनलाइन व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु निम्नवत् कार्यवाही सुनिश्चित की जाय :–

(1) आवास एवं विकास परिषद एवं सभी विकास प्राधिकरण सुनिश्चित करें कि मानचित्र हेतु प्राप्त आवेदन पर समस्त आपित्तयों के संबंध में 7 दिन के भीतर आवेदक को सूचना प्रेषित कर दी जाय।

(2) कोई भी मानचित्र स्वतः निरस्त होने की दशा में ऑनलाईन पुनर्जीवित करने के बाद ही अग्रिम कार्यवाही ऑनलाईन ही सुनिश्चित की जाय।

(3) मानचित्र स्वीकृत के संबंध में कोई भी कार्यवाही किसी भी दशा में ऑफलाईन नहीं की जाय।

(4) आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद एवं उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण इस प्रकार के ऑफलाईन प्रकरणों की स्वयं नियमित समीक्षा करें एवं प्रगति रिपोर्ट आवास बन्धु को उपलब्ध करायें।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव,

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की शासकीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

मनीष चन्द्र श्रीवास्तव
अनु सचिव।

संख्या–351/8–3–19–36विविध/16 टी0सी0

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश।
2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
3. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक : 28 मार्च, 2019**

विषयः भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु निरीक्षण प्रकिया एवं चेक लिस्ट में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या– 259/8–3–19–36 विविध/16 टी0सी0 दिनांक 28.02.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु निरीक्षण प्रकिया एवं चेक लिस्ट जारी की गई है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश संख्या–259/8–3–19–36 विविध/16 टी.सी. दिनांक 28.02.2019 द्वारा निर्गत भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु निरीक्षण प्रकिया एवं चेक लिस्ट के अन्तर्गत चेक लिस्ट–1 के कमांक–16, चेक लिस्ट–2 के कमांक–15 एवं चेक लिस्ट–3 के कमांक–7 को विलोपित किया जाता है तथा उक्त शासनादेश के शेष प्राविधान यथावत प्रभावी रहेंगे। कृपया उक्त प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(2) निदेशक (प्रशासन), आवास बन्धु उ0प्र0 लखनऊ।
(3) निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि समस्त सम्बन्धित को तामील कराते हुए विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
(4) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

संजय कुमार सिंह
उप सचिव।

विकास / निर्माण योजनाएं

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त,**
उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।
3. **आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
4. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।
5. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।
6. **नगर आयुक्त,**
समस्त नगर निगम,
उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ; दिनांक 18 फरवरी, 2019**

विषयः– आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अवस्थापना सुविधाओं के विकास मद के अन्तर्गत शहर के विकास के दृष्टिकोण से कराये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यो के प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या – 150/आठ–1–19–58 बजट/2018 दिनांक 23.01.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा निम्नलिखित कार्यों से सम्बन्धित आगणन/डी0पी0आर0 ही आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं:–

(1) यातायात सुधार सम्बन्धी कार्य।

(2) मिसिंग लिंक रोड सम्बन्धी कार्य।

(3) पार्किंग निर्माण सम्बन्धी कार्य।

(4) सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सम्बन्धी कार्य।

(5) सार्वजनिक शौचालय निर्माण सम्बन्धी कार्य।

(6) सौर ऊर्जा स्थापना सम्बन्धी कार्य।

(7) जलाशयों (वाटरवाडिज) के पुनरोद्धार/पुनर्जीवन सम्बन्धी कार्य।

(8) मास्टर प्लान के अन्तर्गत सड़क निर्माण सम्बन्धी कार्य।

(9) चौराहों के सुन्दरीकरण सम्बन्धी कार्य।

(10) सड़कों के नवनिर्माण/चौड़ीकरण सम्बन्धी कार्य।

(11) पार्कों की स्थापना सम्बन्धी कार्य।

(12) फुटओवरब्रिज निर्माण सम्बन्धी कार्य।

3– प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास मद से कराये जाने वाले चिन्हित उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त नयी नाली का निमार्ण एवं जल निकासी व्यवस्था सुदृढ़ीकरण सम्बन्धी कार्य भी समाहित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त उल्लिखित कार्यों से ही सम्बन्धित आगणन/डी0पी0आर0 आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को विचारार्थ उपलब्ध कराया जाए। कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

5– शासनादेश दिनांक 23.01.2019 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, लखनऊ।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0।
5. निदेशक आवास बन्धु, उ0प्र0।
6. समस्त अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

संख्या–834/आठ–1–19–58 बजट/2018

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त,**
उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।
3. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
4. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्रधिकरण,
उ0प्र0।
5. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास
प्राधिकरण, उ0प्र0।
6. **नगर आयुक्त,**
समस्त नगर निगम,
उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांक 06 जून, 2019**

विषयः–आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अवस्थापना सुविधाओं के विकास मद के अन्तर्गत शहर के विकास के दृष्टिकोण से कराये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यो के प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने सम्बंधी दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–150/आठ–1–19–58बजट/2018 दिनांक 23.01.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा निम्नलिखित कार्यो से सम्बंधित आगणन/डी0पी0आर0 ही आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैः–

(1) यातायात सुधार सम्बंधी कार्य।
(2) मिसिंग लिंक रोड सम्बंधी कार्य।
(3) पार्किंग निर्माण सम्बंधी कार्य।
(4) सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सम्बंधी कार्य।
(5) सार्वजनिक शौचालय निर्माण सम्बंधी कार्य।
(6) सौर ऊर्जा स्थापना सम्बंधी कार्य।
(7) जलाशयों (वाटरवाडिज) के पुनरोद्धार/पुनर्जीवन सम्बंधी कार्य।

–2–

(8) मास्टर प्लान के अन्तर्गत सड़क निर्माण सम्बंधी कार्य।

(9) चौराहों के सुन्दरीकरण सम्बंधी कार्य।

(10) सड़कों के नवनिर्माण/चौड़ीकरण सम्बंधी कार्य।

(11) पार्को की स्थापना सम्बंधी कार्य।

(12) फुटओवरब्रिज निर्माण सम्बंधी कार्य।

3– सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या–333/आठ–1–19–58बजट/2018 दिनांक 18.02.2019 के माध्यम से उपर्युक्त कार्यो के अतिरिक्त नयी नाली का निर्माण एवं जल निकासी व्यवस्था सुदृढ़ीकरण सम्बंधी कार्य भी सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया।

4– प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास मद से कराये जाने वाले चिन्हित उपर्युक्त कार्यो के अतिरिक्त विद्युतीकरण, सीवर लाइन, एस0टी0पी0, जलापूर्ति एवं जल संरक्षण सम्बंधी कार्य भी समाहित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

5– अतः इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त उल्लिखित कार्यो से ही सम्बंधित आगणन/डी0पी0आर0 आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को विचारार्थ उपलब्ध कराया जाए। कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

6– शासनादेश दिनांक 18.02.2019 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, लखनऊ।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0।
5. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0।
6. समस्त अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव

वित्तीय प्रबन्धन

संख्या:698/आठ-1-18-12बजट/2015

प्रेषक,

अमिताभ प्रकाश,
विशेष् सचिव,
उ0प्र 0शासन।

सेवा में,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांक 17 मई, 2018**

विषयः-जनपद-लखनऊ के राजीव गांधी प्रथम वार्ड के अर्न्तगत विराट खण्ड में म0सं0-1/244 से म0सं0-1/156 होते हुए राशि ट्रेडर्स कान्सप्ट कोचिंग के पास तक नाली व साइड पटरी पर इण्टरलाकिंग निर्माण एवं सड़क सुधार/पुर्ननिर्माण कार्य से सम्बन्धित परियोजना की अवशेष वित्तीय स्वीकृति (2018-19) के सम्बंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नगर आयुक्त, लखनऊ नगर निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-215(ए)/एनएएस-4, दिनांक 23.04.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल महोदय, **जनपद-लखनऊ के राजीव गांधी प्रथम वार्ड के अर्न्तगत विराट खण्ड में म0सं0-1/244 से म0सं0-1/156 होते हुए राशि ट्रेडर्स कान्सप्ट कोचिंग के पास तक नाली व साइड पटरी पर इण्टरलाकिंग निर्माण एवं सड़क सुधार/पुर्ननिर्माण कार्य कराये जाने सम्बन्धी परियोजना हेतु** अवशेष धनराशि **रू0 14,82,500/- (रूपये चौदह लाख बयासी हजार पाँच सौ मात्र)** चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) आहरित की गयी धनराशि किसी बैंक/डिपाजिट खाते/पी0एल0ए0/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि प्रस्तावित कार्यों पर अनुमोदित लागत की सीमा तक व्यय की जायेगी, अन्य किसी योजना पर व्यावर्तन नहीं किया जायेगा। स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन एवं महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को दी जायेगी। आहरित धनराशि कार्यदायी संस्था-नगर निगम लखनऊ को तुरन्त उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त प्रायोजना का प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा।

(4) कार्य की विशिष्टियों, मानक गुणवत्ता तथा कार्य एवं फण्डिंग की द्विरावृति न हो, अर्थात इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, यह नगर निगम, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) समस्त कार्य अनुमोदित लागत की सीमा में ही पूर्ण कर लिये जायेंगे। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था-नगर निगम, लखनऊ का होगा। भविष्य में इन सड़कों/नालियों का अनुरक्षण नगर निगम, लखनऊ द्वारा किया जायेगा।

(6) कार्यदायी संस्था-नगर निगम लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से टुकड़ों में अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गयी है।

(7) कार्यदायी संस्था-लखनऊ नगर निगम द्वारा परियोजना निर्माण हेतु समस्त आवश्यक वैधानिक अनापतियों एवं पर्यावरर्णीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण कार्य कराया जायेगा।

(8) उक्त परियोजना की नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग तथा कार्यदायी संस्था-लखनऊ नगर निगम होगी। कार्यदायी संस्था-लखनऊ नगर निगम द्वारा नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के माध्यम से स्वीकृत कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(10) कार्यदायी संस्था-नगर निगम, लखनऊ को सेन्टेज देय नहीं होगा। कार्यदायी संस्था द्वारा लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

(11) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, **2018** के प्राविधान के अनुरूप किया जायेगा।

(12) उक्त वित्तीय स्वीकृति परियोजना से संबंधित मूल शासनादेश संख्या-35/2015/346/आठ-1-15-12बजट/2015, दिनांक 18 फरवरी, **2016** में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन है।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के **"लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनाएं-800-अन्य व्यय-05-लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास मद-24-वृहत निर्माण कार्य"** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त ।

भवदीय,
अमिताभ प्रकाश
विशेष सचिव।

संख्या:698(1)/आठ-1-18, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ ।
7. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8. वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, गोमतीनगर, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
10. नियोजन अनुभाग-4, उ.प्र. शासन।
11. निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अप-लोड करने हेतु।
12. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र 0शासन को इस अनुरोध के साथ कि उक्त धनराशि का कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13. निदेशक (प्रशासन), आवास बन्धु, लखनऊ।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

संख्या:1/2019/114/8-3-19-25विविध/18

प्रेषक,

मनीष चन्द्र श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 05 मार्च, 2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण हेतु गैर वेतन मद में प्राविधानित धनराशि की द्वितीय किश्त की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-254/यू.पी.-रेरा/लेखा/2018-19 दिनांक 18.01.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में गैर वेतन मद में प्राविधानित धनराशि रू0 244.50 लाख में से अवशेष रू0 122.25 लाख की द्वितीय किश्त शीघ्रतम निर्गत कराने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30.03.2018 द्वारा प्रदत्त/प्राविधानित अधिकारों के तहत श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) हेतु अनुदान संख्या-2 के लेखा शीर्षक-2217 शहरी विकास-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-05-उ0प्र0 भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित कुल रू0 244.50 लाख (रूपये दो सौ चौवालीस लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि में से द्वितीय किश्त के रूप में रू0 122.25 लाख की धनराशि के भुगतान हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 122.25 लाख (रूपये एक सौ बाइस लाख पचीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के संगत खण्डों/नियमों तथा शासनादेशों में की व्यवस्थाओं के अनुरूप किया जायेगा तथा किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं है।

4- कृपया वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16ए में दिये गये सहायक अनुदान के सामान्य नियमोंस्थायी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। कार्यात्मक आवश्यकतानुसार कोषागार से धनराशि आहरित कर लिया जाय एवं स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक, डिपाजिट खाते में न रखी जाय। उपकरणों, आदि का क्रय स्टोर पर्चेज रूल्स एवं संगत वित्तीय नियमों के तहत किया जायेगा।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु प्राधिकरण द्वारा तैयार किये गये देयको पर सचिव, भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

6- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-2 के ''लेखा शीर्षक-2217 शहरी विकास-80-सामान्य 800-अन्य व्यय 05-उ0प्र0 भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) '' के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30.03.2018 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या-1/2019/114(1)/8-3-19-25 विविध/18-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार उ0प्र0, प्रयागराज।
2. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
3. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त बजट आवंटन को इन्टरनेट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 एवं 2
6. आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1
7. अनुभाग अधिकारी (लेखा), आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त बजट आवंटन को इन्टरनेट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-2/2019/ 19एन.सी.आर. /आठ-2-2019-05एन.सी.आर./17टी0सी0

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम,
नई दिल्ली।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक- 08 मार्च, 2019

विषय- वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-2 के लेखाशीर्षक-4217 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना में उत्तर प्रदेश सरकार के अंश के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-NCRTC/Govt. of UP/11(Part-II)/475, दिनांक 07.01.2019 तथा शासनादेश संख्या-1/2019/617/आठ-2-2019-05एन0सी0आर0/17 दिनांक 07.03.2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना की कुल लागत रू0 30274 करोड़ के सापेक्ष उत्तर प्रदेश सरकार की सहभागिता रू0 6048 करोड़ (रू0 4726 करोड़ वित्तीय सहायता, रू0 923 करोड़ स्टेट जी0एस0टी0 छूट तथा रू0 399 करोड़ की सरकारी भूमि) के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में रू0 2,50,00,00,000/- (रू0 दो अरब पचास करोड़ मात्र) आहरित कर प्रबंध निदेशक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को उपलब्ध कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्निलखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप समयान्तर्गत सम्पादित कराये जायं ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हों।

(2) एन0सी0आर0टी0सी0 द्वारा यथावश्यक वैधानिक अनापतियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1- 375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 तथा उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वितीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) एन0सी0आर0टी0सी0 द्वारा समस्त कार्य परियोजना की डी.पी.आर., डी.पी.आर. परिशिष्ट, इसकी संशोधित योजना, जिसका अनुमोदन भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा किया गया है की शर्तों के अनुरूप ही सुनिश्चित कराया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) एन0सी0आर0टी0सी0 यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(8) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपभोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2019 तक कर लिया जाय तथा कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रत्येक दशा में दिनांक 30 अप्रैल, 2019 तक उत्तर प्रदेश सरकार को निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(9) एन0सी0आर0टी0सी0 द्वारा परियोजना की मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति निर्धारित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश सरकार एवं सभी सम्बन्धित हितधारकों को उपलब्ध करायी जायेगी।

(10) परियोजना हेतु अवशेष किश्त/धनराशि की मांग करते समय निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा बी0एम0-15 प्रपत्र पर मांग कार्ययोजना के साथ उपलब्ध करायी जायेगी।

(11) स्वीकृति धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के "लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-08-दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8-748/दस-2019, दिनांक 08 मार्च, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-2/2019/19एन.सी.आर. /आठ-2-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, (प्रथम एवं द्वितीय) उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) उ0प्र0, प्रयागराज।
3. सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण, वाह्य सहायतित परियोजना, ऊर्जा, परिवहन, नगर विकास, गृह वित्त, औद्योगिक विकास, राजस्व तथा नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. विशेष सचिव एवं स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
7. आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उ0प्र0 प्रभाग, गाजियाबाद।
8. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ।
9. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0।
12. आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ।
13. जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ/गाजियाबाद।
14. प्रबंध निदेशक, लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0।
15. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
16. नगर आयुक्त, मेरठ/गाजियाबाद।
17. उपाध्यक्ष, मेरठ/गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।
18. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त धनराशि का कोषागार से आहरण कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लि0 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
19. समूह महाप्रबंधक, (वित्त) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि शासनादेश की प्रति सभी सम्बन्धित को ई-मेल/फैक्स/डाक के माध्यम से उपलब्ध करायें।
20. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 01/2019/ 642/आठ-6-19/03बजट/2019

प्रेषक,

स्वामी नाथ पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 18 अप्रैल, 2019

विषय : नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 के अधिष्ठान व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 के अधिष्ठान व्यय हेतु वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में निहित प्राविधानों एवं शर्तो के अधीन अनुदान संख्या-002, मुख्य लेखा शीर्षक-2217-शहरी विकास, 03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 06-नगर एवं ग्राम नियोजन अधिष्ठान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये कुल व्यवस्थित धनराशि रू0 34,09,59,000.00 (रूपये चौतिस करोड़ नौ लाख उन्सठ हजार मात्र) को निम्नलिखित विवरण के अनुसार आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि को आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, उक्त स्वीकृत धनराशि का विवरण निम्नवत् है :-

(धनराशि लाख में)

कोड नं0	मद	वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु कुल प्राविधानित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु आवंटित/स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4
01	वेतन	2454.49	2454.49
02	मजदूरी	3.30	3.30
03	मंहगाई भत्ता	368.17	368.17
04	यात्रा व्यय	9.50	9.50
05	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	5.50	5.50
06	अन्य भत्ते	50.00	50.00
07	मानदेय	0.01	0.01
08	कार्यालय व्यय	8.80	8.80
09	विद्युत देय	50.00	50.00
10	जलकर/जल प्रभार	9.00	9.00
11	लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	5.50	5.50
12	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	4.40	4.40
13	टेलीफोन पर व्यय	4.40	4.40
14	मोटर गाडियों का क्रय	-	-
15	गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	12.50	12.50
16	व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	5.50	5.50

http://shasanadesh.up.nic.in

17	किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	30.00	30.00
19	विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	0.22	0.22
26	मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	5.50	5.50
29	अनुरक्षण	20.00	20.00
42	अन्य व्यय	0.55	0.55
44	प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	5.00	5.00
45	अवकाश यात्रा व्यय	2.20	2.20
46	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	5.00	5.00
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	10.00	10.00
49	चिकित्सा व्यय	60.00	60.00
51	वर्दी व्यय	0.55	0.55
52	पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	160.00	160.00
55	मकान किराया भत्ता	80.00	80.00
56	नगर प्रतिकर भत्ता	20.00	20.00
58	आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	20.00	20.00
	योग	3409.59	3409.59

(रूपये चौतिस करोड़ नौ लाख उन्सठ हजार मात्र)

2. उपरोक्त स्वीकृत धनराशि ''अनुदान संख्या-002, मुख्य लेखा शीर्षक-2217-शहरी विकास, 03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 06-नगर एवं ग्राम नियोजन अधिष्ठान'' के नामे डाली जायेगी।

3. स्वीकृत धनराशि व्यय करने के लिए बजट मैनुअल तथा फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों का अनुपालन किया जाय एवं जहां अन्य अधिकारियों की स्वीकृति आवश्यक हो वहां व्यय करने से पूर्व स्वीकृत अवश्य प्राप्त की जाय। नियम विरूद्व व्यय के लिये सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्राविधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय
स्वामी नाथ पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

संख्या- 01/2019/642(1)/आठ-6-19, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (प्रथम), इलाहाबाद, उ0प्र0 ।
2. सम्बन्धित समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0 ।
3. वित्त सलाहकार, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. वित्त (व्यय -नियन्त्रण) अनुभाग-8
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6. आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1
7. राज्य सूचना आयोग अनुभाग-1
8. नियोजन अनुभाग-4
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
सिद्धाशरण पाण्डेय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 02/2019/ 643/आठ-6-19/02बजट/19

प्रेषक,

स्वामी नाथ पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 18 अप्रैल, 2019

विषय : विहित प्राधिकारियों के कार्यालय अधिष्ठान व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 के विहित प्राधिकारियों के कार्यालय अधिष्ठान व्यय हेतु वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में निहित प्राविधानों एवं शर्तो के अधीन अनुदान संख्या-002 मुख्य लेखा शीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 800-अन्य व्यय, 03-विहित अधिकारियों का अधिष्ठान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये कुल व्यवस्थित धनराशि रू0 9,39,02,000.00 (रूपये नौ करोड़ उन्तालिस लाख दो हजार मात्र) को निम्नलिखित विवरण के अनुसार आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि को आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, उक्त स्वीकृत धनराशि का विवरण निम्नवत् है :-

(धनराशि लाख में)

कोड नं0	मद	वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु कुल प्राविधानित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु आवंटित/स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4
01	वेतन	735.00	735.00
03	मंहगाई भत्ता	110.25	110.25
04	यात्रा व्यय	0.75	0.75
05	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.65	1.65
06	अन्य भत्ते	8.00	8.00
07	मानदेय	0.01	0.01
08	कार्यालय व्यय	3.00	3.00
11	लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1.10	1.10
12	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.00	1.00
45	अवकाश यात्रा व्यय	2.31	2.31
49	चिकित्सा व्यय	10.00	10.00
51	वर्दी व्यय	0.20	0.20

http://shasanadesh.up.nic.in

52	पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	38.75	38.75
55	मकान किराया भत्ता	22.00	22.00
56	नगर प्रतिकर भत्ता	5.00	5.00
	कुल योग	939.02	939.02

(रूपये नौ करोड़ उन्तालिस लाख दो हजार मात्र)

3- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि ''अनुदान संख्या- 2 मुख्य लेखा शीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-800-अन्य व्यय-03-विहित अधिकारियों का अधिष्ठान'' के नामे डाली जायेगी।

4- स्वीकृत धनराशि व्यय करने के लिए बजट मैनुअल तथा फाइनेंशियल हैंडबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों का अनुपालन किया जाय एवं जहां अन्य अधिकारियों की स्वीकृति आवश्यक हो वहाँ व्यय करने से पूर्व स्वीकृत अवश्य प्राप्त की जाय एवं नियम विरूद्ध व्यय के लिए सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्राविधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय
स्वामी नाथ पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

संख्या- 02/2019/643(1)/आठ-6-19, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (प्रथम), इलाहाबाद उ0प्र0 ।
2. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त सलाहकार, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. वित्त (व्यय -नियन्त्रण) अनुभाग-8
5. वित्त (आय -व्ययक) अनुभाग-1/2
6. आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1
7. नियोजन अनुभाग-4
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
सिद्धाशरण पाण्डेय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-03/2019/ 644/आठ-6-19/01बजट/2019

प्रेषक,

स्वामी नाथ पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगर भूमि सीमारोपण,
जवाहर भवन, लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 18 अप्रैल, 2019

विषय : नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) निरसन अधिनियम,1999 के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि आवंटित/स्वीकृति जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) निरसन अधिनियम,1999 के कार्यान्वयन हेतु वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में निहित प्राविधानों एवं शर्तो के अधीन अनुदान संख्या-002, मुख्य लेखा शीर्षक-3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें, 201-भूमि सीमा (कृषि भूमि को छोड़कर), 03-शहरी भूमि सीमारोपण, 0301-मुख्यालय (निदेशालय स्तर) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये कुल व्यवस्थित धनराशि रू0 6,63,64,000.00 (रूपये छः करोड़ तिरसठ लाख चौसठ हजार मात्र) को निम्नलिखित विवरण के अनुसार आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि को आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, उक्त स्वीकृत धनराशि का विवरण निम्नवत् है :-

अनुदान संख्या-002 के लेखा शीर्षक
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें,
201-भूमि सीमा (कृषि भूमि को छोड़कर)
03-शहरी भूमि सीमारोपण,
0301-मुख्यालय (निदेशालय स्तर)

(धनराशि लाख में)

कोड नं0	मद	वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु कुल प्राविधानित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु आवंटित/स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4
01	वेतन	446.82	446.82
03	मंहगाई भत्ता	67.02	67.02
04	यात्रा व्यय	6.65	6.65
05	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.81	0.81
06	अन्य भत्ते	8.92	8.92
08	कार्यालय व्यय	2.60	2.60
09	विद्युत देय	0.40	0.40
11	लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1.41	1.41

http://shasanadesh.up.nic.in

12	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.86	0.86
13	टेलीफोन पर व्यय	0.47	0.47
16	व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	3.75	3.75
26	मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	0.39	0.39
42	अन्य व्यय	0.50	0.50
45	अवकाश यात्रा व्यय	3.50	3.50
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1.60	1.60
49	चिकित्सा व्यय	8.72	8.72
51	वर्दी व्यय	0.10	0.10
52	पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	64.12	64.12
55	मकान किराया भत्ता	33.00	33.00
56	नगर प्रतिकर भत्ता	6.00	6.00
58	आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	6.00	6.00
	कुल योग	663.64	663.64

(रूपये छः करोड़ तिरसठ लाख चौसठ हजार मात्र)

2- निदेशालय एवं 11 नगर बस्ती कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उपर्युक्त स्वीकृत समस्त धनराशि को तत्काल आवंटित कर सूचना शासन को प्राथमिकता पर उपलब्ध करायी जाय।

3- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययता संबंधी मदों में वित्तीय नियमों तथा वर्तमान में लागू आदेशों एवं वित्त संशाधन एवं केन्द्रीय सहायता अनुभाग एवं वित्त (सामान्य) अनुभाग द्वारा समय-समय पर प्रशासनिक मितव्ययता संबंधी निर्गत निर्देशों का अनुपालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाय।

4- स्वीकृत धनराशि का आहरण संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा यथा आवश्यकता धनराशि आहरित किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि आहरित कर बैंक/ डाकघर में जमा नहीं की जायेगी।

5- उपर्युक्त धनराशि के संबंध में बजट नियन्त्रक अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर नियमित रूप से व्यय-विवरण शासन के प्रशासनिक विभाग एवं वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-8 को उपलब्ध कराये जाये।

6- स्वीकृत की जा रही धनराशि को किसी भी दशा में किसी अन्य मद में शासन की बिना अनुमति के परिवर्तन कर आहरण न किया जाय।

7- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
स्वामी नाथ पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

संख्या- 03/2019/644(1)/आठ-6-19, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमारोपण-अलीगढ, आगरा, इलाहाबाद, मेरठ, बरेली, गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी एवं कानपुर।
4. कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी-अलीगढ, आगरा, इलाहाबाद, मेरठ, बरेली, गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी एवं कानपुर।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. वित्त (आय -व्ययक) अनुभाग-1/2
6. वित्त (व्यय -नियन्त्रण) अनुभाग-8
7. आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1
8. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, लखनऊ।
9. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
सिद्धाशरण पाण्डेय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या : 01/2019/529/आठ-4-2019-03स्मारक/2019

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सदस्य सचिव,

स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों व उपवनों आदि की

प्रबन्धन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति/**उपाध्यक्ष,**

लखनऊ विकास प्राधिकरण,

लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांक 23 अप्रैल, 2019**

विषयः- **स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों व उपवनों आदि की प्रबन्धन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति के कार्मिकों के वेतन-भत्तों के लिए धनराशि की स्वीकृति (वित्तीय वर्ष 2019-20) के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों व उपवनों आदि की प्रबन्धन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति के कार्मिकों के वर्ष 2019-20 के लिए अधिष्ठान व्यय (वेतन व भत्ते) के भुगतान हेतु की गयी **बजट व्यवस्था रू0 18000.00 लाख (रूपये एक अरब अस्सी करोड़ मात्र)** की धनराशि आहरित एवं व्यय किये जाने हेतु आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

1. उक्त धनराशि को कोषागार से आहरण हेतु समिति के सदस्य सचिव द्वारा हस्ताक्षरित बिल को शासन में उपलब्ध कराया जायेगा तथा शासन स्तर पर आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिल को प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।
2. धनराशि का प्रत्येक माह कोषागार से आहरण यथासंभव आनुपातिक आधार पर आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि के उपयोग के संबंध में वित्त नियम संग्रह खण्ड-5 (भाग-1) के अध्याय सोलह-ए में दिये गये सहायक अनुदान के लिए सामान्य नियमों के साथ-साथ तत्संबंधी स्थायी आदेशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. धनराशि के आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी ।
5. व्यय के प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

-2-

6. धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दि0 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक **"2217-शहरी विकास-01-राज्य की राजधानी का विकास-800-अन्य व्यय-05-स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों व उपवनों आदि की प्रबन्धन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति के कार्मिकों के वेतन-भत्ते आदि-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)"** के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव।

संख्या : 01/2019/529(1)/आठ-4-2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक)अनु0-1, उत्तर प्रदेश शासन।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
9. वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
10. निदेशक, आवास बन्धु को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. नियोजन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन।
12. लेखा प्रकोष्ठ, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मनोज कुमार मौर्य
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-2/2019/544/आठ-4-2019-19एन/2019

प्रेषक,

अपूर्वा दुबे
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा एवं बांदा।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनांक : 30 अप्रैल, 2019**

विषयः **नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण हेतु कर्मचारियों के अधिष्ठान संबंधी व्यय के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में धनराशि का आवंटन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण हेतु आपके अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारियों के अधिष्ठान व्यय हेतु श्री राज्यपाल महोदय द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-002 के लेखाशीर्षक "2029-भू-राजस्व-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-कलेक्टरों के कार्यालय(नजूल)"के अन्तर्गत प्राविधानित संलग्नक के अनुसार जनपदवार कुल धनराशि रू0 1,50,53,000/- (रूपये एक करोड़ पचास लाख तिरपन हजार मात्र) आवंटित कर आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. उक्त आवंटित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी हो, उन मामलों में व्यय से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5. 01 जनवरी,2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन के अवशेष के भुगतान के संबंध में वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-24/2017/वे0आ0-2-1149/दस-04(एम)/2016 दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों की शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6. उक्त आवंटित धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा तथा किसी भी दशा में आवंटित धनराशि से अधिक व्यय नहीं किया जायेगा।

7. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/ दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

अपूर्वा दुबे
विशेष सचिव।

संख्या-2/2019 /544(1)/आठ-4-2019, तद-दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार उ0प्र0, प्रयागराज।

2- अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व/नजूल)/आहरण एवं वितरण अधिकारी, प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा व बाँदा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया वे अपने जनपद से सम्बन्धित बजट आवंटन को निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ से सम्पर्क कर इन्टरनेट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

3- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त बजट आवंटन को इन्टरनेट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

4- कोषाधिकारी, प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा, बांदा।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

7- आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

8- अनुभाग अधिकारी (लेखा), आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त बजट आवंटन को इन्टरनेट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

9- बजट/गार्ड पत्रावली ।

आज्ञा से,

मनोज कुमार मौर्य
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-2/2019/544/आठ-4-2019-19एन/2019, दिनांक 30 अप्रैल, 2019 का संलग्नक।

अनुदान संख्या-002

लेखाशीर्षक

2029-भू-राजस्व

001-निदेशन तथा प्रशासन

03-कलेक्टरों के कार्यालय (नजूल)

धनराशि (लाख रूपये में)

मानक मद	वित्तीय वर्ष 2019-20				
	प्रयागराज	अयोध्या	मथुरा	बांदा	
1	2	3	4	5	6
01-वेतन	15.00	87.81	2.25	4.00	109.06
03-महंगाई भत्ता	2.25	13.17	0.34	0.60	16.36
04-यात्रा व्यय	0.40	0.20	0.00	0.00	0.60
06- अन्य भत्ते	0.52	3.06	0.08	0.14	3.80
07- मानदेय	0.01	0.02	0.01	0.01	0.05
08- कार्यालय व्यय	0.65	0.75	0.25	0.55	2.20
09- विद्युत व्यय	0.50	0.50	0.50	0.50	2.00
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.22	0.18	0.00	0.15	0.55
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.09	0.10	0.00	0.05	0.24
45-अवकाश यात्रा व्यय	0.34	0.10	0.00	0.06	0.50
49- चिकित्सा व्यय	0.60	1.25	0.00	0.20	2.05
51- वर्दी व्यय	0.00	0.12	0.00	0.00	0.12
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	1.00	5.90	0.05	0.05	7.00
55-मकान किराया भत्ता	0.55	3.22	0.08	0.15	4.00
56-नगर प्रतिकर भत्ता	0.14	0.80	0.02	0.04	1.00
58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	0.40	0.40	0.10	0.10	1.00
योग-	22.67	117.58	3.68	6.60	150.53

मनोज कुमार मौर्य
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या :4/2019/633/आठ-1-19-31विविध/2009

प्रेषक,

माला श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान,
विपिन खण्ड, गोमतीनगर, उ0प्र0, लखनऊ ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ:दिनांक 07 मई, 2019

विषयः- अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के अधिष्ठान व्यय (वेतन) के लिए वित्तीय स्वीकृति (वित्तीय वर्ष 2019-20) के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आहरण वितरण अधिकारी, कृते निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के पत्रांक-01/शा0अनु0/2019-20/10, दिनांक 26.04.2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के कर्मियों के अधिष्ठान व्यय (वेतन) के लिए धनराशि रू0 67.60/- लाख (रूपये सड़सठ लाख साठ हजार मात्र) आहरित कर व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि शासनादेश संख्या-1801(1)/आठ-1-09-31विविध/09, दिनांक 18 जून, 2009 में निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय की जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित करके आहरण की बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को उपलब्ध करायी जायेगी तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(3) उक्त धनराशि को कोषागार से आहरण हेतु संस्थान के निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित बिल को प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिए शासन में उपलब्ध कराये जाने पर शासन स्तर पर आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 के प्राविधान के अनुरूप किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि के उपयोग के संबंध में वित्त नियम संग्रह खण्ड-5 (भाग-1) के अध्याय सोलह-ए में दिये गये सहायक अनुदान के लिए सामान्य नियमों के साथ-साथ तत्संबंधी स्थायी आदेशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(6) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान द्वारा मदवार व्यय का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन एवं महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) अनुदान के सदुपयोग हेतु संस्थान की गवर्निंग कौंसिल उत्तरदायी होगी तथा संस्थान के लेखों का आडिट स्थानीय निधि लेखा परीक्षा से कराया जायेगा।

(9) यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति/अनुमोदन अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा।

(10) उपकरणों आदि का क्रय स्टोर परचेज रूल्स एवं संगत वित्तीय नियमों के तहत किया जायेगा।

(11) स्वीकृत धनराशि का व्यय संस्थान के नवीन निर्माणाधीन भवन के फर्नीशिंग इत्यादि कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-06-अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश-31-सहायता अनुदान-सामान्य(वेतन)" के अन्तर्गत प्राथमिकता इकाईयों के नामे डाला जायेगा:-

(धनराशि लाख रूपये में)

67.60

31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
माला श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या :4/2019/633(1)/आठ-1-19, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, कानपुर।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. अध्यक्ष, अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, विपिन खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
7. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, शासन।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
9. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
10. निदेशक, आवास बन्धु को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. निदेशक (प्रशासन), आवास बन्धु लखनऊ।
12. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
13. नियोजन अनुभाग-4, उ.प्र. शासन।
14. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

संख्या :-5/2019/584/आठ-1-19-50बजट/2014

प्रेषक,

माला श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक- 18 मई, 2019

विषयः- लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन को भूमि हेतु सब-ऑर्डिनेट ऋण की बजट व्यवस्था के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि (वित्तीय वर्ष 2019-20) की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक वित्त, लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0, लखनऊ के पत्रांक-3061/एल0एम0आर0सी0/एफ-4/v, दिनांक 04.04.2019, शासनादेश सं0-868/आठ-1-17-50बजट/2014, दि0-08.06.2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, लखनऊ में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु गठित लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन (एल.एम.आर.सी.) नामक विशेष प्रयोजन साधन (एस.पी.बी.) के डी0पी0आर0 में राज्य सरकार द्वारा भूमि हेतु 'सब-आर्डिनेटडेट' ऋण के रूप में मात्राकृत धनराशि रू0 16.95 करोड़ के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि रु0 **16,95,00000/-** (रूपये सोलह करोड़ पच्चानवे लाख मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में आहरित कर लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0, लखनऊ को भूमि हेतु सब-ऑर्डिनेट ऋण के रूप में उपलब्ध कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना को भूमि हेतु उपलब्ध कराया जा रहा सब-आर्डिनेट ऋण ब्याज मुक्त होगा तथा उक्त ऋण का प्रतिदान ऋण की अदायगी प्रधान ऋण के भुगतान किये जाने के पश्चात आगामी 10 वर्षों में समान वार्षिक किश्तों में लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन, लखनऊ द्वारा समय से किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 से अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन की होगी तथा लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(4) प्रश्नगत स्वीकृति परिव्यय के अन्तर्गत ही निर्गत की जायेगी। लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा यथावश्यक नियोजन विभाग की सहमति प्राप्त कर ली जाये।

(5) स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरितधनराशि बैंक/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(6) लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(9) लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(10) लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डर्ड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा वैधानिक आपत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही परियोजना निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(12) लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा परियोजना की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के "लेखाशीर्षक-6217-शहरी विकास के लिए कर्ज-01-राज्य की राजधानी का विकास-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-04-लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन को **भूमि हेतु सब-ऑर्डिनेट ऋण-30-निवेश/ऋण**" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8-1131/दस-2019, दिनांक- 08 मई, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा हैं।

भवदीय,
माला श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या-5/2019/584/(1)/आठ-1-19, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (प्रथम एवं द्वितीय), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा), उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0 लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 एवं 2।
9. नियोजन अनुभाग-4।
10. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि उक्त धनराशि का कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. निदेशक (प्रशासन), आवास बन्धु, लखनऊ।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

संख्या–914/आठ–1–19–43एलडीए/2006टी0सी0(ए)

प्रेषक,

माला श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांक : 18 जून, 2019**

विषयः सी0एस0आई0 टावर्स, गोमतीनगर, लखनऊ के बहुमंजिली आवासीय भवनों के वार्षिक रख–रखाव कार्यो की वित्तीय स्वीकृति (2019–20) के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, सी0एस0आई0 टावर्स वेलफेयर कमेटी लखनऊ के पत्र संख्या–सी0एस0आई0(टी0/26), दिनांक 31.05.2019, शासनादेश संख्या–116/आठ–1–19–43एलडीए/2006टी.सी.(ए), दिनांक 12.02.2019 एवं शासनादेश संख्या–1472/आठ–1–18–43एलडीए/2006टी.सी.(ए), दिनांक 23.08.2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, सी0एस0आई0 टावर्स, गोमतीनगर, लखनऊ के बहुमंजिली आवासीय भवनों के वार्षिक मरम्मती कार्यों एवं रख–रखाव हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में बजट प्राविधानित धनराशि रू0 125.00 लाख में से गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में अवशेष दो लाख की धनराशि को समायोजित करते हुए प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि **रू0 60.50 लाख/–(रूपये साठ लाख पचास हजार मात्र)** चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धो के अधीन प्रदान करते हैं:–

(1) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(2) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य या मद में किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को दी जायेगी। आहरित धनराशि आवास विकास परिषद को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) उपलब्ध कराये गये आगणन के अनुसार प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–6 के अध्याय–12 के प्रस्तर–318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(5) उक्त कार्य हेतु कार्यदायी संस्था, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ होगी। समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(6) कार्य की विशिष्टियों मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था–उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ की होगी। कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित अवधि में ही पूर्ण हो जाय। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(7) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजनान्तर्गत ऐसे कार्य मद जो बाजार दरों पर आधारित है/वॉट–आउट आइटम्स के कार्य मदों का कय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर न्यूनतम आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(8) कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

(9) कार्यदायी संस्था द्वारा संबंधित धनराशि का व्यय वित्त विभाग के विभिन्न शासनादेशों/नियमों एवं वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–1/2019/बी–1–170/दस–2019–231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा क्रियान्वित किये जाने वाले कार्यों में वित्त विभाग के अधिष्ठान व्यय संबंधी शासनादेश संख्या–ए–2–23/दस–2011–17(84)/75 दिनांक 25 जनवरी, 2011 के अनुसार निर्माण कार्यों की लागत में 5 प्रतिशत की कमी करते हुए 12.5 प्रतिशत अधिष्ठान व्यय, 02 प्रतिशत कन्टीजेन्सी तथा एक प्रतिशत लेबर सेस अनुमन्य होगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक, डिपाजिट खाते में न रखने, उपकरणों आदि का क्रय स्टोर पर्चेस रूल्य एवं संगत वित्तीय नियमों के तहत किया जाना कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) स्वीकृत धनराशि के उपयोग के संबंध में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 5–(भाग–1) के अध्याय सोलह–ए में दिये गये सहायक अनुदान के लिए सामान्य नियमों के साथ–साथ तत्संबंधी स्थायी आदेशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–2 के "लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास (आयोजनेत्तर) –80–सामान्य–800–अन्य व्यय–06–सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट के ट्रांजिट हास्टल का रख–रखाव–20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर–वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–1/2019/बी–1–170/दस–2019–231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्राविधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

माला श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या– 914(1)/आठ–1–19, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
4. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. सचिव, सी0एस0आई0 टावर्स वेलफेयर कमेटी, विपिनखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता (अनुरक्षण), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ।
9. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. निदेशक, आवास बन्धु को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–8, उत्तर प्रदेश शासन।
12. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन। (लेखानुभाग) को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरणकर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13. नियोजन अनुभाग–4, उ0प्र0 शासन।
14. निदेशक (प्रशासन), आवास बन्धु, लखनऊ।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

संख्या:6/2019/1025/आठ-1-19-66बजट/2018

प्रेषक,

पवन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 31 जुलाई, 2019

विषयः- लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न नगरों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास मद (समग्र विकास) के अन्तर्गत अभियंत्रण खण्ड-4 के अन्तर्गत चिनहट राजीव गांधी प्रथम एवं रफी अहमद किदवई वार्ड में नाली इण्टरलाकिंग एवं सड़क सुधार/नव-निर्माण कार्य कराये जाने संबंधी परियोजना की वित्तीय स्वीकृति (2019-20) के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-डी-163/एन0ए0एस0-4, दिनांक 26.06.2019 एवं शासनादेश संख्या-2447/आठ-1-18-66बजट/2018, दिनांक 27.12.2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न नगरों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास मद (समग्र विकास) के अन्तर्गत अभियंत्रण खण्ड-4 के अन्तर्गत चिनहट राजीव गांधी प्रथम एवं रफी अहमद किदवई वार्ड में नाली इण्टरलाकिंग एवं सड़क सुधार/नव-निर्माण कार्य कराये जाने संबंधी परियोजना की प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित लागत रू0 445.46 लाख + जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि रू0 222.73 लाख (रूपये दो करोड़ बाईस लाख तिहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी नगर निगम लखनऊ की होगी तथा नगर निगम लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(3) स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक /डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) नगर निगम लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 के संगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(7) नगर निगम लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(8) नगर निगम लखनऊ/कार्यदायी संस्था द्वारा लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

(9) नगर निगम लखनऊ द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(10) नगर निगम लखनऊ द्वारा प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा लगायी गयी समस्त शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(12) कार्यदायी संस्था/नगर निगम, लखनऊ को सेन्टेज देय नहीं होगा। कार्यदायी संस्था द्वारा 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

(13) उक्त धनराशि का भुगतान वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं शर्तों के अन्तर्गत ही किया जायेगा तथा बजट मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(14) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को दी जायेगी। आहरित धनराशि कार्यदायी संस्था-नगर निगम लखनऊ को तुरन्त उपलब्ध करायी जायेगी।

(15) उक्त परियोजना की नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा कार्यदायी संस्था-नगर निगम लखनऊ होगी। कार्यदायी संस्था-नगर निगम लखनऊ द्वारा नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के माध्यम से स्वीकृत कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के "लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-800-अन्य व्यय-05-लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास (चालू कार्य)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
पवन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या :6/2019/1025(1)/आठ-1-19, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखाएवंहकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, लखनऊ।
5. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, आवास बन्धु को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
10. नियोजन अनुभाग-4, उ.प्र. शासन।
11. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन। (लेखा अनुभाग) को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को धनराशि उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. निदेशक (प्रशासन), आवास बन्धु, लखनऊ।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

http://bhasanadesh.up.nic.in

संख्या:7/2019/1026 /आठ-1-19-64बजट/2018

प्रेषक,

पवन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 01 अगस्त, 2019

विषयः- लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न नगरों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास मद के अन्तर्गत अभियंत्रण खण्ड जोन-4 के अन्तर्गत चिनहट प्रथम वार्ड के विनायकपुरम, गौरव विहार, विहारीपुरम, गंगा विहार, आर0के0 पुरम, चक मल्हौरी एवं अशरफ विहार में नाली, इण्टरलाकिंग एवं सडक सुधार/नव-निर्माण कार्य कराये जाने संबंधी परियोजना की वित्तीय स्वीकृति (2019-20) के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-डी-164/एन0ए0एस-4, दिनांक 26.06.2019 एवं शासनादेश संख्या-1604/आठ-1-18-64बजट/2018 दिनांक 28.12.2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न नगरों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास मद के अन्तर्गत अभियंत्रण खण्ड जोन-4 के अन्तर्गत चिनहट प्रथम वार्ड के विनायकपुरम, गौरव विहार, विहारीपुरम, गंगा विहार, आर0के0 पुरम, चक मल्हौरी एवं अशरफ विहार में नाली, इण्टरलाकिंग एवं सडक सुधार/नव-निर्माण कार्य कराये जाने संबंधी परियोजना की प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित लागत रू0 499.22 लाख + जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि रू0 249.61 लाख (रूपये दो करोड उनचास लाख इकसठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी नगर निगम लखनऊ की होगी तथा नगर निगम लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(3) स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) नगर निगम लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 के संगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(7) नगर निगम लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(8) नगर निगम लखनऊ/कार्यदायी संस्था द्वारा लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

(9) नगर निगम लखनऊ द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(10) नगर निगम लखनऊ द्वारा प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा लगायी गयी समस्त शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(12) कार्यदायी संस्था/नगर निगम, लखनऊ को सेन्टेज देय नहीं होगा। कार्यदायी संस्था द्वारा 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

(13) उक्त धनराशि का भुगतान वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं शर्तों के अन्तर्गत ही किया जायेगा तथा बजट मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(14) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को दी जायेगी। आहरित धनराशि कार्यदायी संस्था-नगर निगम लखनऊ को तुरन्त उपलब्ध करायी जायेगी।

(15) उक्त परियोजना की नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा कार्यदायी संस्था-नगर निगम लखनऊ होगी। कार्यदायी संस्था-नगर निगम लखनऊ द्वारा नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के माध्यम से स्वीकृत कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के "लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-800-अन्य व्यय-05-लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास (चालू कार्य)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
पवन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या :7/2019/1026(1)/आठ-1-19, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखाएवंहकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, लखनऊ।
5. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, आवास बन्धु को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
10. नियोजन अनुभाग-4, उ.प्र. शासन।
11. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन। (लेखा अनुभाग) को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को धनराशि उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. निदेशक (प्रशासन), आवास बन्धु, लखनऊ।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

संख्या:8/2019/1344 /आठ-1-19-60बजट/2018

प्रेषक,

पवन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 06 अगस्त, 2019

विषयः- लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न नगरों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास मद के अन्तर्गत अभियंत्रण जोन-3 के अन्तर्गत जानकीपुरम-1, 2, अलीगंज, अयोध्यादास, मनकामेश्वर, फैज्जुलागंज एवं लाला लाजपतराय वार्डों में नाली, इण्टरलाकिंग एवं सड़क सुधार/नव-निर्माण कार्य कराये जाने संबंधी परियोजना की वित्तीय स्वीकृति (2019-20) के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-डी-191/एन0ए0एस0-3, दिनांक 29.06.2019 एवं शासनादेश संख्या-2446/आठ-1-18-60बजट/2018, दिनांक 27.12.2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न नगरों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास मद के अन्तर्गत अभियंत्रण जोन-3 के अन्तर्गत जानकीपुरम-1, 2, अलीगंज, अयोध्यादास, मनकामेश्वर, फैज्जुलागंज एवं लाला लाजपतराय वार्डों में नाली, इण्टरलाकिंग एवं सड़क सुधार/नव-निर्माण कार्य कराये जाने संबंधी परियोजना की प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित लागत रू0 464.68 लाख + जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि रू0 232.34 लाख (रूपये दो करोड़ बत्तीस लाख चौतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी नगर निगम लखनऊ की होगी तथा नगर निगम लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(3) स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक /डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) नगर निगम लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 के संगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(7) नगर निगम लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(8) नगर निगम लखनऊ/कार्यदायी संस्था द्वारा लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

(9) नगर निगम लखनऊ द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(10) नगर निगम लखनऊ द्वारा प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा लगायी गयी समस्त शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(12) कार्यदायी संस्था/नगर निगम, लखनऊ को सेन्टेज देय नहीं होगा। कार्यदायी संस्था द्वारा 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

(13) उक्त धनराशि का भुगतान वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं शर्तों के अन्तर्गत ही किया जायेगा तथा बजट मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(14) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को दी जायेगी। आहरित धनराशि कार्यदायी संस्था-नगर निगम लखनऊ को तुरन्त उपलब्ध करायी जायेगी।

(15) उक्त परियोजना की नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा कार्यदायी संस्था-नगर निगम लखनऊ होगी। कार्यदायी संस्था-नगर निगम लखनऊ द्वारा नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के माध्यम से स्वीकृत कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के "लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-800-अन्य व्यय-05-लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास (चालू कार्य)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
पवन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या :8/2019/1344 (1)/आठ-1-19, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखाएवंहकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, लखनऊ।
5. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, आवास बन्धु को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
10. नियोजन अनुभाग-4, उ.प्र. शासन।
11. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन। (लेखा अनुभाग) को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को धनराशि उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. निदेशक (प्रशासन), आवास बन्धु, लखनऊ।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

संख्या:9/2019/1038/आठ-1-19-81बजट/2018

प्रेषक,

पवन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 07 अगस्त, 2019

विषयः- लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न नगरों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास मद (समग्र विकास) के अन्तर्गत अभियंत्रण खण्ड-8 के अन्तर्गत शारदा नगर प्रथम वार्ड में नाली एवं सड़क का सुधार/नव-निर्माण कार्य संबंधी परियोजना की वित्तीय स्वीकृति (2019-20) के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-डी-192/एन0ए0-एस-8, दिनांक 01/07/2019, शासनादेश संख्या-1875/आठ-1-18-81बजट/2018, दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न नगरों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास मद (समग्र विकास) के अन्तर्गत अभियंत्रण खण्ड-8 के अन्तर्गत शारदा नगर प्रथम वार्ड में नाली एवं सड़क का सुधार/नव-निर्माण कार्य संबंधी परियोजना की प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित लागत रू0 654.38/- लाख + जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष द्वितीय किश्त की अवशेष धनराशि रू0 327.19/- लाख (रूपये तीन करोड़ सत्ताईस लाख उन्नीस हजार मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी नगर निगम लखनऊ की होगी तथा नगर निगम लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(3) स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि किसी बैंक/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) नगर निगम लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 के संगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(7) नगर निगम लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(8) नगर निगम लखनऊ/कार्यदायी संस्था द्वारा लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

(9) नगर निगम लखनऊ द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(10) नगर निगम लखनऊ द्वारा प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा लगायी गयी समस्त शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) नगर निगम लखनऊ/कार्यदायी संस्था को सेन्टेज देय नहीं होगा। कार्यदायी संस्था द्वारा 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

(12) उक्त धनराशि का भुगतान वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं शर्तों के अन्तर्गत ही किया जायेगा तथा बजट मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(13) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को दी जायेगी। आहरित धनराशि कार्यदायी संस्था-नगर निगम लखनऊ को तुरन्त उपलब्ध करायी जायेगी।

(14) उक्त परियोजना की नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा कार्यदायी संस्था-नगर निगम लखनऊ होगी। कार्यदायी संस्था-नगर निगम लखनऊ द्वारा नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के माध्यम से स्वीकृत कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के "लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनाएं-800-अन्य व्यय-05-लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास(चालू कार्य)-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
पवन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या :9/2019/1038/आठ-1-19, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ, लखनऊ ।
7. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अप-लोड करने हेतु।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
10. नियोजन अनुभाग-4, उ.प्र. शासन।
11. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन। (लेखा अनुभाग) को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को धनराशि उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. गार्डफाइल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

संख्या:10/2019/999/आठ-1-19-24बजट/2015

प्रेषक,

पवन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 07 अगस्त, 2019

विषयः- जनपद कानपुर में बर्रा विश्वबैंक योजना के अन्तर्गत सेक्टर-आई, आई-1, जे, के तथा के-1 में सीवरलाइन डालने तथा क्षतिग्रस्त नालियों एवं सड़कों के सुधार कार्य से संबंधी प्रायोजना की वित्तीय स्वीकृति (2019-20) के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर के पत्र संख्या-डी/98/अ0अ0-3/का0वि0प्रा0/19-20, दिनांक 24.06.2019, शासनादेश संख्या-992/आठ-1-18-24बजट/2015, दिनांक 29.06.2018, शासनादेश संख्या-वी0आई0पी0 14/आठ-1-17-24बजट/2015, दिनांक 27.10.2017 एवं शासनादेश संख्या-116/2015/1841/आठ-1-15-24बजट/2015, दिनांक 18.06.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद कानपुर में बर्रा विश्वबैंक योजना के अन्तर्गत सेक्टर-आई, आई-1, जे, के तथा के-1 में सीवरलाइन डालने तथा क्षतिग्रस्त नालियों एवं सड़कों के सुधार कार्य से संबंधी प्रायोजना की प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित लागत रू0 1649.65 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष परियोजना की अवशेष धनराशि रू0 78.16 लाख (रूपये अटहत्तर लाख सोलह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) परियोजना के निर्माण कार्य के पूर्ण होने, उसकी गुणवत्ता से संतुष्ट होने तथा तत्संबंधी सम्परीक्षित विस्तृत लेखा-जोखा कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी। आहरित की गयी धनराशि किसी बैंक/डिपाजिट खाते/पी0एल0ए0/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि प्रस्तावित कार्यों पर प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा अनुमोदित लागत की सीमा तक व्यय की जायेगी, अन्य किसी योजना पर व्यवर्तन नहीं किया जायेगा। स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन एवं महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को दी जायेगी। आहरित धनराशि उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण को तुरन्त उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) समस्त अनुमोदित कार्य अनुमोदित लागत की सीमा में ही पूर्ण कर लिये जायेंगे। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था-कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर का होगा।

(5) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(6) उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्राप्त कर प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) परियोजना की नोडल एजेन्सी मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग तथा कार्यदायी संस्था-कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर होगी।

(8) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों तथा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2019 में निहित प्राविधानों के अनुरूप किया जायेगा।

(9) प्रायोजनान्तर्गत बाट-आउट आइटमस् के कार्य मदों का क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय।

(10) कार्यदायी संस्था द्वारा 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना की कार्यदायी संस्था-कानपुर विकास प्राधिकरण को सेन्टेज देय नहीं होगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के "लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूर्वजीगत परिव्यय-आयोजनागत-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-800-अन्य व्यय-05-लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास (चालू कार्य)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
पवन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या :10/2019/999(1)/आठ-1-19, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, कानपुर।
5. उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, आवास बन्धु को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
10. नियोजन अनुभाग-4, उ.प्र. शासन।
11. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन। (लेखा अनुभाग) को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को धनराशि उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

संख्या :11/2019/1359/आठ-1-19-31विविध/2009

प्रेषक,

पवन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान,
विपिन खण्ड, गोमतीनगर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 22 अगस्त, 2019

विषयः- अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के अधिष्ठान व्यय (गैर वेतन) के लिए धनराशि की स्वीकृति (वित्तीय वर्ष 2019-20) के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-22/उपभोग प्रमाण पत्र/2019-20/33, 03 जुलाई, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2019-20 में अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के अधिष्ठान व्यय (गैर वेतन) मद हेतु रूपये 1,70,00,000/- (रूपये एक करोड़ सत्तर लाख मात्र) के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि रू0 85,00000/- (रूपये पचासी लाख मात्र) की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) स्वीकृत धनराशि शासनादेश सं0-2368/आठ-1-18-31विविध/2009, दिनांक 22 जनवरी, 2019 में निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों अधीन व्यय की जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित करके आहरण की बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को उपलब्ध करायी जायेगी तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(3) उक्त धनराशि को कोषागार से आहरण हेतु संस्थान के निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित बिल को प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिए शासन में उपलब्ध कराये जाने पर शासन स्तर पर आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

(4) मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में निर्गत धनराशि रूपये 85,00000/- का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) स्वीकृत धनराशि के उपयोग के संबंध में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (भाग-1) के अध्याय सोलह-ए में दिये गये सहायक अनुदान के लिए सामान्य नियमों के साथ-साथ तत्संबंधी स्थायी आदेशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(6) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान द्वारा मदवार व्यय का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन एवं महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) अनुदान के सदुपयोग हेतु संस्थान की गवर्निंग कौंसिल उत्तरदायी होगी तथा संस्थान के लेखों का आडिट स्थानीय निधि लेखा परीक्षा से कराया जायेगा।

(9) यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति/अनुमोदन अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा।

(10) उपकरणों आदि का क्रय स्टोर परचेज रूल्स एवं संगत वित्तीय नियमों के तहत किया जायेगा।

(11) स्वीकृत धनराशि का व्यय संस्थान के नवीन निमार्णाधीन भवन के फर्नीशिंग इत्यादि कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।

(12) वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16ए में दिये गये सहायक अनुदान के सामान्य नियमों/स्थायी शासनादेशों का अनुपालन, कार्यात्मक आवश्यकतानुसार कोषागार से धनराशि आहरित करने, स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक, पी0एल0ए0, डिपाजिट खाते में न रखने, उपकरणों आदि का क्रय स्टोर पर्चेज रूल्स एवं संगत वित्तीय नियमों के तहत किया जाना आदि निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-06-अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान उ0प्र0-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत निम्नवत् प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा :-

(धनराशि लाख रूपये में)

20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	85.00

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
पवन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या :11/2019(1)/आठ-1-19, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
3. निदेशक, आवास बन्धु को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन ।
6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
8. निदेशक, सांख्यिकीय एवं वित्तीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन ।
10. वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1 ।
11. नियोजन अनुभाग-4, उ.प्र. शासन ।
12. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
13. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

संख्या:12/2019/1043/आठ-1-19-62बजट/2019

प्रेषक,

पवन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक- 03 सितम्बर, 2019

विषयः- आगरा मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को अंशपूंजी विनियोजन की बजट व्यवस्था के सापेक्ष धनराशि की स्वीकृति (वित्तीय वर्ष 2019-20) के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक वित्त, लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0, लखनऊ के पत्रांक-3616/एल0एम0आर0सी0/एफ-4/5, दिनांक 06 जून, 2019 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, आगरा में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु गठित लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन (एल.एम.आर.सी.) नामक विशेष प्रयोजन साधन (एस.पी.वी.) के डी0पी0आर0 में राज्य सरकार द्वारा अंशपूंजी विनियोजन के रूप में प्राविधानित धनराशि रू0 175.00 करोड़ के विरूद्ध चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु0 100,00,00,000/- (रूपये सौ करोड़ मात्र) की धनराशि आहरित कर लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0, लखनऊ को अंशपूंजी विनियोजन के रूप में उपलब्ध कराये जाने की श्रीराज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना को भूमि हेतु उपलब्ध कराया जा रहा सब-आर्डिनेट ऋण ब्याज मुक्त होगा तथा उक्त ऋण का प्रतिदान ऋण की अदायगी प्रधान ऋण के भुगतान किये जाने के पश्चात आगामी 10 वर्षों में समान वार्षिक किश्तों में लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, लखनऊ द्वारा समय से किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन की होगी तथा लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(4) स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(5) लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(8) लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(9) लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डर्डस् आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा वैधानिक आपत्तियों एवं पर्यावरर्णीय क्लियरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही परियोजना निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(11) लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा परियोजना की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को दी जायेगी। आहरित धनराशि लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0 को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के "लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-05-आगरा मेट्रो रेल परियोजना में अंश पूँजी विनियोजन-30-निवेश/ऋण मद" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8-1510/दस-2019, दिनांक- 26 अगस्त, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहा हैं।

भवदीय,
पवन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-12/2019/1043(1)/आठ-1-19, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (प्रथम एवं द्वितीय), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा), उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, आगरा।
4. प्रबन्ध निदेशक, मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0 लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 एवं 2 ।
9. नियोजन अनुभाग-4 ।
10. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन। (लेखा अनुभाग) को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. गार्डफाइल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

संख्या :13/2019/1042/आठ-1-19-08बजट/2018

प्रेषक,

पवन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक- 03 सितम्बर, 2019

विषयः- कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को अंशपूंजी विनियोजन की बजट व्यवस्था के सापेक्ष धनराशि की स्वीकृति (वित्तीय वर्ष 2019-20) के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक वित्त, लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0, लखनऊ के पत्रांक-3615/एल0एम0आर0सी0/एफ-4/5, दिनांक 06 जून, 2019 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु गठित लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन (एल.एम.आर.सी.) नामक विशेष प्रयोजन साधन (एस.पी.वी.) के डी0पी0आर0 में राज्य सरकार द्वारा अंशपूंजी विनियोजन के रूप में प्राविधानित धनराशि रू0 175.00 करोड़ के विरूद्ध चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु0 100,00,00,000/- (रूपये सौ करोड़ मात्र) की धनराशि आहरित कर लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0, लखनऊ को अंशपूंजी विनियोजन के रूप में उपलब्ध कराये जाने की श्रीराज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना को भूमि हेतु उपलब्ध कराया जा रहा सब-आर्डिनेट ऋण ब्याज मुक्त होगा तथा उक्त ऋण का प्रतिदान ऋण की अदायगी प्रधान ऋण के भुगतान किये जाने के पश्चात आगामी 10 वर्षों में समान वार्षिक किश्तों में लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, लखनऊ द्वारा समय से किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) कार्य की विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन की होगी तथा लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(4) स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(5) लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(8) लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(9) लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डर्डस् आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा वैधानिक आपत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही परियोजना निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(11) लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा परियोजना की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

http://finance.up.nic.in

(12) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को दी जायेगी। आहरित धनराशि लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0 को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के "लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-03-कानपुर मेट्रो रेल परियोजना में अंश पूँजी विनियोजन-30-निवेश/ऋण मद" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8-1509/दस-2019, दिनांक- 26 अगस्त, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहा हैं।

भवदीय,
पवन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-13/2019/1042(1)/आठ-1-19, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (प्रथम एवं द्वितीय), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा), उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, कानपुर।
4. प्रबन्ध निदेशक, मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0 लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 एवं 2 ।
9. नियोजन अनुभाग-4 ।
10. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन। (लेखा अनुभाग) को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. गार्डफाइल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1
संख्या:15/2019/1699/आठ-1-19-01एन0आई0ए0/2012
लखनऊ : दिनांक 17 सितम्बर, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

एतद्वारा श्री राज्यपाल महोदय दि न्यू इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0 मुम्बई से आवासीय योजनाओं हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज के प्रतिदान के मद में रूपये 5,03,460.00 (रू0 पाँच लाख तीन हजार चार सौ साठ मात्र) की स्वीकृति प्रदान करते है। ऋणों के सापेक्ष दिये गये ब्याज/मूलधन का विवरण निम्नवत है :-

(धनराशि : रूपये में)

ऋण का वर्ष	ऋण राशि	प्रतिदान तिथि	देय मूलधन	देय ब्याज	योग
1994-95	873.00 लाख	30.09.2019	0.00	1,57,140.00	1,57,140.00
1995-96	962.00 लाख	30.09.2019	0.00	3,46,320.00	3,46,320.00
कुल योग			0.00	5,03,460.00	5,03,460.00

2- उपरोक्तानुसार ब्याज की धनराशि रूपये 5,03,460.00 (रू0 पाँच लाख तीन हजार चार सौ साठ मात्र) वित्तीय वर्ष, 2019-20 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-02 (आवास विभाग) के अन्तर्गत लेखा शीर्ष 2049-ब्याज अदायगियां-01-आंतरिक ऋण पर ब्याज-200 अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज-04 भारत के जनरल इन्श्योरेंस कारपोरेशन अथवा उससे सम्बद्ध अन्य सहायक कम्पनियों आदि से प्राप्त ऋण पर ब्याज (भारित)-32-ब्याज/लाभांश के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-बी-3-83-दस/2019, दिनांक 11.09.2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

4- उक्त् धनराशि अनु सचिव/आहरण वितरण अधिकारी, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा आहरित कर 'ई-भुगतान' के माध्यम से ससमय दि न्यू इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0 मुम्बई को भुगतान कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

दीपक कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (प्रथम एवं द्वितीय) एवं महालेखाकार लेखा परीक्षा (प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ दो अतिरिक्त प्रतियों सहित।
3. वित्त आय-व्यय अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
4. अनु सचिव, आहरण वितरण अधिकारी, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग (6 अतिरिक्त प्रतियां सहित)
5. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु।
6. चीफ इन्वेस्टमेंट मैनेजर, न्यू इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0 मुम्बई ।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1
संख्या:14/2019/1698/आठ-1-19-01जी0आई0सी0-2012-13
लखनऊ : दिनांक 17 सितम्बर, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

एतद्द्वारा श्री राज्यपाल महोदय भारतीय साधारण बीमा निगम, मुम्बई से आवासीय योजनाओं हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज के प्रतिदान के मद में रूपये 11,68,560.00 (रू0 ग्यारह लाख अड़सठ हजार पॉच सौ साठ मात्र) की स्वीकृति प्रदान करते हैं। ऋणों के सापेक्ष दिये गये ब्याज/मूलधन का विवरण निम्नवत है :-

(धनराशि : रूपये में)

ऋण का वर्ष	ऋण की धनराशि	प्रतिदान की तिथि	देय मूलधन	देय ब्याज	योग
1996-97	2164 लाख	30.09.2019	0.00	11,68,560.00	11,68,560.00
कुल योग			0.00	11,68,560.00	11,68,560.00

2- उपरोक्तानुसार ब्याज की धनराशि रूपये 11,68,560.00 (रू0 ग्यारह लाख अड़सठ हजार पॉच सौ साठ मात्र) वित्तीय वर्ष, 2019-20 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-02 (आवास विभाग) लेखा शीर्ष 2049-ब्याज अदायगियां-01-आंतरिक ऋण पर ब्याज-200 अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज-04 भारत के जनरल इन्श्योरेंस कारपोरेशन अथवा उससे सम्बद्ध अन्य सहायक कम्पनियों आदि से प्राप्त ऋण पर ब्याज (भारित)-32-ब्याज/लाभांश के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-बी-3-82-दस/2019, दिनांक 11.09.2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

4- उक्त धनराशि अनु सचिव/आहरण वितरण अधिकारी, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा 'ई-भुगतान' के माध्यम से ससमय भारतीय साधारण बीमा निगम, मुम्बई को भुगतान कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

दीपक कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (प्रथम एवं द्वितीय) एवं महालेखाकार लेखा परीक्षा (प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ दो अतिरिक्त प्रतियों सहित।
3. वित्त आय-व्यय अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
4. आहरण वितरण अधिकारी, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग (6 अतिरिक्त प्रतियां सहित)
5. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु।
6. चीफ इन्वेस्टमेंट मैनेजर, भारतीय साधारण बीमा निगम, लि0 मुम्बई।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

संख्या:17/2019/1526/आठ-1-19-104बजट/2019

प्रेषक,

अपूर्वा दुबे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 09 अक्टूबर, 2019

विषयः- अयोध्या विकास क्षेत्र के पहाड़गंज क्षेत्र में सड़कों/नालियों के सौन्दर्यीकरण कार्य कराये जाने संबंधी परियोजना की वित्तीय स्वीकृति (2019-20) के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-99/अ0अ0/भौ0स0ख0/परि0-परी0(252)/2019-20, दिनांक 21.08.2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अयोध्या विकास क्षेत्र के पहाड़गंज क्षेत्र में सड़कों/नालियों के सौन्दर्यीकरण कार्य कराये जाने संबंधी संलग्न परियोजनाओं की आगणित लागत रू0 5795644.00 + जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि रू0 2897822.00 (रूपये अठ्ठाईस लाख सत्तानवे हजार आठ सौ बाईस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी अयोध्या विकास प्राधिकरण की होगी तथा अयोध्या विकास प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(3) स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक /डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 के संगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(7) अयोध्या विकास प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(8) अयोध्या विकास प्राधिकरण/कार्यदायी संस्था द्वारा लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

(9) अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(10) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(11) कार्यदायी संस्था/अयोध्या विकास प्राधिकरण को सेन्टेज देय नहीं होगा। कार्यदायी संस्था द्वारा 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

(12) उक्त धनराशि का भुगतान वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं शर्तों के अन्तर्गत ही किया जायेगा तथा बजट मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(13) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को दी जायेगी। आहरित धनराशि कार्यदायी संस्था-अयोध्या विकास प्राधिकरण को तुरन्त उपलब्ध करायी जायेगी।

(14) उक्त परियोजना की नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा कार्यदायी संस्था-अयोध्या विकास प्राधिकरण होगी। कार्यदायी संस्था-अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के माध्यम से स्वीकृत कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के "लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-800-अन्य व्यय-07-लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास (नये कार्य)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीया,

अपूर्वा दुबे
विशेष सचिव।

संख्या :17/2019/1526(1)/आठ-1-19, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखाएवंहकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. मण्डलायुक्त, अयोध्या।
4. जिलाधिकारी, अयोध्या।
5. उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, आवास बन्धु को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
10. नियोजन अनुभाग-4, उ.प्र. शासन।
11. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन। (लेखा अनुभाग) को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को धनराशि उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या-17/2019/1526/आठ-1-2019, दिनांक 09 अक्टूबर, 2019 का संलग्नक

अयोध्या विकास क्षेत्र के पहाड़गंज क्षेत्र में सड़कों/नालियों के सौन्दर्यीकरण संबंधी परियोजना में कराये जाने वाले कार्य

क्र0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि
1.	रायबरेली रोड नाका से पहाड़गंज काली मंदिर होते हुये कृष्ण कुमार त्रिपाठी के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली मरम्मत का कार्य।	2717196.00
2.	बम बहादुर के मकान पहाड़गंज से राज मेडिकल स्टोर तक सड़क निर्माण कार्य।	3078448.00
	योग रू0	5795644.00

(रूपये सत्तावन लाख पच्चानवे हजार छः सौ चौवालीस मात्र)

अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव

संख्या:18/2019/1740/आठ-1-19-64बजट/2015

प्रेषक,

अपूर्वा दुबे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 09 अक्टूबर, 2019

विषयः- पुराने लखनऊ शहर में हुसैनाबाद टीले मस्जिद से जामा मस्जिद मार्ग, शीशमहल मार्ग एवं दुर्गा देवी मार्ग पर कोबाल स्टोन लगाने संबंधी परियोजना की अन्तिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति (2019-20) के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मध्य क्षेत्र) लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र संख्या-325सीइसी2/2019, दिनांक 11.09.2019, शासनादेश संख्या-244/2016/2971/आठ-1-16-64बजट/2015, दिनांक 29 अगस्त, 2016, शासनादेश संख्या-208/2016/1939/आठ-1-16-64बजट/2015, दिनांक 13 जुलाई, 2016 एवं शासनादेश संख्या-171/2015/3170/आठ-1-15-64बजट/2015, दिनांक 30 अक्टूबर, 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पुराने लखनऊ शहर में हुसैनाबाद टीले मस्जिद से जामा मस्जिद मार्ग, शीशमहल मार्ग एवं दुर्गा देवी मार्ग पर कोबाल स्टोन लगाने संबंधी परियोजना की मूल्यांकित लागत धनराशि रू0 3651.98 लाख के सापेक्ष अन्तिम किश्त के रूप में अवशेष 05 प्रतिशत धनराशि रू0 182.599 लाख के सापेक्ष रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी। आहरित की गयी धनराशि किसी बैंक/डिपाजिट खाते/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि प्रस्तावित कार्यों पर व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत की सीमा तक व्यय की जायेगी, अन्य किसी योजना पर व्यवर्तन नहीं किया जायेगा। स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन एवं महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज को उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि कार्यदायी संस्था-प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को तुरन्त उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) कार्य की विशिष्टियों, मानक, गुणवत्ता तथा कार्य एवं फण्डिंग की वर्तमान एवं भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो, कार्यदायी संस्था-प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(6) उक्त परियोजना की नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा कार्यदायी संस्था- प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ होगी। कार्यदायी संस्था- प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के माध्यम से स्वीकृत कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 के अनुरूप किया जायेगा।

(8) कार्यदायी संस्था-लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा लेबर सेस की धनराशि का श्रम विभाग को समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) प्रायोजनान्तर्गत बाट-आउट आइटमस् के कार्य मदों का क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा। बाट-आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों हेतु कोई सेन्टेज अनुमन्य नहीं होगा।

(10) कार्यदायी संस्था द्वारा सम्बन्धित प्रायोजना का विवरण ई-परियोजना प्रबन्धन की वेबसाईट पर अंकित किया जायेगा तथा तद्नुसार सूचना निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त के अतिरिक्त कार्यस्थल पर शासन द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार कार्य के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण अंकित किया जायेगा।

(11) नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ/कार्यदायी संस्था-प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा प्रायोजना की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति के शासनादेश संख्या-171/2015/3170/आठ-1-15-64बजट/2015, दिनांक 30.10.2015 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) कार्यदायी संस्था-लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा लेबर सेस की धनराशि रू0 32.64 लाख का श्रम विभाग को समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) नोडल एजेन्सी मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ/कार्यदायी संस्था-प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा अधिष्ठान व्यय की धनराशि रू0 224.42 लाख, वित्त(लेखा) अनु0-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-74(4)/75/2011 दि0 25 जनवरी, 2011 के साथ पठित शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दि0-11.11.2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार उक्त शासनादेश दिनांक-25.01.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक '1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-01 प्रतिशतता प्रभारों की वसूली' में समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके जमा की जायेगी।

(14) नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ/कार्यदायी संस्था-लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा मूल्यह्रास आरक्षित निधि के अन्तर्गत 1.50 प्रतिशत की धनराशि रू0 48.97 लाख समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष सुसंगत लेखाशीर्ष में जमा की जायेगी।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के "लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-800-अन्य व्यय-05-लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास (चालू कार्य)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
अपूर्वा दुबे
विशेष सचिव।

संख्या :18/2019/1740(1)/आठ-1-19, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखाएवंहकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, लखनऊ।
5. प्रमुख अभियंता/मुख्य अभियंता (मध्यक्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, आवास बन्धु को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
10. नियोजन अनुभाग-4, उ.प्र. शासन।
11. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन। (लेखा अनुभाग) को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को धनराशि उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

संख्या:19/2019/1530/आठ-1-19-94बजट/2018

प्रेषक,

अपूर्वा दुबे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 10 अक्टूबर, 2019

विषयः- कुम्भ मेला-2019 हेतु ग्यारहवें चरण के अन्तर्गत त्रिवेणीपुरम आवास योजना, अवंतिका आवास योजना, नैनी के अन्तर्गत मार्गों का सौन्दर्यीकरण संबंधी परियोजना की वित्तीय स्वीकृति (2019-20) के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उपाध्यक्ष, प्रयागराज विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या-637/अधि0अभि0/वि0प्रा0/2019-20, दिनांक 19.08.2019, शासनादेश संख्या-2399/आठ-1-18-94बजट/2018, दिनांक 24 दिसम्बर, 2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कुम्भ मेला-2019 हेतु ग्यारहवें चरण के अन्तर्गत त्रिवेणीपुरम आवास योजना एवं अवंतिका आवास योजना (नैनी) के अन्तर्गत मार्गों के सौन्दर्यीकरण संबंधी 04 परियोजनाओं की मूल्यांकित लागत धनराशि रू0 72544982.77 की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष संलग्न परियोजना के क्रमांक-2 पर अंकित परियोजना की लागत की 50 प्रतिशत धनराशि रू0 9804177.00 रोकते हुए शेष 03 परियोजनाओं की द्वितीय किश्त की अवशेष धनराशि रू0 26468314.00 (रूपये दो करोड़ चौसठ लाख अड़सठ हजार तीन सौ चौदह मात्र) को चालू वितीय वर्ष 2019-20 में आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रयागराज विकास प्राधिकरण की होगी तथा प्रयागराज विकास प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।

(3) स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक /डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(6) प्रयागराज विकास प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(7) प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापतियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(8) प्रयागराज विकास प्राधिकरण/कार्यदायी संस्था विकास प्राधिकरण को सेन्टेज देय नहीं होगा। कार्यदायी संस्था द्वारा 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

(9) प्रायोजनान्तर्गत बाट-आउट आइटमस् के कार्य मदों का क्रय एवं सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन तथा सामग्री/उपकरण का क्रय स्टोर परचेज रूल्स एवं सुसंगत वित्तीय नियमों के तहत किया जायेगा।

(10) प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 के संगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) बाट-आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों हेतु कोई सेन्टेज अनुमन्य नहीं होगा।

(12) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि कार्यदायी संस्था-प्रयागराज विकास प्राधिकरण को तुरन्त उपलब्ध करायी जायेगी।

(13) उक्त परियोजना की नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा कार्यदायी संस्था-प्रयागराज विकास प्राधिकरण होगी। कार्यदायी संस्था-प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के माध्यम से स्वीकृत कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के "लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-800-अन्य व्यय-05-लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास (चालू कार्य)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीया,
अपूर्वा दुबे
विशेष सचिव।

संख्या :19/2019/1530(1)/आठ-1-19, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखाएवंहकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मण्डलायुक्त, प्रयागराज।
4. जिलाधिकारी, प्रयागराज।
5. उपाध्यक्ष, प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, आवास बन्धु को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
10. नियोजन अनुभाग-4, उ.प्र. शासन।
11. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन। (लेखा अनुभाग) को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को धनराशि उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या-19/2019/1530/आठ-1-2019, दिनांक 10 अक्टूबर, 2019

कुम्भ मेला-2019 हेतु ग्यारहवें चरण के अन्तर्गत त्रिवेणीपुरम आवास योजना, आवंतिका आवास योजना, नैनी के अन्तर्गत मार्गों का सौन्दर्यीकरण संबंधी परियोजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों का विवरण :-

क्र0सं0	कार्य का विवरण	लागत धनराशि (रूपये)
1-	**Renovation & Strengthening of Roads in Trivenipuram (Sector Ganga) Housing Scheme at Allahabad**	6711331.03
2-	**Renovation & Strengthening of Roads in Trivenipuram (Sector Yamuna IInd and Part of Yamuna 1st) Housing Scheme at Allahabad**	19608354.38
3-	**Renovation & Strengthening of Roads in Trivenipuram (Sector Sarswati) Housing Scheme at Allahabad**	5535127.59
3-	अवन्तिका आवास योजना (नैनी) के मुख्य मार्गों के सुदृढ़ीकरण का कार्य पार्ट-1 एण्ड पार्ट : रोड वर्क	40690169.77
सकल योग रू0		72544982.77

अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

संख्या:20/2019/1894/आठ-1-19-28बजट/2019

प्रेषक,

अपूर्वा दुबे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 16 अक्टूबर, 2019

विषयः- लखनऊ विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत शारदा नगर विस्तार योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना के पहुँच मार्ग हेतु किला मोहम्मदी ड्रेन पर स्थित कल्वर्ट से प्रस्तावित स्थल तक नाले के बहाव से सड़क की मिट्टी को सुरक्षित करने हेतु सड़क व नाली के मध्य दीवार का निर्माण करते हुए सड़क सुदृढ़ीकरण के कार्य संबंधी परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति (2019-20) के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या-429/(वी0सी0)इड्-02119, दिनांक 02.09.2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत शारदा नगर विस्तार योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना के पहुँच मार्ग हेतु किला मोहम्मदी ड्रेन पर स्थित कल्वर्ट से प्रस्तावित स्थल तक नाले के बहाव से सड़क की मिट्टी को सुरक्षित करने हेतु सड़क व नाली के मध्य दीवार का निर्माण करते हुए सड़क सुदृढ़ीकरण के कार्य संबंधी परियोजना की आगणित लागत रू0 41268943.00 + जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि रू0 20634471.00 (दो करोड़ छह लाख चौंतीस हजार चार सौ इकहत्तर रूपये मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी लखनऊ विकास प्राधिकरण की होगी तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(3) स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक /डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 के संगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(7) लखनऊ विकास प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(8) लखनऊ विकास प्राधिकरण/कार्यदायी संस्था द्वारा लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

(9) लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(10) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(11) कार्यदायी संस्था/लखनऊ विकास प्राधिकरण को सेन्टेज देय नहीं होगा। कार्यदायी संस्था द्वारा 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

(12) उक्त धनराशि का भुगतान वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं शर्तों के अन्तर्गत ही किया जायेगा तथा बजट मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(13) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि कार्यदायी संस्था- लखनऊ विकास प्राधिकरण को तुरन्त उपलब्ध करायी जायेगी।

(14) उक्त परियोजना की नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा कार्यदायी संस्था-लखनऊ विकास प्राधिकरण होगी। कार्यदायी संस्था-लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के माध्यम से स्वीकृत कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) प्रस्तावित स्थल पर सिंचाई विभाग से अनापत्ति प्राप्त होने के उपरान्त ही सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के "लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-800-अन्य व्यय-07-लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास (नये कार्य)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
अपूर्वा दुबे
विशेष सचिव।

संख्या: 20/2019/1894(1)/आठ-1-19, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखाएवंहकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, लखनऊ।
5. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, आवास बन्धु को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
10. नियोजन अनुभाग-4, उ.प्र. शासन।
11. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को धनराशि उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:21/2019/1627/आठ-1-19-29बजट/2019

प्रेषक,

अपूर्वा दुबे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 16 अक्टूबर, 2019

विषयः- लखनऊ विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत शारदा नगर विस्तार योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना के पहुंच मार्ग हेतु बिजनौर रोड़ से किला मोहम्मदी ड्रेन पर स्थित कल्वर्ट तक पहुच मार्ग हेतु नाले के बहाव से सड़क की मिट्टी को सुरक्षित करने हेतु सड़क व नाली के मध्य दीवार का निर्माण संबंधी परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति (2019-20) के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या-429/(वी0सी0)इइ-02119, दिनांक 02.09.2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत शारदा नगर विस्तार योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना के पहुंच मार्ग हेतु बिजनौर रोड़ से किला मोहम्मदी ड्रेन पर स्थित कल्वर्ट तक पहुच मार्ग हेतु नाले के बहाव से सड़क की मिट्टी को सुरक्षित करने हेतु सड़क व नाली के मध्य दीवार का निर्माण संबंधी परियोजना की आगणित लागत रू0 31135946.00 + जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि रू0 15567973.00 (एक करोड़ पचपन लाख सरसठ हजार नौ सौ तिहत्तर रूपये मात्र) को चालू वितीय वर्ष 2019-20 में आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी लखनऊ विकास प्राधिकरण की होगी तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(3) स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 के संगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(7) लखनऊ विकास प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(8) लखनऊ विकास प्राधिकरण/कार्यदायी संस्था द्वारा लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

(9) लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(10) लेबर सैस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(11) कार्यदायी संस्था/लखनऊ विकास प्राधिकरण को सेन्टेज देय नहीं होगा। कार्यदायी संस्था द्वारा 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

(12) उक्त धनराशि का भुगतान वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं शर्तों के अन्तर्गत ही किया जायेगा तथा बजट मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(13) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि कार्यदायी संस्था- लखनऊ विकास प्राधिकरण को तुरन्त उपलब्ध करायी जायेगी।

(14) उक्त परियोजना की नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा कार्यदायी संस्था-लखनऊ विकास प्राधिकरण होगी। कार्यदायी संस्था-लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के माध्यम से स्वीकृत कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) प्रस्तावित स्थल पर सिंचाई विभाग से अनापत्ति प्राप्त होने के उपरान्त ही सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के "लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-800-अन्य व्यय-07-लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास (नये कार्य)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
अपूर्वा दुबे
विशेष सचिव।

संख्या :21/2019/1627(1)/आठ-1-19, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखाएवंहकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, लखनऊ।
5. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, आवास बन्धु को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
10. नियोजन अनुभाग-4, उ.प्र. शासन।
11. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को धनराशि उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:22/2019/1320/आठ-1-19-65बजट/2019

प्रेषक,

अपूर्वा दुबे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 16 अक्टूबर, 2019

विषयः- लखनऊ विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत बिजनौर मार्ग पर शारदा नगर विस्तार योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना के 2256 आवासों हेतु 2 गुणा 5 एम0वी0ए0 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण कार्य की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति (2019-20) के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या-467/सचिव/एए(इ/एम)/सिम, दिनांक 20.07.2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत बिजनौर मार्ग पर शारदा नगर विस्तार योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना के 2256 आवासों हेतु 2 गुणा 5 एम0वी0ए0 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण कार्य संबंधी परियोजना की आगणित लागत रू0 43507353.88 + जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि रू0 21753676.00 (दो करोड़ सत्रह लाख तिरपन हजार छः सौ छिहत्तर रूपये मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी लखनऊ विकास प्राधिकरण की होगी तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(3) स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक /डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 के संगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(7) लखनऊ विकास प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(8) लखनऊ विकास प्राधिकरण/कार्यदायी संस्था द्वारा लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

(9) लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(10) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(11) कार्यदायी संस्था/लखनऊ विकास प्राधिकरण को सेन्टेज देय नहीं होगा। कार्यदायी संस्था द्वारा 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

(12) उक्त धनराशि का भुगतान वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं शर्तों के अन्तर्गत ही किया जायेगा तथा बजट मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(13) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि कार्यदायी संस्था- लखनऊ विकास प्राधिकरण को तुरन्त उपलब्ध करायी जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

(14) उक्त परियोजना की नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा कार्यदायी संस्था-लखनऊ विकास प्राधिकरण होगी। कार्यदायी संस्था-लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के माध्यम से स्वीकृत कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) नियमानुसार परियोजना की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति (डिटेल्ड एस्टीमेट, डिजाइन कैलकुलेशन, क्वानट्टीज आफ वर्क, रेट्स एवं कॉस्ट, ड्राईग्स इत्यादि) प्राप्त आगणन नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के पत्र दिनांक 11.06.2019 में उल्लखित दिशा-निर्देशों के अनुसार 02 प्रतियों में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को प्रस्तुत करने के उपरान्त ही प्राधिकरण द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(16) परियोजना की अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की संस्तुति के उपरान्त ही निर्गत की जायेगी।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के "लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-800-अन्य व्यय-07-लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास (नये कार्य)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
अपूर्वा दुबे
विशेष सचिव।

संख्या :22/2019/1320(1)/आठ-1-19, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखाएवंहकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, लखनऊ।
5. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, आवास बन्धु को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
10. नियोजन अनुभाग-4, उ.प्र. शासन।
11. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को धनराशि उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:23/2019/1602/आठ-1-19-51बजट/2018

प्रेषक,

अपूर्वा दुबे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 31 अक्टूबर, 2019

विषयः- लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न नगरों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास मद (समग्र विकास) के अन्तर्गत अभियंत्रण खण्ड-3 के अन्तर्गत शंकरपुरवा द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत आदर्श नगर कालोनी, आदिलनगर, कल्याणपुर पश्चिम नाली एवं साइड पटरी का सुधार संबंधी परियोजना की वित्तीय स्वीकृति (2019-20) के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-110/अ0अ0/भौ0स0ख0/परि-परी(233)/2019-20, दिनांक 30 अगस्त, 2019, शासनादेश संख्या-83/आठ-1-19-51बजट/2018, दिनांक 11 जनवरी, 2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न नगरों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास मद (समग्र विकास) के अन्तर्गत अभियंत्रण खण्ड-3 के अन्तर्गत शंकरपुरवा द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत आदर्श नगर कालोनी, आदिलनगर, कल्याणपुर पश्चिम नाली एवं साइड पटरी का सुधार संबंधी परियोजना की मूल्यांकित लागत धनराशि रू0 68.175 लाख + जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में अवशेष धनराशि रू0 34.0875/- लाख (रू0 चौंतीस लाख आठ हजार सात सौ पचास मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी नगर निगम लखनऊ की होगी तथा नगर निगम लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(3) स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक /डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि प्रस्तावित कार्यों अनुमोदित लागत की सीमा तक व्यय की जायेगी, अन्य किसी योजना पर व्यावर्तन नहीं किया जायेगा। स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन एवं महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) समस्त कार्य अनुमोदित लागत की सीमा में समयान्तर्गत (6 माह) में पूर्ण कर लिये जायेंगे। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था-नगर निगम, लखनऊ का होगा। भविष्य में इन सड़कों/नालियों का अनुरक्षण नगर निगम, लखनऊ द्वारा किया जायेगा।

(5) कार्यदायी संस्था-नगर निगम, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से टुकड़ों में अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गयी है।

(6) नगर निगम लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(7) नगर निगम लखनऊ द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(8) प्रायोजनान्तर्गत बाट-आउट आइटमस् के कार्य मदों का क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों-के अधीन तथा सामग्री/उपकरणों का क्रय स्टोर परचेज रूल्स एवं सुसंगत वित्तीय नियमों के तहत किया जायेगा।

(9) कार्यदायी संस्था द्वारा संबंधित प्रायोजना का विवरण ई-परियोजना प्रबन्धन की वेबसाईट पर अंकित किया जायेगा तथा कार्यस्थल पर शासन द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार कार्य के संबंध में विस्तृत विवरण अंकित किया जायेगा।

(10) कार्यदायी संस्था/नगर निगम, लखनऊ को सेन्टेज देय नहीं होगा। कार्यदायी संस्था द्वारा 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

(11) उक्त धनराशि का भुगतान वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं शर्तों के अन्तर्गत ही किया जायेगा तथा बजट मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(12) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि कार्यदायी संस्था-नगर निगम लखनऊ को तुरन्त उपलब्ध करायी जायेगी।

(13) उक्त परियोजना की नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा कार्यदायी संस्था-नगर निगम लखनऊ होगी। कार्यदायी संस्था-नगर निगम लखनऊ द्वारा नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के माध्यम से स्वीकृत कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के "लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-800-अन्य व्यय-05-लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास (चालू कार्य)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
अपूर्वा दुबे
विशेष सचिव।

संख्या :23/2019/1602(1)/आठ-1-19, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखाएवंहकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, लखनऊ।
5. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, आवास बन्धु को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
10. नियोजन अनुभाग-4, उ.प्र. शासन।
11. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन। (लेखा अनुभाग) को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को धनराशि उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग–2

संख्या–8/2019/684/94स्टा0नि0.2-2019-700(394)/2017

लखनऊ : दिनांक 05 नवम्बर, 2019

अधिसूचना

आदेश

"साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के प्रकाशित किये जाने के दिनांक से उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा, राज्य सरकार की "लैण्ड पूलिंग स्कीम" के पायलट परियोजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निष्पादित निम्नलिखित लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करती है:–

1– उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् और विकास प्राधिकरण तथा भूस्वामियों के मध्य निष्पादित भूमि विकास करारय और

2– भूमि विकास के पश्चात पुनर्गठित भूमि/भूखण्डों के उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अथवा किसी विकास प्राधिकरण द्वारा भू–स्वामियों के पक्ष में निष्पादित हस्तांतरण विलेखय

परन्तु यह कि विकसित भूमि/भूखण्डों के मूल आवंटियों/आवास एवं विकास परिषद और विकास प्राधिकरणों द्वारा निष्पादित अग्रतर विक्रय/हस्तान्तरण विलेख पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होगा।"

आज्ञा से,

वीना कुमारी
प्रमुख सचिव।

1– यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2– इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shashnadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या–8/2019/684/स्टा0नि0.2.2019.700;394द्ध2017, दिनांक 05 नवम्बर, 2019

प्रतिलिपि हिन्दी तथा अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इसे दिनांक 05.11.2019 के असाधारण गजट के भाग–4 के खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात् गजट की सौ प्रतियाँ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग–2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा
विशेष सचिव।

संख्या–8/2019/684द्ध/स्टा0नि0-2-2019-700(394)/2017, दिनांक 05 नवम्बर, 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4. आयुक्त स्टाम्प / महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश सूचना निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्त रप्रदेश।
9. आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ।
10. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
11. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 जनपद, लखनऊ।
12. समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त उपायुक्त स्टाम्प / उपमहानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
14. समस्त सहायक आयुक्त सटाम्प / सहायक महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
15. विधायी अनुभाग–1 उत्तर प्रदेश शासन।
16. भाषा अनुभाग–5 उत्तर प्रदेश शासन।
17. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा
विशेष सचिव।

1– यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2– इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shashnadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

UTTAR PRADESH SHASAN
STAMP EVAM NIBANHAN ANUBHAG-2

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification No.8/2019/684/94-S.R.-2-2019-700(394)/2017, Dated, 05 November, 2019.

Notification
Order

No.8/2019/684/94-S.R.-2-2019-700(394)/2017,

Lucknow : Dated, 05 November, 2019

"In exercise of the powers under clause (a) sub section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act No. 10 of 1897), the Governor is pleased to remit with effect from the date of the publication of this notification, stamp duty chargeable on following instruments executed by Uttar Pradesh Awas evam Vikas Parishad and Development Authorities, relating to implementation of pilot projects of Land Pooling Scheme of the State Government;-

1- Land development agreement executed between Uttar Pradesh Awas evam Vikas Parishad and Development Authority and land owners; and
2- Conveyance deed of land/plots, reorganized after development, executed by Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad on a Development Authority in favour of land owners;

Provided that onward sell/conveyance deed of developed land/plots, executed by original alloties/Uttar Pradesh Awas evam Vikas Parishad and Development Authorities, shall be chargeable with the stamp duty as per rules."

By order,

Veena Kumari
Pramukh Sachiv

संख्या :25/2019/1946/आठ-1-19-43एलडीए/2006टी.सी.(ए)

प्रेषक,

अपूर्वा दुबे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 14 नवम्बर, 2019

विषयः-सी0एस0आई0 टावर्स, गोमतीनगर, लखनऊ के बहुमंजिली आवासीय भवनों के वार्षिक रख-रखाव कार्यों की वित्तीय स्वीकृति (2019-20) के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, सी0एस0आई0 टावर्स वेलफेयर कमेटी, लखनऊ के पत्र संख्या-सी0एस0आई0(टी0)/62, दिनांक 09.09.2019, शासनादेश संख्या-914/आठ-1-19-43एलडीए/2006टी.सी.(ए), दिनांक 18.06.2019, शासनादेश संख्या-116/आठ-1-19-43एलडीए/2006टी.सी.(ए), दिनांक 12.02.2019 एवं शासनादेश संख्या-1472/आठ-1-18-43एलडीए/2006टी.सी.(ए), दिनांक 23.08.2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल महोदय सी0एस0आई0 टावर्स, गोमतीनगर, लखनऊ के बहुमंजिली आवासीय भवनों के वार्षिक मरम्मती कार्यों एवं रख-रखाव हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में बजट प्राविधानित धनराशि रू0 125.00 लाख में से द्वितीय किश्त किश्त के रूप में अवशेष धनराशि रू0 64.50 लाख/- (रूपये चौंसठ लाख पचास हजार मात्र) चालू वितीय वर्ष 2019-20 में आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर /डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(2) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य या मद में किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार उत्तर प्रदेश प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि आवास विकास परिषद को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) उपलब्ध कराये गये आगणन के अनुसार प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(5) उक्त कार्य हेतु कार्यदायी संस्था, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ होगी। समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(6) कार्यकी विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था-उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ की होगी। कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित अवधि में ही पूर्ण हो जाय। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायीसंस्था का होगा।

(7) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजनान्तर्गत ऐसे कार्य मद जो बाजार दरों पर आधारित हैं/वॉट-आउट आइटम्स के कार्य मदों का क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर न्यूनतम आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(8) कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृति/द्विरावृत्ति न हो।

(9) कार्यदायी संस्था द्वारा संबंधित धनराशि का व्यय वित्त विभाग के विभिन्न शासनादेशों/नियमों एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा क्रियान्वित किये जाने वाले कार्यों में वित्त विभाग के अधिष्ठान व्यय संबंधी शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(84)/75 दिनांक 25 जनवरी, 2011 के अनुसार निर्माण कार्यों की लागत में 5 प्रतिशत की कमी करते हुए 12.5 प्रतिशत अधिष्ठान व्यय, 02 प्रतिशत कन्टीजेन्सी तथा एक प्रतिशत लेबर सेस अनुमन्य होगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक, डिपाजिट खाते में न रखने, उपकरणों आदि का क्रय स्टोर पर्चेज रूल्य एवं संगत वित्तीय नियमों के तहत किया जाना कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) स्वीकृत धनराशि के उपयोग के संबंध में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 5-(भाग-1) के अध्याय सोलह-ए में दिये गये सहायक अनुदान के लिए सामान्य नियमों के साथ-साथ तत्संबंधी स्थायी आदेशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के "लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-06-सिविल सर्विसेज इन्स्टीट्यूट के ट्रांजिट हास्टल का रख-रखाव-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर-वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8-1940/दस-2019, दिनांक- 08 नवम्बर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा हैं।

भवदीया,
अपूर्वा दुबे
विशेष सचिव।

संख्या :25/2019/1946(1)/आठ-1-19, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
4. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. सचिव, सी0एस0आई0 टावर्स वेलफेयर कमेटी, विपिनखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता (अनुरक्षण), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
9. निदेशक, वितीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
10. निदेशक, आवास बन्धु को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उत्तर प्रदेश शासन।
12. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन। (लेखानुभाग) को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरणकर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13. नियोजन अनुभाग-4, उ.प्र. शासन।
14. निदेशक (प्रशासन), आवास बन्धु, लखनऊ।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

http://shodhadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1
संख्या:24/2019/2090/आठ-1-19-06एल0आई0सी0-2013-14
लखनऊ : दिनॉक 14 नवम्बर, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

एतद्द्वारा श्री राज्यपाल महोदय भारतीय जीवन बीमा निगम, मुम्बई से आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1994-95 से वर्ष 1995-96 तक लिए गये विभिन्न ऋणों जिनके प्रतिदान की तिथि दिनांक 15.11.2019 है, पर देय ब्याज/मूलधन के प्रतिदान के मद में रू0 23,46,780.00 (रू0 तेइस लाख छियालिस हजार सात सौ अस्सी मात्र) की स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त धनराशि में मूलधन की वापसी की धनराशि रू0 18,52,000.00 (रू0 अठ्ठारह लाख बावन हजार मात्र) तथा ब्याज की धनराशि रू0 4,94,780.00 (रू0 चार लाख चौरानवे हजार सात सौ अस्सी मात्र) है।

2- वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 (आवास विभाग) के अन्तर्गत मूलधन की धनराशि रू0 18,52,000.00 (रू0 अठ्ठारह लाख बावन हजार मात्र) को लेखा शीर्षक "**6003**-राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण-103-भारतीय जीवन बीमा निगम से कर्ज-03-निगम से लिये गये ऋणों का प्रतिदान-30-निवेश/ऋण (भारित)" तथा ब्याज की धनराशि रू0 4,94,780.00 (रू0 चार लाख चौरानवे हजार सात सौ अस्सी मात्र) को लेखाशीर्षक: "**2049**-ब्याज अदायगियॉ-01-आन्तरिक ऋण पर ब्याज-200-अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज-03-भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त ऋण पर ब्याज-32-ब्याज/लाभांश/(भारित)" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-वी-**3-104**/दस-**2019**, दिनांक 11/11/2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

4- उक्त धनराशि अनु सचिव/आहरण वितरण अधिकारी, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा आहरित कर ससमय भारतीय जीवन बीमा निगम, मुम्बई को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

दीपक कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार(प्रथम), उ0प्र0, प्रयागराज।
2. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्धक (इन्वेस्टमेंट), भारतीय जीवन बीमा निगम, मुम्बई।
4. अनु सचिव/आहरण वितरण अधिकारी, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग (6 अतिरिक्त प्रतियां सहित)।
5. वित्त आय-व्यय अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-24/2019/2090(1)/आठ-1-19-06एल0आई0सी0-2013-14, दिनांक 14 नवम्बर, 2019 का संलग्नक

दिनांक 15.11.2019 का भुगतान चार्ट

ऋण का वर्ष	ऋण राशि	प्रतिदान तिथि	देय मूलधन	देय ब्याज	योग
1994-95	4,63,00,000.00	15.11.2019	18,52,000.00	1,20,380.00	19,72,380.00
1995-96	7,20,00,000.00	15.11.2019	00.00	3,74,400.00	3,74,400.00
कुल योग			18,52,000.00	4,94,780.00	23,46,780.00

अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 3/ 2019/120एन.सी.आर./आठ-2-19-05NCR/17TC

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम,
नई दिल्ली।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक- 13 दिसम्बर, 2019

विषय- वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-02 के लेखाशीर्षक-4217 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना में उत्तर प्रदेश सरकार के अंश के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-NCRTC/Fin./Fund/Delhi-Meerut/Delhi/54-A/II, दिनांक 23.10.2019 का संदर्भ ग्रहण करें। तद्नुक्रम में वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-02 "लेखाशीर्षक-4217- शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-08-दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना-30-निवेश/ऋण" में प्राविधानित धनराशि में से रू0 150.00 करोड़ (रू0 एक अरब पचास करोड़ मात्र) आहरित कर प्रबंध निदेशक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को उपलब्ध कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप समयान्तर्गत सम्पादित कराये जायं ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हों।

(2) एन0सी0आर0टी0सी0 द्वारा यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) वि (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 तथा उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(4) एन0सी0आर0टी0सी0 द्वारा समस्त कार्य परियोजना की डी.पी.आर., डी.पी.आर. परिशिष्ट, इसकी संशोधित योजना, जिसका अनुमोदन भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा किया गया है की शर्तों के अनुरूप ही सुनिश्चित कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) एन0सी0आर0टी0सी0 यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(8) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपभोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2020 तक कर लिया जाय तथा कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रत्येक दशा में दिनांक 30 अप्रैल, 2020 तक उत्तर प्रदेश सरकार को निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(9) एन0सी0आर0टी0सी0 द्वारा परियोजना की मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति निर्धारित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश सरकार एवं सभी सम्बन्धित हितधारकों को उपलब्ध करायी जायेगी।

(10) परियोजना हेतु अवशेष किश्त/धनराशि की मांग करते समय निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा बी0एम0-15 प्रपत्र पर मांग कार्ययोजना के साथ उपलब्ध करायी जायेगी।

(11) स्वीकृति धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के "लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-08-दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8-2127/दस-2019, दिनांक 03 दिसम्बर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 3/2019/एन.सी.आर./आठ-2-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (प्रथम एवं द्वितीय) उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) उ0प्र0, प्रयागराज।
3. सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण, वाह्य सहायतित परियोजना, ऊर्जा, परिवहन, नगर विकास, गृह वित्त, औद्योगिक विकास, राजस्व, सिंचाई तथा नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
7. आयुक्त, रा य राजधानी क्षेत्र, उ0प्र0 प्रभाग, गाजियाबाद।
8. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ।
9. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0।
12. आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ।
13. जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ/गाजियाबाद।
14. प्रबंध निदेशक, लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0।
15. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
16. नगर आयुक्त, मेरठ/गाजियाबाद।
17. उपाध्यक्ष, मेरठ/गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।
18. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त धनराशि का कोषागार से आहरण कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लि0 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
19. समूह महाप्रबंधक, (वित्त) रा य राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि शासनादेश की प्रति सभी सम्बन्धित को ई-मेल/फैक्स/डाक के माध्यम से उपलब्ध करायें।
20. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:26/2019/2407/आठ-1-19-85बजट/2018

प्रेषक,

माला श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 20 दिसम्बर, 2019

विषयः- लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न नगरों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास मद (समग्र विकास) के अन्तर्गत अभियन्त्रण खण्ड-3 के अन्तर्गत भारतेन्दु हरिशचन्द्र, फैजुल्लागंज-1, 2, 3, 4 त्रिवेणी नगर एवं जानकीपुरम-1, 2 वार्डों में नाली, इण्टरलाकिंग एवं सड़क का सुधार/नव-निर्माण कार्य कराये जाने संबंधी परियोजना की द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति (2018-19) के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-डी-1153/एन.ए.एस.-3, दिनांक 16.11.2019, शासनादेश संख्या-2445/आठ-1-18-85बजट/2018, दिनांक 27.12.2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न नगरों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास मद (समग्र विकास) के अन्तर्गत अभियन्त्रण खण्ड-3 के अन्तर्गत भारतेन्दु हरिशचन्द्र, फैजुल्लागंज-1, 2, 3, 4 त्रिवेणी नगर एवं जानकीपुरम-1, 2 वार्डों में नाली, इण्टरलाकिंग एवं सड़क का सुधार/नव-निर्माण कार्य कराये जाने संबंधी परियोजना की मूल्यांकित लागत रू0 507.01 लाख + जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि रू0 253.505 लाख (रूपये दो करोड़ तिरपन लाख पचास हजार पाँच सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी नगर निगम लखनऊ की होगी तथा नगर निगम लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।

(3) स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक /डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) नगर निगम लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 के संगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(7) नगर निगम लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(8) नगर निगम लखनऊ/कार्यदायी संस्था द्वारा लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

(9) नगर निगम लखनऊ द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(10) नगर निगम लखनऊ द्वारा व्यय वित्त समिति/एक्सपर्ट कमेटी द्वारा लगायी गयी समस्त शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(12) बाट-आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों हेतु कोई सेन्टेज अनुमन्य नहीं होगा।

(13) उक्त धनराशि का भुगतान वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं शर्तों के अन्तर्गत ही किया जायेगा तथा बजट मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(14) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि कार्यदायी संस्था-नगर निगम लखनऊ को तुरन्त उपलब्ध करायी जायेगी।

(15) उक्त परियोजना की नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा कार्यदायी संस्था-नगर निगम लखनऊ होगी। कार्यदायी संस्था-नगर निगम लखनऊ द्वारा नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के माध्यम से स्वीकृत कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के "लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-800-अन्य व्यय-05-लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास (चालू कार्य)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
माला श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या :26/2019/2407(1)/आठ-1-19, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, लखनऊ।
5. नगर आयुक्त/मुख्य अभियंता, नगर निगम, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, आवास बन्धु को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
10. नियोजन अनुभाग-4, उ.प्र. शासन।
11. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन। (लेखा अनुभाग) को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को धनराशि उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. निदेशक (प्रशासन), आवास बन्धु, लखनऊ।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1
संख्या–2418/आठ–1–19–20विविध/19
लखनऊ : दिनांक 23दिसम्बर, 2019

कार्यालय–ज्ञाप

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नियंत्रणाधीन अभिकरणों की आय बढ़ाने के संबंध में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 25.11.2019 को सम्पन्न मासिक समीक्षा बैठक में प्रस्तुतीकरण किया गया। उक्त प्रस्तुतीकरण के उपरान्त अभिकरणों की आय में किस प्रकार से अल्पकाल एवं दीर्घकाल मे वृद्धि की जा सकती है, के संबंध में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरण की प्रति समस्त अभिकरणों को प्रेषित करते हुए उनका अभिमत प्राप्त कर अपनी सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु समिति गठित किये जाने के निर्देश दिये गये थे। तद्क्रम में एतद्द्वारा निम्नवत् समिति का गठन किया जाता है :–

1.	वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	**सदस्य**
2.	वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण	**सदस्य**
3.	वित्त नियंत्रक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	**सदस्य**
4.	वित्त नियंत्रक, कानपुर विकास प्राधिकरण	**सदस्य**
5.	निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0	**सदस्य सचिव**

2– समिति को निर्देश दिया जाता है कि वह अभिकरणों की आय में किस प्रकार से अल्पकाल एवं दीर्घकाल में वृद्धि की जा सकती है, के संबंध में उपरोक्तानुसार विचार–विमर्श कर शासन को 01 सप्ताह में अपनी आख्या अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें।

माला श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. संबंधित अधिकारीगण।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव

संख्या:27/2019/1789/आठ-1-19-16बजट/2013

प्रेषक,

माला श्रीवास्तव,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवामें,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,

लखनऊ ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 23 दिसम्बर, 2019

विषयः- जनपद-कानपुर में विधान सभा क्षेत्र-गोविन्द नगर, कानपुर के अन्तर्गत विश्वबैंक योजना के तहत बसाये गये बर्रा क्षेत्र में वार्ड-60 बर्रा 62 गॉव वार्ड-80 बर्रा पूर्वी में सीवर लाइन डालने के कार्य के सम्बंध में।

महोदय,

सचिव, कानपुर विकास प्राधिकारण, कानपुर के पत्र संख्या-डी/294/अ0अ0(3)/का0वि0प्रा0/19-20, दिनांक 18.09.2019, शासनादेश संख्या-2156/आठ-1-14-16बजट/2013, दिनांक 27-10-2017, शासनादेश संख्या-177/2016/1240/आठ-1-16-16बजट/2013, दिनांक 03-05-2016 एवं शासनादेश संख्या-61/2913/आठ-1-14-16बजट/2013, दिनांक 25-11-2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, जनपद-कानपुर में विधान सभा क्षेत्र-गोविन्द नगर, कानपुर के अन्तर्गत विश्वबैंक योजना के तहत बसाये गये बर्रा क्षेत्र में वार्ड-60 बर्रा 62 गॉव वार्ड-80 बर्रा पूर्वी में सीवर लाइन डालने के कार्य सम्बन्धी परियोजना की मूल्यांकित लागत रू0 1677.91 लाख की अवशेष 05 प्रतिशत धनराशि रू0 8389550.00/-(रूपये तिरासी लाख नवासी हजार पॉच सौ पचास मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी। आहरित की गयी धनराशि किसी बैंक/डिपाजिट खाते/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि प्रस्तावित कार्यों पर प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा अनुमोदित लागत की सीमा तक व्यय की जायेगी, अन्य किसी योजना पर व्यवर्तन नहीं किया जायेगा। स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन एवं महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) उक्त स्वीकृत परियोजनाओं का समस्त कार्य ससमय पूर्ण किया जायेगा। प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रस्तावित प्रायोजना की विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रायोजना का प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा। उक्त कार्यों की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो, इसे कार्यदायी संस्था-कानुपर विकास प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) समस्त अनुमोदित कार्य अनुमोदित लागत की सीमा में ही पूर्ण कर लिये जायेंगे। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था-कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर का होगा।

(6) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(7) उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्राप्त कर प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) उक्त धनराशि का भुगतान वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं शर्तों के अन्तर्गत ही किया जायेगा तथा बजट मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(9) प्रायोजनान्तर्गत बाट-आउट आइटमस् के कार्य मदों का क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय।

(10) कार्यदायी संस्था द्वारा 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना की कार्यदायी संस्था-कानपुर विकास प्राधिकरण को सेन्टेज देय नहीं होगा।

(11) उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पत्र दिनांक 09.01.2019 के माध्यम से परियोजना की पाँच प्रतिशत अवशेष धनराशि रू0 83.8955 लाख एवं कार्य समापन में हुई बढ़ोत्तरी लागत रू0 125.14 लाख कुल धनराशि रू0 1803.05 लाख का पुनरीक्षित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया। लोक निर्माण विभाग द्वारा परीक्षणोपरान्त धनराशि 1803.03 आंकलित की गई। प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित लागत रू0 1677.91 लाख के सापेक्ष परियोजना की अवशेष पाँच प्रतिशत धनराशि रू0 83.8955 लाख शासन स्तर से अवमुक्त की जा रही है तथा कार्य समापन में हुई बढ़ोत्तरी लागत धनराशि रू0 125.12 लाख का भुगतान कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अपने स्रोतो से किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के "लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-60-अन्य शहरी विकास योजनाएं-800-अन्य व्यय-05-लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास-(चालू कार्य)-24- वृहत्त निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
माला श्रीवास्तव
विशेष सचिव

संख्या:27/2019/1789(1)/आठ-1-19, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. मण्डलायुक्त, कानपुर ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, कानपुर नगर ।
5. उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ
7. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8. निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अप-लोड करने हेतु।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
10. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन। (लेखा अनुभाग) को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था/कानपुर विकास प्राधिकरण को धनराशि उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. गार्डफाइल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

कार्मिक प्रबन्धन

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5

संख्या : 53/2018/2291/आठ–5–18/11ई/2011

लखनऊ : दिनांक 24 दिसम्बर, 2018

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली–2011 के नियम–11 अंकित व्यवस्था अनुसार विकास प्राधिकरणवार पेंशन अंशदान के पुर्ननिर्धारण हेतु शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1854(1)/आठ–5–18/10ई/2011,दिनांक 11.10.2018 द्वारा विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। उक्त समिति द्वारा विकास प्राधिकरणों की अर्जित आय एवं स्वीकृत पद के सापेक्ष पेंशन अंशदान के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए श्री राज्यपाल निम्नवत् विकास प्राधिकरणवार पेंशन अंशदान निर्धारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्रमांक	विकास प्राधिकरण का नाम	कुल पेंशन अंशदान का योग का प्रतिशत	अंशदान की धनराशि (लाख में)
1	2	3	4
1	गाजियाबाद	22.49	494.50
2	कानपुर	16.20	356.47
3	लखनऊ	20.24	445.17
4	आगरा	3.58	78.65
5	प्रयागराज	5.10	112.29
6	मेरठ	5.35	117.75
7	मुरादाबाद	4.10	90.17
8	अलीगढ़	1.09	23.97
9	बरेली	2.43	53.39
10	गोरखपुर	4.34	95.42
11	मथुरा वृन्दानवन	2.36	51.90
12	वाराणसी	2.60	57.78
13	बांदा	0.46	10.04
14	बुलन्दाशहर	0.99	21.87
15	अयोध्या	1.20	26.50
16	फिरोजाबाद	0.64	14.00
17	हापुड़ फिलखुआ	1.50	33.00
18	झांसी	0.97	21.33
19	मुजफ्फरनगर	0.79	17.41
20	रायबरेली	0.92	20.30
21	सहारनपुर	0.68	14.93
22	उन्नाव	0.87	19.15
23	रामपुर	0.19	4.12
24	उरई	0.20	4.34
25	खुर्जा	0.40	8.90
26	बागपात बडौत	0.15	3.35
27	बस्ती	0.00	0
28	मिर्जापुर	0.01	0
29	शक्तिनगर	0.00	0
30	आजमगढ़	0.15	3.30
	योग	**100.00**	**2200.00**

2– उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली–2011 के नियम–11(1) में अंकित प्राविधानानुसार प्राधिकरण अंश का रिव्यू शासन द्वारा समय–समय पर किया जायेगा।

संजीव सिंह
विशेष सचिव

संख्याः–53/2018/2291/आठ–5–2018 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण उ0प्र0।
2. सचिव/वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

स्वामी नाथ पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

क्रम–संख्या–60

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0/
एल0–डब्लू0/एन0पी0–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 6 मार्च, 2019
फाल्गुन 15, 1940 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5

संख्या 351/8–5–19–05ई–14टी0सी0
लखनऊ, 6 मार्च, 2019

अधिसूचना

पा0आ0–88

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन), अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974) द्वारा यथा पुनः अधिनियमित और संशोधित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) की धारा 5क के साथ पठित धारा 55 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते है।

उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा (इक्कीसवाँ संशोधन)
नियमावली, 2019

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1– (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा (इक्कीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2019 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 21 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1985 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 21 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
21– पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया **पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को** अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर, राज्य सरकार द्वारा की जायेगी और अनुसूची–1 में उल्लिखित अपर सचिव, संयुक्त सचिव, सम्पत्ति अधिकारी, वरिष्ठ कर एवं राजस्व अधीक्षक, मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, लेखाधिकारी, मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजक, कार्यालय अधीक्षक तथा निजी सचिव के पदों पर पदोन्नतियाँ करने में, या पदोन्नति के लिये, अभ्यर्थी की उपयुक्तता के संबंध में अपनाये जाने वाले सिद्धान्तों के संबंध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नही होगा।	**21– पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया** **पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को** अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर, राज्य सरकार द्वारा की जायेगी और अनुसूची–1 में उल्लिखित अपर सचिव, संयुक्त सचिव, सम्पत्ति अधिकारी, वरिष्ठ कर एवं राजस्व अधीक्षक, मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, लेखाधिकारी, मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजक, कार्यालय अधीक्षक तथा निजी सचिव के पदों पर पदोन्नतियाँ करने में, या पदोन्नति के लिये, अभ्यर्थियों की उपयुक्तता के संबंध में अपनाये जाने वाले सिद्धान्तों के संबंध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नही होगा। परन्तु रू0 8700 या उससे अधिक ग्रेड वेतन के किसी पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती योग्यता के आधार पर की जायेगी।

आज्ञा से,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 351/VIII-5-19-05E-14T.C, dated march 6, 2019 :

No. 351/VIII-5-19-05E-14T.C.

Dated Lucknow, March 6, 2019

In exercise of the powers under section 55 read with section 5A of the Uttar Pradesh Planning and Development Act. 1973 (President's Act no. 11 of 1973) as re-enacted and amended by the Uttar Pradesh President's (Re-enactment with Modification) Act, 1974 (U.P. Act no. 30 of 1974) and section 21 of the Uttar Pradesh general clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the governer is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Development Authorities Centralized Service Rule, 1985.

THE UTTAR PRADESH DEVELOPMENT AUTHORITIES CENTRALISED SERVICE (TWENTY FIRSE AMENDMENT) RULES, 2019

Short title and commencement

1. (I) These rules may be called Uttar Pradesh Development Authorities Centralized Service (Twenty first Amendment) Rules, 2019.
(2) They Shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

2. In The uttar Pradesh Development Authorities centralized Service Rules. 1985 for the exiting set out in column-1 below, then rules as set out in rule 21 column-2 shall be substituted namely:- ***Amendment of rule 21***

COLUMN-1 *Existing Rule*	*COLUMN-2* *Rule as hereby substituted*
21. Procedure for recruitment by promotion Recruitment by Promotion shall be made by the state Government on the basis of seniorty subject to the rejection of unfit and it shall not be necessary to consult the Uttar Pradesh Public Service Commission on the principal to be followed in making promotion or on the suitability of candidates for promotion to the post of Aper Sachiv, Sanyukt Sachiv, Sampatti Adhikari, Varishth Kar evam Rajaswa Adhikshak, Mukhya Abhiyanta, Adhikshan Abhiyanta, Adhishasi Abhiyanta, Lekha Adhikari, Mukhya Nagar Niyojak, Nagar Niyojak, Karyalaya Adhikshak and Niji Sachiv mentioned in Schedule-I	**21. Procedure for recruitment by promotion** Recruitment by Promotion shall be made by the state Government on the basis of seniorty subject to the rejection of unfit and it shall not be necessary to consult the Uttar Pradesh Public Service Commission on the principal to be followed in making promotion or on the suitability of candidates for promotion to the post of Aper Sachiv, Sanyukt Sachiv, Sampatti Adhikari, Varishth Kar evam Rajaswa Adhikshak, Mukhya Abhiyanta, Adhikshan Abhiyanta, Adhishasi Abhiyanta, Lekha Adhikari, Mukhya Nagar Niyojak, Nagar Niyojak, Karyalaya Adhikshak and Niji Sachiv mentioned in Schedule-I Provided that the recruitment by promotion to a post carrying grade pay Rs. 8700 or above shall be made on the basis of merit.

By order.
NITIN RAMESH GOKARAN,
Pramukh Sachiv

संख्या–719/आठ–5–19–33विविध/2008

प्रेषक,

अपूर्वा दुबे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।
2. **अध्यक्ष,**
   समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5 **लखनऊ : दिनांक : 27 जून, 2019**

विषयः उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति।

महोदय,

शासनादेश संख्या–15/2018/749/आठ–5–18–33विविध/2008,दिनांक 17 अप्रैल, 2018 द्वारा उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति निर्गत की गयी है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त स्थानान्तरण नीति में निम्नलिखित संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

"प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के समूह 'क' के ऐसे अधिकारी जो किसी प्राधिकरण में समूह–क के पद पर विभिन्न अवधियों में तैनाती की कुल अवधि के 03 वर्ष पूर्ण कर चुके हो, उक्त प्राधिकरण से स्थानान्तरित कर दिया जाय।"

3– उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

4– सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 17.04.2018 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीया,

अपूर्वा दुबे,
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

आज्ञा से,

स्वामी नाथ पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-5
संख्या: 24 /2019/704/आठ-5-19-01ई/16
लखनऊ: दिनांक 04 जून, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

राज्य सरकार ने उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित/अकेन्द्रीयित सेवा के दिनांक 01.04.2005 अथवा उसके पश्चात् नियुक्त/विनियमित नये प्रवेशकों, जिनका वित्त पोषण विकास प्राधिकरणों द्वारा स्वयं के संसाधनों द्वारा किया जाता है, पर नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू करने के निम्नलिखित प्रस्ताव को अनुमोदित किया है:-

(i) उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित/अकेन्द्रीयित सेवा के दिनांक 01.04.2005 अथवा उसके पश्चात् नियुक्त/विनियमित समस्त नई भर्तियों पर 1 अप्रैल, 2005 से नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी।

(ii) नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत वेतन और मंहगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का मासिक अंशदान किया जायेगा। इसी के समतुल्य सेवायोजक का अंशदान उ0प्र0 विकास प्राधिकरणों द्वारा किया जायेगा। तथापि राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी। अंशदान तथा निवेश से होने वाली आय को एक खाते में जमा किया जायेगा जो पेंशन टियर-I खाता होगा। सेवा अवधि में इस खाते से किसी भी आहरण की अनुमति नहीं दी जायेगी। नये प्रवेशकों को जो नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित होंगे, परिभाषित लाभ पेंशन सह सामान्य भविष्य निधि योजना के वर्तमान उपबन्धों के लाभ नहीं प्राप्त होंगे।

(iii) चूंकि नये भर्तीशुदा लोक सामान्य भविष्य निधि में अंशदान करने में सक्षम नहीं होंगे अतः वे पेंशन एक-टियर खाते के अतिरिक्त एक स्वैच्छिक दो-टियर खाता भी रख सकते हैं। तथापि, विकास प्राधिकरण टियर-दो खाते में कोई अंशदान नहीं करेगा। दो-टियर खाते में आस्तियों का निवेश/प्रबन्धन ठीक उसी प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा जो पेंशन एक-टियर खाते के लिए है। तथापि, कर्मचारी अपने धन के "द्वितीय टियर" के सम्पूर्ण अंश या उसके किसी भाग को किसी भी समय निकालने के लिए स्वतंत्र होगा।

(iv) कोई कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के समय पेंशन प्रणाली के टियर-I को सामान्यतया छोड़ सकेगा। ऐसा करते समय कर्मचारी से अनिवार्य रूप से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह किसी मान्यता प्राप्त बीमा कम्पनी से एक वार्षिकी का क्रय करें और उसमें अपनी पेंशन सम्पत्ति के 40 प्रतिशत का निवेश करें जिससे कि वह सेवानिवृत्ति के समय अपने जीवनकाल के लिए तथा उसके आश्रित माता-पिता तथा उसके विवाहिती के लिए पेंशन की व्यवस्था कर सके। शेष पेंशन सम्पत्ति कर्मचारी द्वारा एक मुश्त रूप में प्राप्त की जायेगी जिसे वह किसी भी रीति में उपभोग करने के लिए स्वतंत्र होगा। कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति के पूर्व ही पेंशन टियर-एक को छोड़ने की दशा में अनिवार्य वार्षिकीकरण निवेश पेंशन सम्पत्ति का 80 प्रतिशत होगा।

(v) ऐसे अनेक पेंशन निधि प्रबन्धक होंगे जो मुख्य रूप से तीन श्रेणियों के निवेशपरक विकल्प प्रस्तावित करेंगे। पेंशन निधि प्रबन्धक तथा अभिलेखपाल संयुक्त रूप से अपने विगत कार्य-कलाप के बारे में आसानी से समझी जाने वाली सूचना देंगे जिससे कि कर्मचारी निवेशात्मक विकल्पों में से सूचित विकल्पों को चुन सकें।

2- नवपरिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के प्रचालनीकरण के लिए प्रभावी दिनांक 1 अप्रैल, 2005 होगी।

भवदीय,
नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण।
2. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण।
3. गार्ड फाईल।

- आज्ञा से,
स्वामी नाथ पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

संख्या- 28 /2019 /1237/आठ-5-19-219विविध/15टीसी

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 19 नवम्बर, 2019

विषयः उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के कार्मिकों को विनियमितीकरण की तिथि से समस्त सेवा लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह तथ्य आये हैं कि उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरणों के कार्मिकों को तदर्थ नियुक्ति की तिथि से सेवा सम्बन्धी लाभ यथा समयमान-वेतनमान, ए0सी0पी0 इत्यादि का भुगतान किया जा रहा है जो नियमानुसार नहीं है। विनियमितीकरण की तिथि ही मौलिक नियुक्ति की तिथि अवधारित की जाती है। अतः किसी कार्मिक को कोई भी सेवा लाभ सामान्यतया विनियमितीकरण की तिथि से ही नियमानुसार देय होता है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हुआ है कि :-

(1) तदर्थ नियुक्ति की तिथि से प्राधिकरण स्तर से अनुमन्य किये गये त्रुटिपूर्ण सेवा लाभ यथा समयमान-वेतनमान, ए0सी0पी0 इत्यादि के फलस्वरूप देयता से अधिक हुए भुगतान के समायोजन/वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(2) चूँकि विनियमितीकरण पूर्व प्रभावी तिथि से नहीं किया जाता है अतः प्राधिकरण कार्मिकों को विनियमितीकरण के आदेश जारी करने की तिथि से ही विनियमित मानते हुए समयमान-वेतनमान एवं वित्तीय स्तरोन्नयन (ए0सी0पी0) का लाभ अनुमन्य कराया जाय।

(3) नियमों के विपरीत तदर्थ नियुक्ति की तिथि से ए0सी0पी0 एवं समयमान-वेतनमान आदि का लाभ देने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित कर विलम्बतम 02 सप्ताह में अवगत कराया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

भवदीय,
दीपक कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या- 30 /2019/1239/आठ-5-19-219विविध/15टीसी

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 19 नवम्बर, 2019

विषयः उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के पेंशनरों को विनियमितीकरण की तिथि से समस्त सेवा लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह तथ्य आये हैं कि उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरणों के पेंशनरों की तदर्थ सेवाओं को संज्ञान में लेते हुए पेंशन का भुगतान किया जा रहा है जो नियमानुसार नहीं है । विनियमितीकरण की तिथि ही मौलिक नियुक्ति की तिथि अवधारित की जाती है। अतः किसी कार्मिक को कोई भी सेवा लाभ सामान्यतया विनियमितीकरण की तिथि से ही नियमानुसार देय होता है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हुआ है कि :-

(1) तदर्थ नियुक्ति की तिथि से प्राधिकरण स्तर से अनुमन्य किये गये पेंशन के फलस्वरूप देयता से अधिक हुए भुगतान के समायोजन/वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(2) प्राधिकरण कार्मिकों को विनियमितीकरण के आदेश जारी करने की तिथि से ही विनियमित मानते हुए तथा इसी आधार पर सेवा अवधि की गणना करते हुए नियमानुसार पेंशन का लाभ अनुमन्य कराया जाय।

भवदीय,
दीपक कुमार
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 31 /2019 /1238 /आठ-5-19-219विविध/15टीसी

प्रेषक,

दीपक कुमार
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 19 नवम्बर, 2019

विषयः उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के सहायक अभियन्ताओं को विनियमितीकरण की तिथि से समस्त सेवा लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3667/9-आ-5-92-82डी0ए0/86, दिनांक 08.05.1992 द्वारा तदर्थ रूप से नियुक्त किये गये सहायक अभियन्ताओं को उनकी नियुक्ति की तिथि से विनियमित किया गया है जो नियमानुसार नहीं है। अतः उक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 08.05.1992 को निम्नवत संशोधित किये जाने का मुझे निदेश हुआ है :-

(1) तदर्थ रूप से नियुक्त किये गये सहायक अभियन्ताओं को उनकी नियुक्ति की तिथि से विनियमित किये जाने सम्बन्धी आदेश दिनांक 08.05.1992 तात्कालिक प्रभाव अर्थात विनियमितीकरण का आदेश निर्गत करने के दिनांक 08.05.1992 से लागू होगा न कि तदर्थ नियुक्ति की तिथि से।

(2) चूँकि विनियमितीकरण पूर्व प्रभावी तिथि से नहीं किया जाता है अतः सहायक अभियन्ताओं को विनियमितीकरण के आदेश जारी करने की तिथि अर्थात दिनांक 08.05.1992 से ही विनियमित मानते हुए समयमान-वेतनमान एवं वित्तीय स्तरोन्नयन (एस0सी0पी0) का लाभ अनुमन्य कराया जाय तथा तदर्थ नियुक्ति की तिथि से अनुमन्य किये गये सेवा लाभ यथा समयमान-वेतनमान, ए0सी0पी0 इत्यादि के फलस्वरूप देयता से अधिक हुए भुगतान के समायोजन/वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,
दीपक कुमार
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या–1353/आठ–5–19–72विविध/2017

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5 **लखनऊ : दिनांक : 23 दिसम्बर, 2019**

विषयः विदेश प्रशिक्षण, विदेश सेवायोजन, गोष्ठी, सेमिनार तथा व्यक्तिगत कार्यो से विदेश जाने हेतु सरकारी सेवकों को अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

यह देखा जा रहा है कि उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के अभियन्त्रण संवर्ग के कार्मिकों के विदेश यात्रा से सम्बन्धित पत्र के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या–1/3/98–का प्रसको/1999, दिनांक 14.06.1999 के परिपेक्ष्य में परीक्षण किये बिना पत्र शासन को अग्रसारित कर दिये जाते हैं जिसमें सम्बन्धित कार्मिक का वर्तमान पता, सम्बन्धित कार्मिक द्वारा पूर्व में कितनी बार तथा किस उद्देश्य से विदेश यात्रा की गयी है, इन यात्राओं का व्यय किसके द्वारा वहन किया जायेगा, प्रचलित जाँच/दण्ड की स्थिति आदि की सूचनायें अंकित नहीं होती हैं जिससे पृच्छा/पत्राचार करने में सम्बन्धित कार्मिकों को ससमय अनापत्ति प्रदान किया जाना सम्भव नहीं हो पाता।

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के अभियन्त्रण संवर्ग के कार्मिकों के विदेश यात्रा से सम्बन्धित आवेदनों को कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या––1/3/98–का प्रसको/1999, दिनांक 14.06.1999 (संलग्नक–1) के आलोंक में परीक्षण कर अपनी संस्तुति सहित निर्धारित प्रारूप (संलग्नक–2) में संलग्न कर कम से कम 02 माह पूर्व अग्रसारित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या: **35 /2019/1394/आठ-5-19-05विविध/18**

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक **31 दिसम्बर, 2019**

विषयः सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची का प्रख्यापन।

महोदय,

उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के अभियन्त्रण संवर्ग के सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) की अन्तिम ज्येष्ठता सूची शासनादेश संख्या-7030/आठ-5-07-11ई/04, दिनांक 20.11.2007 द्वारा प्रख्यापित की गयी थी। उक्त तिथि के पश्चात सीधी भर्ती/पदोन्नति/ विनियमितीकरण के फलस्वरूप सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) प्राधिकरण सेवा में कार्यरत हैं, जो उक्त वरिष्ठता सूची में सम्मिलित नहीं हैं। अतः उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली,1985 (यथा संशोधित) के नियम-7 व 28 के प्राविधानों एवं निम्नलिखित सिद्धान्तों के आधार पर सहायक अभियनता (वि0/यॉ0) की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची निम्नवत प्रख्यापित की जा रही है, जो पूर्व में प्रख्यापित सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) की अन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 20.11.2007 के नीचे पढ़ी जायेगी:-

(1) अवर अभियन्ता (वि0/यॉ0) से सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) के पद पर नियमित रूप से पदोन्नत सहायक अभियन्ताओं की ज्येष्ठता उनकी नियमित पदोन्नति की तिथि से पोषक संवर्ग की परस्पर ज्येष्ठता क्रम में निर्धारित की गयी है।

(2) श्री हरीश कुमार चैधरी की पदोन्नति के सम्बन्ध में अभी अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है, अतः श्री चैधरी के लिए अनन्तिम वरिष्ठता सूची में स्थान रिक्त रखा गया है।

क्र0	नाम	जन्म तिथि	अवर अभियन्ता (वि0/यॉ0) के पद पर भर्ती का स्रोत	अवर अभियन्ता (वि0/यॉ0) के पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि (अवर अभियन्ता (वि0/यॉ0) की वरिष्ठता सूची दि0 12.03.08 में वरिष्ठता क्रमांक)	सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) के पद पर विनियमितीकरण /मौलिक पदोन्नति /मौलिक नियुक्ति की तिथि
1	सर्वश्री, 2	3	4	5	6
1	राजीव महेश्वरी	10.07.63	तदर्थ	22.01.97 (3)	01.08.13 (पदोन्नति)
2	नसीरउल्लाह अन्सारी	21.03.60	तदर्थ	22.01.97 (4)	01.08.13 (पदोन्नति)
3	रनवीर सिंह	01.01.63	तदर्थ	22.01.97 (9)	01.08.13 (पदोन्नति)

http://shasanadesh.up.nic.in

4	भानु प्रताप सिंह	11.07.64	तदर्थ	22.01.97 (10)	01.08.13 (पदोन्नति)
5	देवेन्द्र कुमार (अ0जा0)	04.10.75	सीधी भर्ती	16.10.99 (14)	17.02.09 (पदोन्नति)
6	योगेन्द्र कुमार (अ0जा0)	01.09.74	सीधी भर्ती	16.10.99 (15)	17.02.09 (पदोन्नति)
7	प्रेम चन्द्र आर्य (अ0जा0)	21.10.68	सीधी भर्ती	16.10.99 (16)	17.02.09 (पदोन्नति)
8	भानु प्रताप (अ0जा0)	02.05.73	सीधी भर्ती	16.10.99 (17)	03.08.15 (पदोन्नति)
9	वीरेन्द्र कुमार (अ0जा0)	01.07.74	सीधी भर्ती	16.10.99 (18)	03.08.15 (पदोन्नति)
10	नीरज कुमार (अ0जा0)	20.08.75	सीधी भर्ती	16.10.99 (19)	03.08.15 (पदोन्नति)
11	मनोज कुमार सागर (अ0जा0) (डिग्रीधारी)	01.01.74	सीधी भर्ती	16.10.99 (20)	17.02.09 (पदोन्नति)
12	तेजवीर सिंह (अ0जा0)	17.08.75	सीधी भर्ती	16.10.99 (21)	03.08.15 (पदोन्नति)
13	अजीत कुमार बघाडिया (अ0जा0)	17.11.71	सीधी भर्ती	16.10.99 (22)	03.08.15 (पदोन्नति)
14	बृजेश कुमार (अ0जा0)	01.01.75	सीधी भर्ती	16.10.99 (23)	03.08.15 (पदोन्नति)
15	सत्य प्रकाश वर्मा (अ0जा0)	20.07.69	सीधी भर्ती	16.10.99 (24)	03.08.15 (पदोन्नति)
16	अनिल कुमार प्रथम (अ0जा0)	15.07.71	सीधी भर्ती	16.10.99 (25)	03.08.15 (पदोन्नति)
17	अनिल कुमार द्वितीय (अ0जा0)	04.11.72	सीधी भर्ती	16.10.99 (26)	03.08.15 (पदोन्नति)
18	आरक्षित			(27)	
19	लाला सतीश कुमार सुमन (अ0जा0)	05.03.73	सीधी भर्ती	16.10.99 (28)	03.08.15 (पदोन्नति)
20	मनोज कुमार सिंह (अ0जा0)	04.04.76	सीधी भर्ती	16.10.99 (29)	03.08.15 (पदोन्नति)
21	भगत सिंह (अ0जा0)	06.11.73	सीधी भर्ती	16.10.99 (30)	03.08.15 (पदोन्नति)
22	प्रदीप कुमार सिंह	25.12.59	दैनिक वेतन/ संविदा/ वर्कचार्ज	23.07.03 (38)	04.01.19 (पदोन्नति)
23	सुशील कुमार श्रीवास्तव	17.07.60	तदैव	23.07.03 (39)	04.01.19 (पदोन्नति)
24	कौशल कुमार	06.10.61	तदैव	23.07.03 (40)	04.01.19 (पदोन्नति)
25	वीरेन्द्र प्रताप मिश्र	15.06.62	तदैव	23.07.03 (41)	04.01.19 (पदोन्नति)
26	विजय कुमार श्रीवास्तव	23.09.60	तदैव	23.07.03 (42)	04.01.19 (पदोन्नति)
27	सत्येन्द्र कुमार	15.01.61	तदैव	23.07.03 (43)	04.06.19 04.01.19 (पदोन्नति)

2- उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के अभियन्त्रण संवर्ग के सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत करते हुए मुझे यह

http://Shasanadesh.up.nic.in

कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त वरिष्ठता सूची सम्बन्धित अभियन्तागण को 02 दिन के अन्दर उपलब्ध करा दें ताकि यदि उन्हें कोई आपत्ति हो तो पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर समुचित/प्रमाणिक साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति व्यक्तिगत/प्राधिकरण के माध्यम से शासन को उपलब्ध करा दें। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त होने वाली आपत्ति ग्राह्य नहीं होगी और न ही इस पर विचार किया जायेगा। कृपया उपरोक्तानुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

http://Shasanadesh.upnic.in

ऑन–लाईन बिल्डिंग प्लान एप्रूवल सिस्टम

शीर्ष प्राथमिकता/अति महत्वपूर्ण
संख्या–563/आठ–3–19–26विविध/2017 टी0सी0

प्रेषक,

माला श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एंव शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊ दिनांक : 20 जून, 2019**

विषयः– Online Building Plan Approval system (OBPAS) को लागू करने हेतु मानचित्र स्वीकृत की प्रकिया के निर्धारण एवं मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी शुल्कों में एकरूपता व पारदर्शिता लाए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अधीन घोषित विकास क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के विकास/निर्माण हेतु उक्त अधिनियम की धारा–14(1) के अनुसार उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण से अनुज्ञा प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। विकास/निर्माण अनुज्ञा प्राप्त किए जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पर अनुज्ञा प्रदान किए जाने से पूर्व उक्त अधिनियम की धारा–15(2ए) के अधीन प्राधिकरण को विभिन्न शुल्क उद्ग्रहीत किए जाने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त कतिपय शुल्क महायोजना जोनिंग रेगुलेशन्स, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा शासनादेशों के अनुपालन में लिए जाने की भी व्यवस्था है।

2– इस सम्बन्ध में शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों/परिषद द्वारा विकास/निर्माण अनुज्ञा प्रदान किए जाने के समय लिए जा रहे शुल्कों में एकरूपता नहीं है तथा कुछ विकास प्राधिकरणों द्वारा कतिपय शुल्क विधिक प्राविधानों के विरूद्व उद्ग्रहीत किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा जारी 'बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान, 2017' के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद में एक "काम्प्रीहेन्सिव यूनिफार्म बिल्डिंग कोड" तथा "ऑनलाईन बिल्डिंग प्लान एप्रूवल सिस्टम" लागू किए जाने के निर्देश हैं। अतः भवन उपविधियों तथा विकास एवं निर्माण अनुज्ञा हेतु लिए जाने वाले शुल्कों में एकरूपता होना आवश्यक है। उपर्युक्त के दृष्टिगत विकास प्राधिकरणों तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में "आनलाईन बिल्डिंग प्लान एप्रूवल सिस्टम" को लागू कराने के लिये रोड मैप तैयार करने तथा शासन को आवश्यक सुझाव उपलब्ध कराने के लिये शासनादेश संख्या–512/आठ–3–19–26विविध/17 टीसी, दिनांक 31.05.2019 द्वारा आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी।

3– उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की अध्यक्षता में गठित उक्त समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा विभिन्न शुल्कों के उद्ग्रहण तथा मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया में एकरूपता व पारदर्शिता लाये जाने हेतु समस्त विकास प्राधिकरणों

तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में तात्कालिक प्रभाव से निम्न व्यवस्था लागू किये जाने का निर्णय लिया गया हैं:–

3.1 विभिन्न शुल्कों को उद्ग्रहीत किये जाने के सम्बन्ध में:–

3.1.1. विकास अनुज्ञा शुल्क:

'विकास अनुज्ञा शुल्क' का तात्पर्य उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा–15(1) के अधीन भू–विन्यास मानचित्र (ले–आउट प्लान) जो 'नए विकास' अथवा 'पुनर्विकास' के लिए हो सकता है, की स्वीकृति हेतु प्राधिकरण/परिषद द्वारा लिए जाने वाले शुल्क से है। भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर विकास अनुज्ञा शुल्क की दरें निम्नवत् निर्धारित की जाती है।:–

भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	विकास अनुज्ञा शुल्क
• 1.0 तक	रू0 10,000/–
• 1.0 से अधिक एवं 2.5 तक	रू0 20,000/–
• 2.5 से अधिक एवं 5.0 तक	रू0 30,000/–
• 5.0 से अधिक तथा प्रत्येक अतिरिक्त 5.0 हेक्टेयर अथवा उसके अंश पर	रू0 15,000/–

उक्त के अतिरिक्त आवास बन्धु, उ0प्र0 एवं साफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर के मध्य नियमानुसार निष्पादित अनुबन्ध के अनुसार ले–आउट प्लान के कुल क्षेलफल पर प्रति वर्ग मीटर परीक्षण शुल्क (बतनजपदल थ्मम) देय होगा।

3.1.2 भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क:

(क) प्राधिकरण/परिषद द्वारा लिये जाने वाले शुल्क

'भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–15(1) के अधीन भवन मानचित्र की स्वीकृति हेतु लिए जाने वाले शुल्क से है। भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु भवन के कुल निर्मित क्षेत्रफल के आधार पर विभिन्न भू–उपयोगों के मानचित्रों हेतु भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क की दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:–

भू–उपयोग/क्रिया	भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क (रू0 प्रति व.मी.)
• व्यवसायिक/शापिंग काम्लेक्स/शापिंग मॉल, सिनेमा/मल्टीप्लेक्स, मिश्रित, कार्यालय उपयोग,	रू0 30/–
• ग्रुप हाउसिंग	रू0 15/–
• भूखण्डीय आवासीय एवं अन्य उपयोग	रू0 5/–

उक्त के अतिरिक्त आवास बन्धु, उ0प्र0 एवं साफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर के मध्य नियमानुसार निष्पादित अनुबन्ध के अनुसार भवन के कुल कारपेट एरिया पर प्रति वर्ग मीटर मानचित्र परीक्षण शुल्क (बतनजपदल थ्मम) देय होगा।

टिप्पणी: विकास/निर्माण अनुज्ञा हेतु प्रस्तुत आवदेन निरस्त होने के पश्चात् यदि आवेदक द्वारा छः माह के अन्दर पुनः आवेदन किया जाता है, तो पुनः विकास/निर्माण अनुज्ञा शुल्क देय नहीं होगा। छः माह से एक वर्ष की अवधि के अन्दर आवेदन करने पर शुल्क की आधी धनराशि तथा एक वर्ष के पश्चात् आवदेन करने पर पूर्ण शुल्क देय होगा।

3.1.3 निरीक्षण शुल्क

इस हेतु पूर्व में जारी समस्त शासनादेशों के अन्तर्गत निर्धारित निरीक्षण शुल्क की दरों को सी.पी.डब्लू.डी. के कॉस्ट इन्फलेशन इन्डेक्स के आधार पर वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु पुनरीक्षित करते हुए निम्नवत् निर्धारित किया जाता है:–

प्रयोजन	निरीक्षण शुल्क
• भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु	रू0 20/– प्रति वर्ग मीटर (भवन के कुल तल क्षेत्रफल पर)
• विकास अनुज्ञा हेतु	रू0 10/– प्रति वर्ग मीटर (ले–आउट प्लान के कुल भूमि क्षेत्रफल पर)

टिप्पणी: शासनादेश संख्या–612/9–आ–3–98–7वी/98, दिनांक 10.03.1998 के अनुसार पर्यवेक्षण/निरीक्षण शुल्क सभी प्रकार के भवन मानचित्रों पर लागू होगा चाहे वह एक तल के हो अथवा बहुखण्डीय या बहुमंजिला निर्माण हो।

3.1.4 विकास/निर्माण अनुज्ञा अवधि में वृद्धि हेतु शुल्क

अधिनियम की धारा–15(1) के अधीन प्रदान की गयी विकास अथवा निर्माण अनुज्ञा की अवधि नियमानुसार बढ़ाने हेतु उपरोक्त प्रस्तरों की तालिका कमशः 3.1.1 एवं 3.1.2 में उल्लिखित दरों का 50 प्रतिशत शुल्क लिया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त यथास्थिति, निरीक्षण शुल्क की शत–प्रतिशत धनराशि ली जाएगी।

3.1.5 विकास शुल्क

'विकास शुल्क' का तात्पर्य विकास क्षेत्र में सड़क नाली, सीवर लाईन, विद्युत–आपूर्ति और जलापूर्ति आदि के विकास/निर्माण के लिए प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा–15 के अधीन व्यक्तियों अथवा निकायों पर लगाये जाने वाले शुल्क से है। विकास शुल्क की वसूली के सम्बन्ध में आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 की अधिसूचना संख्या–1811/8–3–14–211विविध/13, दिनांक 17.11.2014 द्वारा उ0प्र0 नगर योजना और विकास (विकास शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 अधिसूचित की गई है। उक्त नियमावली के प्रयोजनार्थ विकास शुल्क का अभिप्राय 'बाह्य विकास शुल्क' से है तथा नियमावली के नियम संख्या–5 की अनुसूची में समस्त विकास क्षेत्रों हेतु विकास शुल्क की दरें निर्धारित की गई है। अतः विकास प्राधिकरणों/परिषद से अपेक्षा है कि विकास शुल्क की वसूली उक्त नियमावली के प्राविधानों के अनुसार सुनिश्चित की जाए। कतिपय विकास प्राधिकरणों/परिषद द्वारा स्थानीय स्तर पर अन्य शुल्क (यथा–मेला/महोत्सव, मेट्रो, ऐलीवेटेड रोड़, ओपन एरिया व बन्धा चार्ज, आदि) लिए जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में अपेक्षा है कि उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास (विकास शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली 2014 के प्रस्तर–5 के परन्तुक के आधार पर किसी नगर को कोई विशेष सुविधा अथवा प्रभाव अभिमुख अथवा परिक्षेत्र आधारित विकास (यथा–मास ट्रॅान्जिट ओरिएन्टेड डेवलपमेन्ट) हेतु नियमावली में निर्धारित विकास शुल्क की दर का अधिकतम 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा।

3.1.6 अम्बार शुल्क

'अम्बार शुल्क' हेतु शासनादेश संख्या–3086/9–आ–3–04–33काम्प/98 टीसी, दिनांक 06.08.2004 द्वारा जारी किये गये अम्बार शुल्क की दर को विकास प्राधिकरण / आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय लोक निर्माण

विभाग के कॉस्ट इन्फलेशन इन्डेक्स के आधार पर अद्यावधिक किए जाने का प्राविधान है, उक्त के आधार पर वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु पुनरीक्षित करते हुए रू. 40/–प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की जाती है। शासनादेश संख्या–संख्या–3086/9–आ–3–04–33काम्प/98टी.सी. दिनांक 06.08.2004 के शेष प्राविधान यथावत् रहेंगे।

3.1.7 विभिन्न शुल्कों हेतु निर्धारित दरें कॉस्ट इन्फलेशन इन्डेक्स पर आधारित है, जो दिनांक 31.03.2020 तक प्रभावी होंगी। विकास प्राधिकरणों/परिषद द्वारा उक्त दरों को अपने स्तर पर आगामी प्रत्येक वर्ष सी0पी0डब्ल्यू0डी0 के लखनऊ नगर हेतु जारी कॉस्ट इन्फलेशन इन्डेक्स के आधार पर पुनरीक्षित किया जाएगा।

3.1.8 शेल्टर फीस

'शेल्टर फीस' का तात्पर्य ई0डब्लू0एस0 एवं एल0आई0जी0 हेतु 20 प्रतिशत इकाईयों के निर्माण के एवज में विकासकर्ता द्वारा प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद को देय फीस से हैं। शेल्टर फीस का उद्ग्रहण शासनादेश संख्या 3188/आठ–1–13–80 विविध/10, दिनांक 05.12.2013 यथासंशोधित शासनादेश संख्या–3267/आठ–1–16–80 विविध/10, दिनांक 24.10.2016 मे निहित व्यवस्थानुसार सुनिश्चित किया जाएगा।

3.1.9 OBPAS में विभिन्न शुल्कों के उद्ग्रहण के लिये तीन विकल्पों यथा–ऑनलाईन पूर्ण पेमेण्ट, अथवा परफार्मेन्स बैंक गारण्टी अथवा मॉर्टगेज चयन के माध्यम से किये जाने की सुविधा आवदेक को उपलब्ध करायी जायेगी।

3.1.10 उपरोक्त प्रस्तर–3.1.1 से 3.1.8 में वर्णित शुल्कों के अतिरिक्त मानचित्र स्वीकृति हेतु नियमानुसार लिए जाने वाले अन्य शुल्क यथावत् उद्ग्रहीत किए जाएंगे।

3.2 मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रियाः–

3.2.1 OBPAS के माध्यम से प्राप्त भवन मानचित्रों हेतु ऑटो स्कूटनी एवं वांछित दस्तावेजों की उपलब्धता के आधार पर अनन्तिम स्वीकृति (च्तवअपेपवदंस ँदबजपवद) तत्काल ऑनलाईन जारी की जायेगी। इसके साथ ही प्राधिकरण/परिषद के सम्बन्धित अवर अभियन्ता को आवेदक द्वारा अपलोड किये गये समस्त दस्तावेज तथा मानचित्र ऑनलाईन प्राप्त हो जायेंगे, जिनकी पुष्टि अवर अभियन्ता द्वारा करके अपनी टिप्पणी/संस्तुति सिस्टम के माध्यम से अग्रसारित की जायेगी। प्राधिकरण/परिषद के अधिकारियों के कार्य–व्यस्तता एवं कार्यभार के दृष्टिगत उनके द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली आख्या/संस्तुति हेतु समयावधि निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः–

(क) अवर अभियन्ता स्तर पर अधिकतम 15 कार्यदिवस।

(ख) सहायक नगर नियोजक/सहायक अभियन्ता स्तर पर अवर अभियन्ता की आख्या के उपरान्त अधिकतम 04 कार्य दिवस।

(ग) नगर नियोजक/अधिशासी अभियन्ता स्तर पर सहायक नगर नियोजक/सहायक अभियन्ता की आख्या के उपरान्त अधिकतम 03 कार्य दिवस।

(घ) मुख्य नगर नियोजक स्तर पर नगर नियोजक/अधिशासी अभियन्ता की आख्या के उपरान्त अधिकतम 03 कार्य दिवस।

(ङ) सचिव/अपर सचिव स्तर पर मुख्य नगर नियोजक की आख्या के उपरान्त अधिकतम 02 कार्य दिवस।

(च) उपाध्यक्ष स्तर पर सचिव/अपर सचिव की आख्या के उपरान्त अधिकतम 03 कार्य दिवस।

3.2.2 प्राधिकरण/परिषद स्तर पर मानचित्रों के विश्लेषण/निरीक्षण में पायी जाने वाली त्रुटियों के आधार पर मानचित्रों को निरस्त किये जाने की प्रक्रिया निम्नवत् होगीः–

(क) 500 वर्ग मीटर भूखण्ड क्षेत्रफल तक के समस्त प्रकार के भवन मानचित्रों का निरस्तीकरण नगर नियोजक/अधिशासी अभियन्ता स्तर से किया जायेगा।

(ख) 500 वर्ग मीटर से अधिक तथा 2000 वर्गमीटर से कम भूखण्ड क्षेत्रफल वाले समस्त प्रकार के भवन मानचित्रों का निरस्तीकरण मुख्य नगर नियोजक स्तर से किया जायेगा।

(ग) 2000 वर्गमीटर एवं उससे अधिक भू–खण्ड क्षेत्रफल वाले समस्त प्रकार के भवन मानचित्रों का निरस्तीकरण आवास आयुक्त/उपाध्यक्ष स्तर से किया जायेगा।

3.2.3 प्राधिकरण/परिषद स्तर पर किये जाने वाले विश्लेषण/निरीक्षण में नियमानुसार पाये गये मानचित्रों की निर्धारित समयावधि में स्वीकृति जारी किये जाने की प्रक्रिया निम्नवत् होगीः–

(क) नगर नियोजक/अधिशासी अभियन्ता स्तरः

प्राधिकरण/परिषद की योजनाओं/ले–आउट प्लान्स एवं प्राधिकरण/परिषद द्वारा स्वीकृत योजनाओं/ले–आउट प्लान्स के अन्तर्गत 500 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के आवासीय भूखण्ड हेतु स्वीकृति नगर नियोजक/अधिशासी अभियन्ता स्तर से जारी की जायेगी।

(ख) मुख्य नगर नियोजक स्तरः

मुख्य नगर नियोजक द्वारा निम्नांकित मानचित्रों की स्वीकृति जारी की जायेगीः–

(i) प्राधिकरण/परिषद की योजनाओं/ले–आउट प्लान्स एवं प्राधिकरण/परिषद द्वारा स्वीकृत योजनाओं/ले–आउट प्लान्स के अन्तर्गत 500 वर्गमीटर से अधिक तथा 2000 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के आवासीय भूखण्डों हेतु।

(ii) प्राधिकरण/परिषद की योजनाओं/ले–आउट प्लान्स एवं प्राधिकरण/परिषद द्वारा स्वीकृत योजनाओं/ले–आउट प्लान्स के अन्तर्गत 500 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के अनावासीय भूखण्डों हेतु।

(ग) आवास आयुक्त/उपाध्यक्ष स्तरः

आवास आयुक्त/उपाध्यक्ष द्वारा निम्नांकित मानचित्रों की स्वीकृति जारी की जायेगीः–

(i) प्राधिकरण/परिषद की योजनाओं/ले–आउट प्लान्स एवं प्राधिकरण/परिषद द्वारा स्वीकृत योजनाओं/ले–आउट प्लान्स के अन्तर्गत 2000 वर्गमीटर एवं उससे अधिक क्षेत्रफल तक के आवासीय भूखण्डों हेतु।

(ii) प्राधिकरण/परिषद की योजनाओं/ले–आउट प्लान्स एवं प्राधिकरण/परिषद द्वारा स्वीकृत योजनाओं/ले आउट प्लान्स के अन्तर्गत 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल तक के अनावासीय भूखण्डों हेतु।

(iii) प्राधिकरण/परिषद की योजनाओं/ले–आउट प्लान्स एवं प्राधिकरण/परिषद द्वारा स्वीकृत योजनाओं/ले–आउट प्लान्स के अतिरिक्त विकास क्षेत्र में स्थित समस्त क्षेत्रफल के भूखण्डों के मानचित्रों की स्तीकृति हेतु।

3.2.4 भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्रस्तर संख्या–3.1.3 (प) के अनुसार प्राधिकरणों/परिषद द्वारा 30 दिन में मानचित्र स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था है, जिसे आंशिक रूप से संशोधित करते हुये 30 कार्यदिवस किया जाता है।

3.2.5 मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया के अन्तर्गत उपरोक्त प्रस्तर – 3.2.1 से 3.2.3 में वर्णित पदों के रिक्त होने की स्थिति में उल्लिखित कार्यों का सम्पादन सम्बन्धित प्राधिकरण के उपाध्यक्ष/आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं परिषद द्वारा नामित प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

3.3 अनापत्ति प्रमाण पत्रः–

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्रस्तर संख्या–3.1.3.3 (पपप) में प्राधिकरणों/परिषद द्वारा मानचित्र स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था में विभिन्न विभागों से प्राप्त किये जाने वाले अनापत्ति प्रमाण–पत्रों की अधिकतम समय सीमा 30 दिन निर्धारित है, जिसे संशोधित करते हुये 10 कार्य दिवस निर्धारित किया जाता है। निर्धारित अवधि में अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त न होने पर 30 कार्य दिवस के अन्दर मानचित्र इस शर्त के साथ अनन्तिम(प्रोविजनल) रूप से स्वीकृत कर दिये जायेंगे कि निर्माणकर्ता सम्बन्धित विभाग/अभिकरण से अनापत्ति प्राप्त कर लेंगे व सम्बन्धित विभाग/अभिकरण की अनापत्ति/शर्तों के अनुसार ही निर्माण/विकास किया जायेगा।

4– भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा पूर्व में जारी सुसंगत अधिसूचना/शासनादेश कृपया तत्सीमा तक संशोधित समझे जाए। इसके अतिरिक्त नियमानुसार प्रभावी/निर्धारित अन्य शुल्क यथा–शमन शुल्क, लेबर सेस, क्रय योग्य एफ0ए0आर0 शुल्क इत्यादि भी यथावत् देय होंगे।

उपर्युक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीया,
माला श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या–563(1)/आठ–3–19–26 विविध/2017 टी0सी0 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तर प्रदेश शासन।
7. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नई दिल्ली।
9. आयुक्त, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश ।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश ।
12. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर भारतीय आवास निर्माण एवं वित्त निगम लि. लखनऊ।
13. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश आर्किटेक्ट एसोसिएशन।
14. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु उत्तर प्रदेश ।
15. निदेशक, आवास बन्धु को इस निर्देश के साथ कि शासनादेश को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड कराने का कष्ट करें।
16. समस्त अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
17. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मनीष चन्द्र श्रीवास्तव
अनु सचिव।

सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या–567/आठ–3–19–26विविध/2017टी0सी0

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
उ0प्र0 लखनऊ।

2 **उपाध्यक्ष,**
. समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊ :दिनांक : 20 जून, 2019**

विषय :–"ईज आफ डूईंग बिजनेस" के अन्तर्गत ऑनलाईन मानचित्रों की स्वीकृति हेतु आनलाईन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम ;व्ठच्।ैद्ध को उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों में लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि "ईज ऑफ डूईंग बिजनेस" के अन्तर्गत नागरिकों को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने की प्रक्रिया को त्वरित व पारदर्शी बनाये जाने हेतु राज्य सरकार कृत संकल्प है तथा इस संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर यथावश्यक दिशा निर्देश भी दिये गये है।

2– उक्त क्रम में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों में मानचित्र की स्वीकृति की प्रक्रिया को जन सामान्य के लिए सुविधाजनक, सरल एवं पारदर्शी बनाये जाने के उद्देश्य से उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 की धारा–92(2) तथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–41(1) के अन्तर्गत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "ईज आफ डूईंग बिजनेस" के अन्तर्गत ऑनलाईन मानचित्रों की स्वीकृति हेतु आनलाईन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (OBPAS) को बोर्ड में अंगीकृत करते हुए तत्काल प्रभाव से लागू करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत करायें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

भवदीय,

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव।

संख्या –567(1)/आठ–3–19–26विविध/2017टी0सी0 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3. निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित है कि इस शासनादेश को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

मनीष चन्द्र श्रीवास्तव
अनु सचिव।

शीर्ष प्राथमिकता/अति महत्वपूर्ण

संख्या–1036/आठ–3–19–26विविध/2017टी0सी0

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एव शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक : 02 सितम्बर, 2019**

विषय :–Online Building Plan Approval System (OBPAS) को लागू करने हेतु मानचित्र स्वीकृति की प्रकिया के निर्धारण एवं मानचित्र स्वीकृति संबंधी शुल्कों में एकरूपता व पारदर्शिता लाए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–563/आठ–3–19–26 विविध/2017 टी0सी0 दिनांक 20.06.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार प्राधिकरणों/परिषद द्वारा 30 कार्य दिवस के भीतर मानचित्र/ले–आउट की स्वीकृति एवं प्रकिया निर्धारित किये जाने के प्राविधान किये गये है।

2– उक्त शासनादेश के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऑन लाइन मानचित्र स्वीकृति हेतु आवेदन प्राप्त होने तथा शुल्क जमा होने के उपरान्त अवर अभियन्ता स्तर पर प्राप्त आवदेनों के सम्बन्ध में सभी प्रकार की आपत्तियों से आवेदक को अवगत कराये जाने हेतु अधिकतम 07 दिवस की समय–सीमा निर्धारित की जाती है। उक्त अवधि के उपरान्त किसी भी स्तर द्वारा आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जा सकेगी। यह भी कहने का निदेश हुआ है कि ऑफ लाइन मानचित्र/ले–आउट स्वीकृति पूर्ण रूप से बन्द कर दी जाय। उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। आदेशों के उल्लंघन को शासन द्वारा गंभीरता से लिया जायेगा।

भवदीय,

दीपक कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या–1036(1)/आठ–3–19–26विविध/2017टी0सी0–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, गृह विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तर प्रदेश शासन।

क्रमशः––

;2द्ध

7. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नई दिल्ली।
9. आयुक्त, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।
12. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर भारतीय आवास निर्माण एवं वित्त निगम लि. लखनऊ।
13. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश आर्किटेक्ट एसोसिएशन।
14. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु उत्तर प्रदेश।
15. निदेशक, आवास बन्धु को इस निर्देश के साथ कि शासनादेश को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड कराने का कष्ट करें।
16. समस्त अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
17. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मनीष चन्द्र श्रीवास्तव
अनु सचिव।

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध
संख्या–1208/आठ–3–19–26विविध/2017 टी0सी0

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक : 24 अक्टूबर, 2019**

विषयः ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अन्तर्गत ऑन लाइन मानचित्रों की स्वीकृति हेतु ऑन लाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (OBPAS) को उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों में लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–563/आठ–3–19–26विविध/2017 टी0सी0 दिनांक 20.06.2019 द्वारा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों में मानचित्र की स्वीकृति की प्रक्रिया को जनसामान्य के लिए सुविधाजनक, सरल एवं पारदर्शी बनाये जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत करते हुए **OBPAS** को बोर्ड में अंगीकृत करते हुए तत्काल प्रभाव से लागू किये जाने के निर्देश दिये गये है। शासन द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये जाने के उपरान्त भी प्राधिकरणों/उ0प्र0 आवास विकास परिषद में **OBPAS (Auto DCR)** प्रणाली पर ही समस्त मानचित्र स्वीकृत किये जाने संबंधी सूचना/प्रमाण–पत्र शासन में प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि यह प्रकरण अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है एवं इसका सफल क्रियान्वयन/संचालन शासन की उच्च प्राथमिकता है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में विशेष ध्यान देते हुए शासन द्वारा दिये गये उक्त निर्देशों के अनुपालन में विकास प्राधिकरण/उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में मानचित्र स्वीकृति की पूर्व प्रचलित व्यवस्था प्रत्येक दशा में **OBPAS (Auto DCR)** प्रणाली के माध्यम से ही सुनिश्चित कराते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 लखनऊ/नोडल अधिकारी के माध्यम से दिनांक 01.11.2019 तक शासन को अनिवार्यतः उपलब्ध कराने का कष्ट करें। दिनांक 01.11.2019 से किसी भी दशा में पूर्व प्रचलित व्यवस्था के अन्तर्गत मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही न की जाये।

कृपया इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करें।

भवदीय

दीपक कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या–1208 (1)/आठ–3–19–26 विविध/2017 टी0सी0–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ।
(2) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय के प्रेषित कि कृपया सभी संबंधित को उक्त आदेश की प्रति 02 दिन में उपलब्ध कराते हुए वांछित सूचना/प्रमाण–पत्र सर्वसंबंधित से प्राप्त कर दिनांक 01.11.2019 को व्यक्तिगत रूप से शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
(3) निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) श्री जी0एस0 गोयल, सलाहकार (विकास), आवास बन्धु, लखनऊ।

आज्ञा से,

मनीष चन्द्र श्रीवास्तव
अनु सचिव।

प्रधानमंत्री आवास योजना

महत्वपूर्ण / समयबद्ध
संख्या–845 / आठ–1–19–08विविध / 2016टी0सी0

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
उ0प्र0 लखनऊ।

2. **समस्त उपाध्यक्ष,**
विकास प्राधिकरण
उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांक : 07 जून, 2019**

विषयः प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)के अन्तर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग–इन पार्टनरशिप मद के अन्तर्गत भवनों के निर्माण के लिए अभिकरणों हेतु निर्धारित लक्ष्य के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–986 / आठ–1–18–80विविध / 2010, दिनांक 26 जून, 2018 एवं शासनादेश संख्या–27 / आठ–1–2018–08विविध / 2016, दिनांक 15 जनवरी, 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश में अफोर्डेबल हाउसिंग इन–पार्टनरशिप में ई0डब्ल्यू0एस भवनों के निर्माण के संबंध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीनस्थ अभिकरणों हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 के लिए ई0डब्ल्यू0एस भवनों के निर्माण हेतु अभिकरणवार लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

2– इस संबंध में विभिन्न अभिकरणों द्वारा वर्ष 2018–19 में लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त उपलब्धि के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि कतिपय अभिकरणों द्वारा निर्धारित लक्ष्य से कम उपलब्धि प्राप्त की गयी। अतः वर्ष 2018–19 में अभिकरणों हेतु निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति में जो कमी पायी गयी है, उसको वर्ष 2019–20 के पूर्व निर्धारित लक्ष्य में सम्मिलित करते हुए अभिकरणवार संशोधित लक्ष्य निम्नवत निर्धारित किया जाता है :–

(संख्या हजार में)

क्रमांक	अभिकरणवार का नाम	वित्तीय वर्ष 2018–19 का अवशेष लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2019–20	वित्तीय वर्ष 2019–20 का संशोधित लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2020–21	योग 5 एवं 6
1	2	3	4	5	6	7
1.	आवास विकास परिषद	23.512	60	83.512	17	100.512
2.	गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण	–3.059	18	14.941	4.5	19.441
3.	कानपुर विकास प्राधिकरण	–17.032	20	2.968,	5	7.968
4.	लखनऊ विकास प्राधिकरण	3.873	24	27.873	6	33.873

5.	आगरा विकास प्राधिकरण	10.947	20	30.947	5	35.947
6.	प्रयागराज विकास प्राधिकरण	8.741	13	21.741	3.25	24.991
7.	मेरठ विकास प्राधिकरण	−0.408	4	3.592	1	4.592
8.	मुरादाबाद विकास प्राधिकरण	3.82	10	13.82	2.5	16.32
9.	अलीगढ़ विकास प्राधिकरण	−3.72	6	2.28	1.5	3.78
10.	बरेली विकास प्राधिकरण	−2.124	2	−0.124	0.5	0.376
11.	गोरखपुर विकास प्राधिकरण	−0.786	3	2.214	0.75	2.964
12.	मथुरा–वृन्दावन वि0 प्राधिकरण	0.542	3	3.542	0.75	4.292
13.	वाराणसी विकास प्राधिकरण	0.858	3	3.858	0.75	4.608
14.	बाँदा विकास प्राधिकरण	−0.002	1	0.998	0.25	1.248
15.	बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण	0.59	1	1.59	0.25	1.84
16.	अयोध्या विकास प्राधिकरण	0.11	1	1.11	0.25	1.36
17.	फिरोज़ाबाद–शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण	0.40	1.6	2	0.4	2.4
18.	हापुड़–पिलखुआ विकास प्राधिकरण	−1.788	1.6	−0.188	0.4	0.212
19.	झाँसी विकास प्राधिकरण	−3.538	1	−2.538	0.25	−2.288
20.	मुज़फ्फरनगर विकास प्राधिकरण	0.834	1	0.166	0.25	0.416
21.	रायबरेली विकास प्राधिकरण	−0.227	1	0.773	0.25	1.023
22.	उन्नाव विकास प्राधिकरण	0.03	1	1.03	0.25	1.28
23.	रामपुर विकास प्राधिकरण	0.51	1	1.51	0.25	1.76
24.	उरई विकास प्राधिकरण	0.558	1	1.558	0.25	1.808
25.	आज़मगढ़ विकास प्राधिकरण	−0.132	0.4	0.268	0.1	0.368

26.	बागपत–बड़ौत खेकड़ा वि0प्रा0	0.15	0.2	0.35	0.05	0.4
27.	बस्ती विकास प्राधिकरण	0.15	0.2	0.35	0.05	0.4
योग		**21.141**	**199**	**220.141**	**51.75**	**271.891**

3– कृपया उपर्युक्त लक्ष्य के अनुसार ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों के निर्माण का कार्य सुनिश्चित कराने तथा कृत कार्यवाही से आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव।

संख्या– 845 (1)/आठ–1–18, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, उ0प्र0 शासन को 61 महत्वपूर्ण प्राथमिकता के कार्यक्रम में सम्मिलित करते हुए मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु।
5. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0।
6. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0।
7. निदेशक, सूडा, उ0प्र0, लखनऊ।
8. समस्त अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण।
9. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उ0प्र0।
10. समस्त अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उ0प्र0, शासन।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

माला श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

विविध

संख्या–2039/8–3–18–187विविध/2018

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त,**
उत्तर प्रदेश।
2. **आवास आयुक्त,**
आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश।
3. **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।
4. **उपाध्यक्ष/अध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एंव शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक : 10 जनवरी, 2019**

विषयः–प्रदेश में स्थापित जनसेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जनसुविधा केन्द्रों/ई–सुविधा केन्द्रों के माध्यम से ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना के द्वारा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की सेवाओं को आम जन मानस तक उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आम जन मानस से सम्बन्धित सेवाओं, जिनमें जनहित गारण्टी अधिनियम उ0प्र0 के अन्तर्गत सेवाएं सम्मिलित हैं, को इलेक्ट्रानिक माध्यम से उपलब्ध कराया जाना एवं उन सेवाओं को ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (http://edistrict.up.nic.in) से इन्टीग्रेट किया जाना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है।

2– वर्तमान में प्रदेश के आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरण कार्यालयों में वेब पोर्टल (http://janhit.upda.in) से आवास विभाग की निम्न सेवाओं की ऑनलाईन सुविधा जनसमान्य के लिए उपलब्ध हैः–

कोड संख्या	Name of service	सेवा का नाम
15101	Duplicate order request	डुप्लीकेट ऑर्डर हेतु आवेदन
15102	Refund Management	धनराशि की वापसी
15103	Online free hold	भवन भूखण्ड फ्री होल्ड करना
15104	Registration for allotment	आंवटन हेतु पंजीयन
15105	Mutation management	नामान्तरण कार्यवाही

3– उपरोक्त के परिपेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त उपर्युक्त प्रस्तर 02 में इंगित आवास विभाग की ऑनलाईन सेवाओं को ई–डिस्ट्रिक पोर्टल (http://edistrict.up.nic.in) के माध्यम से इन्टीग्रेट कराते हुए आम जन मानस को उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

4– उक्त चयनित सेवाओं को एन0आई0सी0 की तकनीकी टीम द्वारा ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट कर दिया गया है। अतः ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (http://edistrict.up.nic.in) के माध्यम से आवास विभाग की उक्त 05 इन्टीग्रेटेड सेवाओं को उपलब्ध कराये जाने की अनुमति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है:–

i. उक्त सेवाओं को आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग उ0प्र0 शासन द्वारा मान्यता प्राप्त कॉमन सर्विस सेन्टर्स यथा–जनसेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/ई–सुविधा केन्द्रों/जनसुविधा केन्द्रों के माध्यम से आम जन मानस को उपलब्ध कराया जायेगा।

ii. अधिकृत केन्द्रों की सूची कॉमन सर्विस सेन्टर्स द्वारा आवास विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसे आवास विभाग की वेबसाईट पोर्टल (http://awas.up.nic.in) एवं आवास बन्धु की पोर्टल (http://awasbandhu.in) पर जन सूचनार्थ प्रदर्शित किया जायेगा।

iii. कॉमन सर्विस सेन्टर्स द्वारा ऑन–लाईन माध्यम से उक्त सेवाओं को प्रदान किये जाने हेतु समस्त आवश्यक औपचारिकताओं/व्यवस्थाओं को पूर्ण करने की कार्यवाही की जायेगी।

iv. आवेदक के अनुरोध पर कॉमन सर्विस सेन्टर्स के अधिकृत आपरेटर द्वारा ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आवास विभाग के उक्त पोर्टल पर दी गयी आवेदन की प्रक्रिया तथा फीस भुगतान की व्यवस्था का अनुपालन किया जायेगा एवं विभाग के वेब पोर्टल पर प्रदर्शित फीस धनराशि को उसी वेब पोर्टल से लिंक्ड बैंक खाते में क्रेडिट किया जायेगा।

v. किसी आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण (Complete) तभी माना जायेगा जब आवास विकास के वेब पोर्टल से उस आवेदन के सापेक्ष निर्धारित फीस की धनराशि की ई–रसीद या आवेदन की ई–रसीद जनरेट कर दी जाये।

vi. यूजर चार्जेजः प्रत्येक सफल ट्रान्जेक्शन पर कॉमन सर्विस सेन्टर्स द्वारा आवेदन कर्ता से निर्धारित यूजर चार्ज रू0 20.00 (रू0 बीस मात्र) सभी करों सहित लिया जायेगा तथा कॉमन सर्विस सेन्टर द्वारा तद्सम्बन्धी प्राप्ति रसीद आवेदन कर्ता को दी जायेगी।

vii. अगर कोई नागरिक सीधे विभागीय पोर्टल पर सेवा हेतु आवेदन करता है तो उस पर उपरोक्त यूजर चार्जेज लागू नहीं होंगें।

viii. कॉमन सर्विस सेन्टर्स के माध्यम से आम जन मानस को उपलब्ध करायी जाने वाली आवास विभाग की सेवाओं के सापेक्ष देय गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स (जी0एस0टी0) अथवा कोई अन्य शुल्क का वहन कॉमन सर्विस सेन्टर्स द्वारा स्वयं किया जायेगा, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग पर इसकी कोई देयता नहीं होगी।

ix. आवेदकों की जानकारी के लिये कॉमन सर्विस सेन्टर्स द्वारा अपने सभी अधिकृत केन्द्रों पर आवेदन की प्रक्रिया का पूर्ण विवरण, यूजर चार्जेज का विवरण तथा आवेदक को कॉमन सर्विस सेन्टर्स के द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले प्रपत्रों (यथा –ऑनलाईन आवेदन की प्रिन्टेड प्रति, भुगतान की गयी फीस की ई–रसीद, कॉमन सर्विस सेन्टर्स द्वारा रू0 20.00 की प्राप्ति रसीद) का विवरण उचित स्थान पर प्रदर्शित कराया जायेगा।

5– ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आये आवेदनों को आवास विकास परिषद/प्राधिकरणों के सक्षम अधिकारी द्वारा उसी तरह प्रॉसेस किया जायेगा, जिस तरह वह वर्तमान में अपने विभागीय पोर्टल पर प्रॉसेस कर रहे हैं।

6– कृपया उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाहियां शीर्ष प्राथमिकता पर पूर्ण कराकर कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यंमत्री, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक विभाग उ0प्र0 शासन।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0।
5. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ।
6. राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई–गवर्नेन्स उ0प्र0 शासन।
7. स्टेट इन्फॉर्मेटिक्स ऑफिसर एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
8. हेड एस0ई0एम0टी0 उ0प्र0।
9. निदेशक, आवास बन्धु लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की शासकीय वेबसाइट कर अपलोड कराने का कष्ट करें।
10. प्रबन्धक निदेशक, यू0पी0 डेस्को, लखनऊ।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

मनीष चन्द्र श्रीवास्तव
अनु सचिव।

संख्या–239/8–3–19–152 विविध/17

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
3. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊ; दिनांक 20 फरवरी, 2019

विषयः– उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा पायलट प्रोजेक्ट्स के रूप में 'लैण्ड पूलिंग स्कीम' के कियान्वयन हेतु नीति।

महोदय,

आप अवगत हैं कि शहरी क्षेत्रों में विभिन्न विकास एवं निर्माण कार्यों हेतु भूमि जहाँ एक ओर आवश्यक संसाधन है, वहीं दूसरी ओर यह एक गैर–नवीकरणीय (नॉन–रिन्यूएबल) संसाधन भी है। भूमि पर शहरीकरण के निरन्तर बढ़ रहे दबाव के दृष्टिगत सुनियोजित नगरीय विकास हेतु समय पर एवं समुचित मात्रा में भूमि उपलब्ध होना आवश्यक है, परन्तु भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अधीन भूमि का अर्जन न केवल जटिल एवं समयकारक है, बल्कि भूमि अर्जन के लिए एकमुश्त बहुत बड़ी धनराशि की भी आवश्यकता होती है। विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद द्वारा अपने सीमित संसाधनों से अधिनियम के अधीन भूमि अर्जन अथवा किसानों से सीधे भूमि कय किया जाना कठिन होता जा रहा है। विकास प्राधिकरणों के पास लैण्ड बैंक के अभाव में आवासीय योजनाओं हेतु समय से भूमि उपलब्ध न होने के कारण मांग के सापेक्ष आवास की आपूर्ति सुनिश्चित नही हो पाती है, जिसके परिणामस्वरूप भूमि के अनाधिकृत विकास की प्रकिया को बढ़ावा मिलता है। 'लैण्ड पूलिंग स्कीम' सुनियोजित शहरी विकास हेतु एक व्यवहारिक पद्धति है, जिसके अधीन शासकीय अभिकरणों द्वारा भूमि को कय अथवा अर्जित किए बिना किसानों/भू–स्वामियों से उनकी सहमति एवं स्वेच्छा से भूमि का विकास सुनिश्चित किया जा सकता है।

2– अतएव, शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–41(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट्स के रूप में लैण्ड पूलिंग स्कीम के कियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्नवत नीति निर्धारित की जाती हैः–

2.1 पायलट प्रोजेक्ट हेतु स्थल चयन एवं भूमि जुटाव

(1) शासकीय अभिकरणों (आवास एवं विकास परिषद/विकास प्राधिकरणों) द्वारा स्थानीय भू–स्वामियों / किसानों से संवाद स्थापित करते हुए उन्हें लैण्ड पूलिंग स्कीम की जानकारी एवं उससे होने वाले लाभों से अवगत कराया जाये तथा इन योजनाओं में

स्वेच्छा से सहयोग करने हेतु उन्हें राजी किया जाए। योजना हेतु भूमि का चयन ऐसी लोकेशन्स में किया जाए, जहाँ न्यूनतम 80 प्रतिशत भू–स्वामी स्वेच्छा से लैण्ड पूलिंग स्कीम में सहभागिता हेतु तैयार हों। शेष 20 प्रतिशत भू–स्वामी, जो स्वेच्छा से लैण्ड पूलिंग स्कीम में सहभागिता हेतु तैयार न हों, ऐसे स्वामित्व की भूमि को योजनान्तर्गत उपयोग में लाने के लिए निम्न विकल्प अपनाए जा सकते हैं:–

(क) योजनान्तर्गत भूमि का इस शर्त के अधीन समायोजन किया जाए कि सम्बन्धितभू–स्वामी को न्यूनतम 25 प्रतिशत विकसित भूमि उसके मूल स्वामित्व की भूमि के अन्तर्गत ही दी जाएगी। शेष भूमि का उपयोग शासकीय अभिकरण द्वारा योजना की भौतिक एवं सामाजिक अवस्थापना सुविधाओं के प्राविधान तथा विकास कार्यों की लागत की प्रतिपूर्ति हेतु किया जाए।

(ख) योजना के ले–आउट प्लान में ऐसी भूमि के उपयोग को डेवलपमेन्ट कन्ट्रोल सम्बन्धी रेगुलेशन्स/उपविधियों द्वारा रेगुलेट किया जाए।

(ग) भूमि के एवज में 'ट्रान्सफरेबल डेवलपमेन्ट राइट्स' (टी.डी.आर.) प्रदान किया जाए, ताकि उक्त भूमि के सापेक्ष देय एफ.ए.आर का सम्बन्धित भू–स्वामी द्वारा टी.डी.आर. बाई–लाज के अनुसार उपयोग किया जा सके।

(2) पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लैण्ड पूलिंग स्कीम न्यूनतम 25 एकड़ भूमि पर बनाई जाएगी, जो महायोजना/जोनल डेवलपमेन्ट प्लान में प्रस्तावित/विद्यमान न्यूनतम 18 मीटर चौड़े मार्ग पर स्थित हो। लैण्ड पूलिंग स्कीम हेतु 'पोटेन्शियल लोकेशन्स' में स्थित भूमि के चयन को वरीयता दी जाएगी, जिसे नेशनल/स्टेट हाईवे/एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध हो। चिन्हित भूमि यथासम्भव 'काम्पेक्ट' आकार एवं निरन्तरता में होनी चाहिए, ताकि अवस्थापना सुविधाओं का एकीकृत रूप से प्राविधान किया जाना सम्भव हो सके।

(3) लैण्ड पूलिंग स्कीम हेतु महायोजनान्तर्गत 'आवासीय' भू–उपयोग में स्थल चयन को प्राथमिकता दी जाए। आवासीय भू–उपयोग में समुचित मात्रा एवं उपयुक्त लोकेशन में भूमि उपलब्ध न होने की दशा में 'कृषि' भू–उपयोग में भी लैण्ड पूलिंग स्कीम बनाई जा सकती है, जिस हेतु नियमानुसार भू–उपयोग परिवर्तन कराना आवश्यक होगा। 'कृषि' से 'आवासीय' में भू–उपयोग परिवर्तन हेतु परिवर्तन शुल्क में छूट होगी।

(4) लैण्ड पूलिंग स्कीम के अन्तर्गत आने वाली ग्राम सभाओं की भूमि को नियमानुसार शासकीय अभिकरण के पक्ष में पुनर्ग्रहण हेतु कार्यवाही की जाए।

2.2 विकास अनुबन्ध निष्पादन

(1) लैण्ड पूलिंग स्कीम में सहभागिता हेतु सम्बन्धित भू–स्वामियों से निर्धारित प्रपत्र पर शपथ–पत्र सहित आवेदन–पत्र लिए जाएं और शासकीय अभिकरण एवं भू–स्वामियों/किसानों के मध्य स्टाम्प पेपर पर पंजीकृत विकास अनुबन्ध (रजिस्टर्ड डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट) निष्पादित किया जाए, जिस पर स्टाम्प ड्यूटी देय नहीं है। आवेदन–पत्र तथा विकास अनुबन्ध के प्रपत्र कमशः **संलग्नक–1**एवं **संलग्नक–2** पर संलग्न है

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा–28 के अधीन आवासीय योजनाओं के लिए चूंकि अधिसूचना की व्यवस्था है, अतः आवास एवं विकास परिषद द्वारा विकास अनुबन्ध निष्पादन के साथ–साथ लैण्ड पूलिंग स्कीम बनाने के लिए अधिसूचना भी जारी की जाए।

(2) शासकीय अभिकरण तथा भू–स्वामियों के मध्य निष्पादित होने वाले विकास अनुबन्ध के अन्तर्गत यह प्राविधानित है कि लैण्ड पूलिंग स्कीम के अधीन दोनों पक्ष सहमत है और इस योजना में दोनों पक्षों की सहभागिता है। उक्त विकास अनुबन्ध हस्ताक्षरित होने की तिथि से सम्पूर्ण योजनावधि तक प्रभावी रहेगा और उभय पक्ष की सहमति से इसमें वृद्धि भी की जा सकेगी। विकास अनुबन्ध के अनुसार भू–स्वामियों/किसानों की भूमि परियोजना अवधि के लिए अस्थायी रूप से शासकीय अभिकरण के पक्ष में हस्तान्तरित रहेगी, ताकि परियोजना के विकास /निर्माण कार्य पूर्ण करने में कोई कठिनाई न हो।

2.3 भूमि का नियोजन एवं अवस्थापना विकास

(1) शासकीय अभिकरण द्वारा योजना का ले–आउट प्लान, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में निर्धारित मानकों के अनुसार तैयार किया जाए, जिसके अन्तर्गत सार्वजनिक उपयोगों यथा–सड़के, पार्क एवं खुले क्षेत्र, सामुदायिक सुविधाओं तथा अवस्थापना सुविधाओं (जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत–आपूर्ति, कूड़ा–निस्तारण आदि) के लिए प्राविधान किए जाएं। योजना के ले–आउट प्लान में निम्न के सम्बन्ध में विशेष रूप से प्राविधान किए जाएं–

(क) योजना के कुल क्षेत्रफल का न्यूनतम 15 प्रतिशत पार्क एवं खुले क्षेत्र/ग्रीन बेल्ट के लिए प्राविधान करना अनिवार्य होगा।

(ख) योजनान्तर्गत सौर ऊर्जा के उपयोग (विशेषकर स्ट्रीट–लाइटिंग) को प्रोत्साहित किया जाए तथा कूड़े से ऊर्जा उत्पादन करने हेतु भी प्रयास किए जाएं।

(ग) 100 वर्ग मीटर एवं उससे अधिक क्षेत्रफल के सभी प्रकार के भूखण्डों में नियमानुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना किया जाना अनिवार्य होगा।

(घ) लैण्ड पूलिंग स्कीम को 'स्मार्ट सिटी' के आधार पर विकसित किए जाने का प्रयास किए जाएं।

(2) नगर की स्थिति, योजना स्थल की स्थिति, महायोजना/जोनल डेवलपमेन्ट प्लान में प्रस्तावित भू–उपयोग, अनुमन्य एफ.ए.आर., विकास कार्यो के स्तर तथा योजना की 'इकोनॉमिक वायबिलिटी' को दृष्टिगत रखते हुए भू–स्वामियों एवं शासकीय अभिकरण के अंश का निर्धारण स्थानीय स्तर पर शासकीय अभिकरण द्वारा किया जाएगा। परन्तु भू–स्वामियों को पुनर्गठित भूखण्डों के रूप में निःशुल्क दी जाने वाली (आन्तरिक एवं वाह्य रूप से विकसित) उनके द्वारा पूल की गई भूमि के 25 प्रतिशत से कम नहीं होगी। भू–स्वामियों को यह भी विकल्प दिया जा सकता है कि वह वाह्य रूप से विकसित भूमि निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, जिसका प्रतिशत शासकीय अभिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(3) भू–स्वामियों को पुनर्गठित भूखण्डों के रूप में दी जाने वाली न्यूनतम 25 प्रतिशत भूमि का भू–उपयोग आवासीय होगा, जिसके अन्तर्गत सम्बन्धित नगर की महायोजना जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार 'इम्पैक्ट फीस' के भुगतान पर नियमानुसार अन्य कियाएं/उपयोग अनुमन्य होंगे। पुनर्गठित भूखण्ड पर भवन निर्माण हेतु सम्बन्धित भू–स्वामी द्वारा यथास्थिति आवास एवं विकास परिषद/विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा। यदि कोई भू–स्वामी अपनी भूमि/भूखण्ड पर मानकों के अनुसार ग्रुप हाउसिंग या बहु–आवासीय इकाइयों (मल्टिपल ड्वेलिंग यूनिट्स) का निर्माण करना चाहता है, तो उसके द्वारा मानचित्र स्वीकृति के समय विकास शुल्क नियमावली, 2014 के अनुसार विकास शुल्क देय होगा। इस प्रकार भू–स्वामी को उपरोक्त में से कोई एक विकल्प चुनना होगा। इस सम्बन्ध में शासकीय अभिकरण द्वारा भू–स्वामियों से वार्ता कर उन्हें उक्त विकल्पों की जानकारी दी जाएगी और उनकी सहमति के आधार पर ही योजना का ले–आउट प्लान तैयार किया जाएगा।

(4) योजना की 'फाइनेन्शियल वायबिलिटी' निर्धारित प्रपत्र **(संलग्नक–3)** पर आगणित की जाएगी, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक भू–स्वामी की लैण्ड होल्डिंग का क्षेत्रफल एवं उसकी भूमि के वर्तमान मूल्य का आकलन, सार्वजनिक उपयोगों एवं अवस्थापना सुविधाओं के अन्तर्गत नियोजित क्षेत्रफल, शासकीय अभिकरण का अंश, भू–स्वामियों को पुनर्गठित भूखण्डों के रूप में प्राप्त होने वाली भूमि एवं उसका मूल्य, विकास कार्यों की लागत, भूमि की इन्क्रीमेन्टल वैल्यू, भू–स्वामियों द्वारा वहन की जाने वाली अवस्थापना विकास कार्यों की लागत तथा उसके समतुल्य भूमि क्षेत्रफल, आदि का विवरण शामिल होगा।

(5) लैण्ड पूलिंग स्कीम के अन्तर्गत शामिल प्रत्येक किसान/भू–स्वामी के स्वामित्व की मूल भूमि का सजरा मानचित्र के आधार पर खसरावार क्षेत्रफल एवं कुल क्षेत्रफल का विवरण तथा योजना के ले–आउट प्लान के अनुसार भूखण्ड नम्बरिंग प्लान एवं उसे सजरा मानचित्र पर 'सुपरइम्पोज' करने के उपरान्त प्रत्येक भू–स्वामी को देय विकसित भूमि अंश के क्षेत्रफल के बराबर पुनर्गठित भूखण्ड, सड़कें, पार्क एवं खुले स्थल के अन्तर्गत आने वाली भूमि तथा शासकीय अभिकरण के अंश की भूमि का विवरण निर्धारित प्रपत्र **(संलग्नक–4)** पर तैयार किया जाएगा, जिसके आधार पर राजस्व अभिलेखों में अन्तरण किया जाएगा।

(6) शासकीय अभिकरण द्वारा ड्राफ्ट लैण्ड पूलिंग स्कीम की सार्वजनिक प्रदर्शनी लगाकर सम्बन्धित किसानों/भू–स्वामियों से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे और उनकी सुनवाई एवं निस्तारण के उपरान्त योजना में आवश्यकतानुसार संशोधन करते हुए अंतिम रूप दिया जाएगा।

(7) योजना के विकास कार्य शासकीय अभिकरण द्वारा स्वयं कराए जाएंगे, जो ले–आउट प्लान के अभिकरण बोर्ड से अनुमोदन की तिथि से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण करने होंगे। परियोजना अवधि में विस्तार की आवश्यकता होने पर 25 एकड़ तक की योजना के लिए आवास आयुक्त/उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण की अनुमति से तथा उससे अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं हेतु बोर्ड के अनुमोदन से विस्तार अनुमन्य होगा।

2.4 योजना की कॉस्टिंग एवं वित्त पोषण

(1) विकसित भूमि का मूल्यांकन शासनादेश संख्या – 4049/9–आ–1–99/16 समिति /1998 दिनांक 20.11.1999 **(संलग्नक–5)** द्वारा जारी कॉस्टिंग गाइड लाइन्स (समय–समय पर शासन/अभिकरण द्वारा यथासंशोधित) के अनुसार किया जाएगा और योजना की सेक्टर दर (आवासीय दर) निर्धारित की जाएगी। प्रस्तावित उपयोग यथा–आवासीय (भूखण्डीय विकास, बहु–आवासीय इकाईयां, ग्रुप हाउसिंग), व्यवसायिक, मिश्रित, संस्थागत आदि के अनुसार पुनर्गठित भूखण्डों की 'डिफ्रन्शियल प्राइसिंग' की जाएगी।

(2) लैण्ड पूलिंग स्कीम के अन्तर्गत समेकित प्रत्येक भूमि के अनुपातिक भाग में से 'कास्ट इक्विलेण्ट लैण्ड' को योजना की सड़कों, अवस्थापना सुविधाओं एवं सार्वजनिक उपयोगों के प्राविधान में होने वाले व्यय के लिए वित्त पोषण के रूप में उपयोग किया जाएगा। उदाहरणार्थ, लैण्ड पूलिंग स्कीम का क्षेत्रफल यदि 100 एकड़ है, तो विकास कार्यों की लागत रू. 1.15 करोड़ प्रति एकड़ की दर से होने पर 100 एकड़ भूमि की कुल विकास लागत रू. 115 करोड़ होगी। भूमि विकास के उपरान्त यदि योजना की सेक्टर दर रू. 10,000 प्रति वर्गमीटर निर्धारित की जाती है, तो विकास कार्यों पर आगणित व्यय (रू.115 करोड़) की प्रतिपूर्ति हेतु (1.15 करोड़ ÷ 10,000) 11.50 हेक्टेयर (28.40 एकड़) भूमि की आवश्यकता होगी। चूंकि लैण्ड पूलिंग स्कीम के अन्तर्गत शासकीय अभिकरण द्वारा भू–स्वामियों से विकास शुल्क नहीं लिया जायेगा, अपितु उसके एवज में लैण्ड पूलिंग स्कीम में शामिल भू–स्वामियों के भूमि अंश से रू. 115 करोड़ के समतुल्य (28.40 एकड़) भूमि की अनुपातिक रूप से कटौती की जायेगी।

(3) भूमि विकास के उपरान्त विभिन्न भूखण्डों की लोकेशन एवं भू–उपयोग के अनुसार भूमि की मार्केट वैल्यू में कई गुना वृद्धि सम्भावित है। शासकीय अभिकरण द्वारा अपने अंश की भूमि में व्यवसायिक, मिश्रित उपयोग एवं ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड नियोजित किए जा सकते हैं, जिन्हें नीलामी के माध्यम से निस्तारण कर सामान्य से अधिक धन अर्जित किया जा सकता है, जिससे जन–सुविधाओं को 'कास–सब्सिडाईज' किया जा सकता है।

2.5 भूमि का हस्तान्तरण एवं स्टॉम्प ड्यूटी

(1) प्रत्येक भू–स्वामी को विकसित भूमि में से उसके स्वामित्व की भूमि के अनुपातिक भाग को पुनर्गठित भूखण्डों के रूप में आवंटित/हस्तान्तरित किया जाएगा। शासकीय अभिकरण एवं भू–स्वामियों के मध्य निष्पादित विकास अनुबन्ध के क्रम में भू–स्वामियों को पुर्नगठित भूखण्डों के रूप में आवंटित की जाने वाली भूमि का आवंटन ले–आउट प्लान के अनुमोदनोपरान्त 06 माह के अन्दर कर दिया जाए। भू–स्वामियों को पुनर्गठित भूखण्डों के रूप में हस्तान्तरित की जाने वाली भूमि लाटरी के माध्यम से आवंटित की जाएगी। यदि भूमि, वाह्य रूप से विकसित है, तो यथासम्भव मूल स्वामित्व की भूमि अथवा उसके निकटतम स्थल पर आवंटित की जाए।

(2) भू–स्वामियों को पुनर्गठित भूखण्डों के रूप में आवंटित/ हस्तान्तरित की जाने वाली आन्तरिक एवं वाह्य रूप से विकसित अथवा केवल वाह्य रूप से विकसित भूमि के सापेक्ष भू –स्वामी द्वारा कोई विकास शुल्क देय नहीं होगा, न ही शासकीय अभिकरण के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित भूमि के एवज में भू–स्वामियों को कोई प्रतिकर देय होगा।

(3) योजनान्तर्गत सड़कें, पार्क एवं खुले स्थल, अवस्थापना सुविधाएं तथा सामुदायिक सुविधाओं के लिए आरक्षित भूमि व शासकीय अभिकरण का अंश उनके पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित किया जाएगा तथा भूमि विकास के उपरान्त पुनर्गठित भूखण्डों का भू–स्वामियों के पक्ष में आवंटन/हस्तान्तरण किया जाएगा, जिसके अनुसार राजस्व अभिलेखों में अन्तरण किया जाएगा। उक्तानुसार भूमि हस्तान्तरण, आवंटन की सम्पूर्ण प्रक्रिया में स्टाम्प ड्यूटी से छूट होगी। विकसित भूमि / भूखण्डों का मूल आवंटियों/शासकीय अभिकरण द्वारा अग्रेत्तर विक्रय/हस्तान्तरण किए जाने पर नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।

(4) शासकीय अभिकरण के बोर्ड द्वारा अनुमोदित लैण्ड पूलिंग स्कीम के ले–आउट प्लान की प्रति एवं अन्य संगत दस्तावेज़ भू–राजस्व अभिलेखों में 'अपडेट' करने हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी को प्रेषित किए जाएंगे तथा उनकी प्रतियां कर एवं निबन्धन विभाग के अभिलेखार्थ भी प्रेषित की जाएंगी।

2.6 सीमान्त कृषकों के हितों का संरक्षण

योजना के अन्तर्गत यदि सीमान्त कृषक की भूमि शामिल हो और उसके सापेक्ष न्यूनतम 30 वर्ग मीटर का पुनर्गठित भूखण्ड उपलब्ध कराया जाना व्यवहारिक न हो, तो ऐसे किसानों के अंश में आने वाली भूमि को शासकीय अभिकरण द्वारा सेक्टर दर पर क्रय किया जा सकता है अथवा शासकीय अभिकरण द्वारा प्रथम आवंटन हेतु निर्धारित विक्रय दर पर अतिरिक्त भूमि (ताकि भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर हो जाए) आवंटित की जा सकती है। इसके अतिरिक्त सीमान्त किसान परिवार को शासकीय अभिकरण द्वारा सम्पूर्ण परियोजना अवधि के लिए एक श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी के समतुल्य धनराशि भी प्रत्येक माह देय होगी।

स्पष्टीकरणः

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–3 (न) के अनुसार 'सीमान्त कृषक' का तात्पर्य ऐसे खेतिहर से है, जो एक हेक्टेयर तक की असिंचित भूमि या आधे हेक्टेयर तक की सिंचित भूमि धारण करता है।

2.7 ग्रामीण आबादियों का विकास

लैण्ड पूलिंग स्कीम के अन्तर्गत जिन ग्राम पंचायतों की भूमि का उपयोग किया जाए, ऐसे ग्रामों के विकास एवं साफ–सफाई हेतु व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। योजना की वायबिलिटी के आधार पर ऐसे ग्रामों में बुनियादी सुविधाएं यथा–ड्रेनेज, स्ट्रीट–लाइटिंग, कूड़ा–निस्तारण/जीरो वेस्ट इत्यादि का प्राविधान किया जाएगा, जिस पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति शासकीय अभिकरण द्वारा योजनान्तर्गत 'कास–सब्सिडाइजेशन' के माध्यम से की जाएगी।

2.8 विकसित योजना का रख–रखाव

लैण्ड पूलिंग स्कीम के अन्तर्गत विकसित सेवाओं का उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–34 के अनुसार स्थानीय निकाय को हस्तान्तरण होने तक उनका

रख–रखाव उक्त अधिनियम की धारा–33 (4ए) की व्यवस्थानुसार शासकीय अभिकरण द्वारा किया जाएगा, जिस हेतु लाभार्थियों से नियमानुसार रख–रखाव शुल्क लिया जाएगा।

2.9 लैण्ड पूलिंग स्कीम के कियान्वयन हेतु शासकीय अभिकरण एवं भू–स्वामियों के मध्य हस्ताक्षरित विकास अनुबन्ध से सम्बन्धित अथवा अन्य किसी विवाद के समाधान हेतु शासन द्वारा आरबीट्रेशन एण्ड कान्सीलेशन एक्ट, 1996 के प्राविधानों के अधीन सम्बन्धित मण्डल के मण्डलायुक्त को आरबीट्रेटर नियुक्त किया जाएगा।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार पायलट प्रोजेक्ट्स के रूप में लैण्ड पूलिंग स्कीम का कियान्वयन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक –उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2– प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3– प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4– प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6– महानिरीक्षक, कर एवं निबन्धक, उत्तर प्रदेश।
7– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9– सम्बन्धित भूमि अध्याप्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10– निदेशक, आवास बन्धु, को इस आशय से प्रेषित कि आदेश की प्रति आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अरूणेश कुमार द्विवेदी,
अनु सचिव।

संलग्नक–1

लैण्ड पूलिंग स्कीम में सहभागिता हेतु आवेदन एवं शपथ–पत्र

सेवा में,

आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद/
उपाध्यक्ष,
.....विकास प्राधिकरण।

विषयः लैण्ड पूलिंग स्कीम में सहभागिता करने तथा भूमि के प्रतिकर एवं अन्य लाभों के एवज में पुनर्गठित विकसित भूखण्डों के आवन्टन हेतु आवेदन।

महोदय,

मैं/हम ..... ग्राम .....तहसील.....एवं जिला....., उत्तर प्रदेश में स्थित भूमि, जिसका विवरण अनुसूची–1 में दिया गया है, के स्वामी हैं। मैं/हम उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या.....दिनांक.....द्वारा जारी लैण्ड पूलिंग नीति की व्यवस्थानुसार आवास एवं विकास परिषद/.....विकास प्राधिकरण के साथ लैण्ड पूलिंग स्कीम में स्वेच्छा से सहभागिता करने हेतु सहमत हैं।

2. अनुसूची–1 में उल्लिखित भूमि का स्वामित्व मेरे/हमारे पक्ष में होने के प्रमाणस्वरूप भू–स्वामित्व से सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति आवेदन–पत्र के साथ संलग्न हैं, जिसकी मूल प्रतियां मांग करने पर उपलब्ध करा दी जाएंगी।

3. अनुसूची–1 में वर्णित भूमि पर मेरा/हमारा निर्विवादित स्वामित्व एवं कब्ज़ा है तथा इस भूमि के स्वामित्व/कब्ज़ा/अन्य हितों के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में कोई सिविल वाद लम्बित नहीं है।

4. आवास एवं विकास परिषद/.....विकास प्राधिकरण द्वारा पुनर्गठित भूखण्डों का आवन्टन करने तक लैण्ड पूलिंग स्कीम में दी गई भूमि को किसी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त रखने का उत्तरदायित्व मेरा/हमारा होगा। यदि भू–स्वामियों को वापस की गई भूमि पर कालान्तर में कोई विवाद/अतिक्रमण होता है, तो इस हेतु आवास एवं विकास परिषद/.....विकास प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होंगे।

5. मेरे/हमारे द्वारा लैण्ड पूलिंग स्कीम नीति के समस्त प्राविधानों का अध्ययन कर लिया गया है एवं भली–भांति समझ लिया है। मैं/हम विकास की प्रक्रिया में सहभागी बनना चाहते हैं और इस प्रयोजनार्थ हम अपनी भूमि, जिसका विवरण अनुसूची–1 में दिया है, को लैण्ड पूलिंग स्कीम हेतु आवास एवं विकास परिषद/.....विकास प्राधिकरण के पक्ष में समर्पित करने को तैयार हैं।

6. मैं/हम लैण्ड पूलिंग स्कीम के अन्तर्गत अपनी मूल भूमि के सापेक्ष आवास एवं विकास परिषद/.....विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित एवं पुनर्गठित भूखण्डों के आवन्टन हेतु सहमत हैं।

7. मैंने/हमने अपनी पूर्ण चेतना और विश्वास के साथ लैण्ड पूलिंग स्कीम के अन्तर्गत सहभागिता करने का निर्णय लिया है तथा मुझे/हमें प्रचलित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30, सन्, 2013) के अधीन किसी प्रकार का दावा, नकद मुआवजा अथवा अन्य लाभ प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

8. यदि हमारे प्रत्यावेदन/आश्वासन असत्य पाए जाते हैं और/अथवा भू–स्वामित्व से सबन्धित किसी विधिक दोष के कारण आवास एवं विकास परिषद/.....विकास प्राधिकरण के अंष की भूमि उनके कब्ज़े से वापस जाती है, तो ऐसी दशा में आवास एवं विकास परिषद/.....विकास प्राधिकरण को होने वाली हानि की भरपाई के लिए मैं/हम उत्तरदायी होंगे तथा इस हेतु आवास एवं विकास परिषद्/.....विकास प्राधिकरण को इस प्रकार के किसी भी लागत, क्षति, हानि के विरूद्ध सुरक्षित, हानिरहित रखने एवं क्षतिपूर्ति करने की वचनबद्धता देते हैं।

9. मैं/हम कभी भी आवास एवं विकास परिषद/.....विकास प्राधिकरण के कब्ज़े के भूमि अंश को चुनौती नहीं देंगे और न ही आवास एवं विकास परिषद/..... विकास प्राधिकरण अथवा उनके संस्था/ठेकेदार द्वारा भूमि पर निर्माण के विरूद्ध कोई आदेश प्राप्त करेंगे।

घोषणा

मैं/हम, निम्नलिखितः–

नाम	सुपुत्र/सुपुत्री	आयु	निवास का पता

प्रमाणित किया जाता है कि इस प्रपत्र में दी गई सूचना सत्य और सही है। मेरे/हमारे द्वारा दी गई सहमति हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें कोई भी बात छिपाई नहीं गई है। मैं/हम पूर्ण चेतना के साथ कहना चाहते हैं कि लैण्ड पूलिंग स्कीम के अन्तर्गत मैंने/हमने स्वयं भागीदार बनने का विकल्प दिया है। इसमें किसी व्यक्ति अथवा अभिकरण द्वारा किसी प्रकार का दबाव, बल अथवा अनुचित प्रभाव नहीं डाला गया है। मैं/हम लैण्ड पूलिंग स्कीम के प्राविधानों के पालन हेतु इस शपथ–पत्र से वचनबद्ध हैं और हम घोषणा करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा दिया गया विकल्प अटल है।

प्रार्थीः

भू–स्वामी का नाम	हस्ताक्षर

स्थानः–

दिनाकः–

अनुसूची–1

क्र.सं.	भू–स्वामी का नाम	राजस्व ग्राम, तहसील एवं जिला	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (एकड़)

संलग्न दस्तावेजः–

1. सजरा मानचित्र पर भूमि की स्थिति
2. भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र (सेल डीड) की प्रमाणित प्रति
3. भू–स्वामी के आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति

संलग्नक–2

Development Agreement for Implementation of Land Pooling Scheme

This Development Agreement is made and executed on this ………… day of ……., 2018, at ……………, by and between: Shri. ………………., S/o Shri ……………………., aged about ………….years, occupation: …….., R/o………(Hereinafter called as "Party No.1")

AND

The U.P. Housing and Development Board/……………….. Development Authority, a statutory body constituted under the provisions of the U.P. Housing and Development Board Act, 1965/the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 as the case may be (Hereinafter called as "Party No.2") having its office at ………………..

The expressions, "Party No.1" and "Party No.2" shall mean and include their legal heirs, legal representatives, assignees, administrators, successors in interest etc. wherever the context permits.

Whereas, the Housing and Urban Planning Department, Government of Uttar Pradesh vide Notification No. ………., dated………. has issued the Land Pooling Scheme Policy to be implemented by the U.P. Housing and Development Board and the Development Authorities in the State of Uttar Pradesh.

Whereas the Party No. 2 has powers under the above Notification empowering them to undertake and develop Land Pooling Scheme in their notified area/development area.

Whereas, ……………………(Name) is the original land owner and possessor of land admeasuring ……………Acres in Khasra Nos……… situated at …………Village and …………….district, Uttar Pradesh (Hereinafter referred to as "Schedule 'A' property".

Whereas the Party No.1 and Party No. 2 have agreed for the handing over and taking over of Schedule 'A' property and Party No. 1 has agreed for his/her share of re-allotment of re-constituted plot/s as determined in Land Pooling Scheme in lieu of contribution of the land by the Party No. 1 to the Party No. 2.

Whereas, Party No. 1 after pursuing the Land Pooling Scheme Policy issued vide Notification No………dated …………has understood the same and decided to pool the Schedule 'A' Property in the Land Pooling Scheme.

NOW THIS DEVELOPMENT AGREEMENT WITNESSETH AS FOLLOWS:

NOW THEREFORE, the Party No. 1 do hereby agree with the Party No. 2 as follows:

1. That the Party No. 1 shall handover the land as per the Schedule 'A' Property to the Party No. 2 to earmark the land for various purposes under Land Pooling Scheme.
2. That if the Party No.2 desires that it is necessary to take immediate possession of the land under Land Pooling Scheme area even though there is a standing crop on it, the Party No. 2 shall be entitled to do so provided that compensation for the standing crop is also included in the agreement.
3. That the Party No.1 shall not claim any amount in addition to the amount agreed upon as aforesaid compensation and accept it without any protest.
4. That the Party No.2 shall be competent to alter the boundaries, develop and make requisite changes in the land pool area as per terms of this agreement.
5. That the Party No.1 further agrees that they will not claim for payment of compensation in any court of law and will not be entitled to file any petitions and such petition if field shall be void and illegal and that they shall abide by the orders of the Party No. 2.
6. That the Party No. 1 hereby declare and assure the Party No. 2 that there are no encumbrances, prior agreements, joint family interests, leases/licenses, loans, charges or attachments over the Schedule 'A' Property as on date and that they have not incurred or knowingly suffered any liability or obligation in respect thereof and that there are no other person(s) having any interest in the Schedule 'A' Property, except the Party No. 1 herein and further covenant to indemnify the Party No. 2 and to keep indemnified the Party No. 2 from all losses that may be caused due to any defect in the title of the Party No. 1 or otherwise. If there are any third party claims, the Party No. 1 shall alone be liable to settle the same on their own cost and if they fail to settle the same within reasonable time, the Party No. 2 shall be entitled, without being bound, to settle such claims on such terms as the Party No. 2 may deem proper and expedient and at the cost of the Party No. 1, which shall be binding on the Party No. 1. The Party No. 1 alone shall be liable for furnishing all the information and documents and answer the queries required for scrutiny of title or for demarcation of boundaries, etc. in respect of Schedule 'A' Property. Party No. 1 further undertakes that it shall alone be responsible for defects, if any, in the title or any third party claim or institution claims, bank claims or any other claims or any prior agreements, if any, by the third parties and their claims or any litigations shall also make good of the same to his own cost and the Party No. 2 shall not be responsible for the same with regard to the title over the land.

7. That the Party No. 1 hereby grant the irrevocable rights to the Party No. 2 and authorize and empower it to enter into and develop the Schedule 'A' Property under Land Pooling Scheme, subject to other terms and conditions of this Agreement.

8. That the Party No. 1 hereby permits Party No. 2 to undertake the physical survey within its lands/premises for preparing the Land Pooling Scheme of the land comprised in the Schedule 'A' Property.

9. That the Party No. 1 will not sell the land in his/her possession after signing this Agreement till the completion of the Land Pooling Scheme.

10. That the Party No. 2 shall be entitled to include any other land for the purpose of developing the same along with the Schedule 'A' Property, without any further reference to the Party No. 1, on such terms as the Party No. 2 may deem it expedient and enter into agreement with third parties.

11. That the Party No. 2 shall develop Schedule 'A' property as Land Pooling Scheme and all the original plots may be reconstituted and reshaped in a manner appropriate for the planned development.

12. That the Party No. 2 shall be entitled to do and is hereby authorized to approach the government, State, Central or Local or other Authorities/Organizations for the purpose of any permission, grant, service connection etc., and for the purpose of carrying out the development works in respect of Schedule 'A' Property.

13. That the cost of Land Pooling Scheme shall comprise of land cost, infrastructure cost and other administrative charges. The components of infrastructure will include roads with street-lighting, drainage water supply, sewerage lines and sewerage treatment facility, solid waste disposal, development of open spaces, plantation and Rain Water Harvesting. These may change subject to requirements on ground.

14. That the extent of respective shares after final approval of Land Pooling Scheme by the Party No.2 will be determined based on net area available after deducting circulation spaces, open spaces, social amenities and share of Party No.2 to meet the expenditure of roads and civic infrastructure, administrative and legal costs and other expenditure for developing public amenities.

15. That the land shall be appropriated from each original plot and will be used to provide for various components of development as per norms of the applicable Building Bye-laws.

Provided that the minimum share of the Party No. 1 as internally and externally developed reconstituted residential plots shall not be less than 25 percent of his/her original land/plot area. In case the Party No.1 opts for allotment of externally developed land, the proportion of the same shall be determined by the Party No.2.

Provided further that if the Party No.1 opts for multiple dwelling units or group housing, then the Party No.1 shall have to pay development fee at the time of

approval of the building plans at the rates prescribed by the party No.2. Decision of Party No.2 in this regard shall be binding on Party No.1

16. That the financial viability of the Land Poling Scheme shall be calculated by the Party No. 2 on the prescribed format (Annexure-1) indicating names of all the land owners, revenue village and khasra number, total area of each land owner, present value of land, area reserved for roads, parks/open spaces, services and other community facilities, share of Party No.2, share of Party No.1 as reconstituted plots and their value after development, cost of infrastructure development, incremental value of developed land and cost-equivalent land towards provision of infrastructure facilities.

17. That the Land Pooling Scheme layout plan shall be super-imposed on the Sajra plan and details of land ownership in respect of every land owner participating in the land pooling scheme shall be prepared in the prescribed Format (Annexure-2) indicating the name of revenue village, Tehsil and District, Khasra numbers and their area, proposed allocation of reconstituted plots along with their area and permissible use, land earmarked for roads, parks and open spaces, community facilities and the share of Party No. 2. Accordingly, entry will be made in the revenue records.

18. That neither the Party No.1 shall pay any development fee or other charges in lieu of reconstituted plots allotted to them nor the Party No.2 shall pay any compensation towards the land transferred free-of cost by the Party No.1 in favour of party No.2.

19. That the Party No.2 shall publish the draft land Pooling Scheme in local news papers for inviting objections/suggestions and finalize it after hearing/disposal of the objections/suggestions received.

20. That the Final Land Pooling Scheme shall be approved by the Board of the Party No. 2 and development/building permissions shall be issued as per the applicable Zoning Regulations and Building Bye-laws.

21. That the Party No.2 shall complete the development works of the Land Pooling Scheme within a period of 3 years from the date of approval of the scheme by the Board. Extension in the project period for a scheme with an area up to 25 Acres, shall be permissible by the Housing Commissioner/Vice Chairman and for a scheme above 25 Acres, by the Board.

22. That the costing of the developed land shall be done by the Party No.2 to determine the sector rate (residential rate) as per the costing guidelines issued vide Government order No.-4049/9-Aa-1-99/16 Samiti/1998, dated 20.11.1999 as amended by the Government/Party No.2 from time to time. Differential pricing of reconstituted plots shall be done on the basis of proposed land use such as residential (plotted development, multiple dwelling units and group housing), commercial, mixed use, institutional, etc.

23. That the Party No. 2 may use its share of land for commercial, mixed use, group housing and other purposes to enable cross-subsidization of infrastructure development cost and public amenities.

24. That the Party No.2 shall allot the reconstituted plots to Party No.1 through lottery within 6 months from the date of approval of the Land Pooling Scheme layout plan by the Board. However, externally developed land, as for as possible, shall be allotted within the original land or in close proximity to it. The Party No. 2 reserves the right to locate the Reconstituted Plots.

25. That the land reserved for roads, parks & open spaces, infrastructural facilities and community facilities and the share of party No.2 in the Land Pooling Scheme shall be transferred free-of cost in favour of Party No.2 which shall be exempt from payment of stamp duty. Similarly, the reconstituted plots to be transferred in favour of Party No.1 after the development of land, shall also be exempt from payment of stamp duty. However, stamp duty shall be payable on further sale/transfer of developed land both by the Party No.1 and Party No.2 as per the applicable laws.

26. That in case it is not possible to allot reconstituted plot of minimum 30 sqm. to a marginal farmer, the Party No.2 may buy the share of such land owner on the sector rate of the scheme or allot additional land at a rate determined for the first allotment so that the minimum area of the reconstituted plot becomes 30 sqm. Besides, the Party No.2 shall also pay to such marginal farmer on monthly basis an amount equal to minimum wage of a labourer for the entire project period.

27. That after completion of the Land Pooling Scheme in all respects, the Party No.2 shall inform and deliver possession of the reconstituted plots which are allotted to the Party No. 1 under the Allotment Letters/Conveyance Deed by duly obtaining acknowledgement in writing from the Party No.1.

28. That after handing over of the reconstituted plot, the Party No. 1 shall be at liberty to sell/allot their share of the plots and to enter into any contract or agreement for the allotment or sale of such plots at such price and on such terms and conditions as the Party No. 1 may think fit. All such allotments/sale shall be made by the Party No. 1 at their own cost and risk and the Party No. 1 shall alone be responsible to such parties in connection with all such transactions.

29. That the Party No. 2 shall be entitled to advertise for sale of its share to third parties and enter into agreements, receive consideration, issue receipts, appropriate the proceeds, execute Sale Deeds or other conveyance to such third party purchasers and present the same for registration and the Party No. 1 shall not have any objection in this regard.

30. That till transfer of services of the developed Scheme to the urban local body for maintenance under section-34 of the U.P. Urban Planning and Development Act, 1973, the party No.2 shall maintain the same in accordance with provisions of

section-33 (4A) of the above Act for which maintenance charges shall be recovered from the beneficiaries.

31. That this Agreement shall remain effective from the date of its signing till the completion of the Land Pooling Scheme and during such period Schedule 'A' property shall remain temporally transferred in favour of the party No.2 to enable completion of all development works without any hindrance.

32. That in the event of any dispute with regard to terms and conditions of this agreement, the same shall be referred to the decision of an Arbitrator, to be appointed by the government under the provisions of the Arbitration and conciliation 'Act, 1996. Place of arbitration shall be Lucknow.

Enclosure: As above

SCHEDULE – A

Sl. No.	Name of the Land Owner	Name of Revenue Village, Tehsil & Distt.	Khasra Nos.	Area (Acres)

Location and extent of above land is earmarked on the enclosed Sajra Plan.

IN WITNESS WHEREOF, the Party No. 1 and Party No. 2 signed on all pages and have put their hands and subscribed their signatures, with free will and consent on the above mentioned day, month and year, in the presence of the following witnesses:

PARTY No. 1:

Shri/Smt.....

Age.....

Occupation.....

Address.....

PARTY No. 2:

.....

SIGNED By Authorized Signatory,

U.P. Housing & Development Board/ .....Development Authority in presence of:-

WITNESS-1:

Shri/Smt.....

Age.....

Occupation.....

Address.....

WITNESS-2:

Shri/Smt.....

Age.....

Occupation.....

Address.....

Annexure-1

Financial Viability of Land Pooling Scheme

Sl. No.	Name of revenue village & khasra NOs.	Area of khasra NOs. (sqm)	Name of owner	Total area of each owner	Area under roads, parks/ open spaces & public amenities (sqm)	Authority land share (sqm)	Total area (6+7) (sqm)	Land owner share as final plot (sqm) (minimum 25% of 5)	Original land value as per Sale Deed (Rs. /sqm)	Cost of owner share of 25 % undeveloped land (Rs.)	Cost of developed land (Rs. /sqm)	Factor of increase in land value (As per location)	Total final value of owners' share of developed land (Rs.)	Increment in land value (Rs.)	Infra.dev. cost to be shared by owners @Rs..../sqm (Rs.)	Land equivalent to infra. dev. cost (sqm)	Value of Authority land share (Rs.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Note- Area under roads, parks and open spaces, community facilities and share of land owners as well as the Authority may change according to city, location of land, land use in the Master/Zonal Development Plan, permissible FAR and level of infrastructure development.

Annexure-2

Details of original land pooled in the Land Pooling Scheme by the land owners, proposed allocation of reconstituted plots to land owners, area under parks & open spaces and the share of Government Agency

Government Agency .....

Sl. No.	Details of original land of the land owners					Proposed allocation of reconstituted plots to land owners					Area under roads, parks/ open spaces & public amenities		Share of Govt. Agency	
	Revenue Village, Tehsil & Distt.	Khasra Nos.	Area of each Khasra (Acres)	Name of land owner	Total area of each land owner	Plot No. allotted in the layout plan	Permissible use: Plotted development/ multiple units/ group housing	Area (Sqm.)	Total land allotted to each land owner (Sqm.)	Percent of original land area	Khasra Nos.	Area (Acres)	Plot Nos.	Area (Sqm.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

संलग्नक–3

लैण्ड पूलिंग स्कीम की 'फाइनेन्शियल वायबिलिटी' का आगणन

अभिकरण का नाम.....

क्र. सं.	राजस्व ग्राम का नाम एवं खसरा संख्याएं	खसरा संख्याओं का क्षेत्रफल (हेक्टे.)	भू–स्वामी का नाम	भू–स्वामी की भूमि का कुल क्षेत्रफल (हेक्टे.)	सड़कें, पार्क/खुले क्षेत्र एवं सुविधाओं के अन्तर्गत क्षेत्रफल (हेक्टे.)	प्राधिकरण का अंश (हेक्टे.)	सड़कें, पार्क, सुविधाएं एवं प्राधिकरण का अंश (हेक्टे.) (6+7)	भू–स्वामी का अंश– पुनर्गठित भूखण्ड (हेक्टे.) (न्यूनतम 25 प्रतिशत)	सेल डीड के अनुसार भूमि का मूल्य (रू. लाख) (5xभूमि दर)	भू–स्वामी की 25 प्रतिषत अविकसित भूमि का मूल्य (रू. लाख)	विकसित भूमि की दर (रू. प्रति व.मी..)	भूमि मूल्य में वृद्धि का गुणन (स्थिति के अनुसार)	भू–स्वामी की भूमि (न्यूनतम 25 प्रतिशत) का अन्तिम मूल्य (रू. लाख)	भूमि मूल्य में वृद्धि (रू. लाख)	भू–स्वामियों द्वारा रू..... प्रति व.मी. दर से वहन की जाने वाली अवस्थापना लागत (रू. लाख)	अवस्थापना विकास लागत के समतुल्य भूमि क्षेत्रफल (हेक्टे.)	प्राधिकरण के भूमि अंश का मूल्य (रू. लाख)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

टिप्पणी:– सड़कें, पार्क एवं खुले स्थल, सामुदायिक सुविधाओं का क्षेत्रफल, भू–स्वामियों एवं प्राधिकरण के अंश में नगर की स्थिति, नगर के अन्दर भूमि की स्थिति, महायोजना/ज़ोनल डेवल्पमेंट प्लान में भू–उपयोग तथा अवस्थापना विकास के स्तर के आधार पर परिवर्तन हो सकता है।

संलग्नक–4

लैण्ड पूलिंग स्कीम के अन्तर्गत भू–स्वामियों की मूल भूमि एवं उसके सापेक्ष पुनर्गठित भूखण्डों के रूप में देय भूमि, सड़कें, पार्क एवं खुले क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि तथा शासकीय अभिकरण के अंश की भूमि का विवरण

अभिकरण का नाम.....

क्र. सं.	भू–स्वामियों की मूल भूमि का विवरण					भू–स्वामियों को पुनर्गठित भूखण्डों के रूप में देय भूमि का विवरण					सड़कें, पार्क / खुले क्षेत्र एवं सुविधाओं के अन्तर्गत भूमि		शासकीय अभिकरण के अंश की भूमि	
	राजस्व ग्राम, तहसील एवं जनपद	खसरा संख्या	खसरावार क्षेत्रफल (एकड़)	भू–स्वामी का नाम	प्रत्येक भू–स्वामी की भूमि का कुल क्षेत्रफल (एकड़)	ले–आउट प्लान में आवंटित भूखण्ड संख्या	अनुमन्य उपयोगः भूखण्डीय आवासीय / बहु–आवासीय इकाईयां / ग्रुप हाउसिंग	क्षेत्रफल (व.मी.)	कुल देय भूमि का क्षेत्रफल (व.मी.)	मूल भूमि के सापेक्ष देय भूमि का प्रतिशत	खसरा सख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	ले–आउट प्लान में भूखण्ड सख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3
संख्याः 281/8–3–19–65विविध/16 टी0सी0
लखनऊः दिनांक 27 फरवरी, 2019

:: अधिसूचना ::

भू–सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2016 की धारा–43(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल तात्कालिक प्रभाव से उ0प्र0 भू–सम्पदा अपील अधिकरण का गठन करते हैं। उ0प्र0 भू–सम्पदा अपील अधिकरण का मुख्यालय लखनऊ में होगा।

भू–सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2016 की धारा–43 के प्रथम परन्तुक के अधीन निर्गत अधिसूचना सं0–1501/8–3–17–65विविध/16टी.सी.–1 दिनांक 24.01.2018 द्वारा उ0प्र0 भू–सम्पदा अपील अधिकरण स्थापित होने तक उ0प्र0 राज्य परिवहन अपील अधिकरण को प्रदत्त सुनवाई के अधिकार इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव।

संख्या : 281(1)/8–3–19–65विविध/16 टी0सी0 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 27.02.2019 के असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–ख में हिन्दी में प्रकाशित कराते हुए 5–5 प्रति सम्बन्धित विभागों तथा 25 प्रतियाँ आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

महेन्द्र बहादुर सिंह
विशेष सचिव।

संख्या : 281(2)/8–3–19–65विविध/16 टी0सी0 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 लखनऊ।
2– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 लखनऊ।
3– मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4– महा निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5– महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
6– समस्त अपर मुख्य सचिव,/प्रमुख सचिव,/सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
7– पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
8– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
9– समस्त जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, उ0प्र0।
10– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0/आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

11– सचिव, उ0प्र0 भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (RERA) लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया आदेश की प्रति रेरा वेबसाइट पर भी अपलोड करने का कष्ट करें।
12– सचिव, उ0प्र0 राज्य परिवहन अपील अधिकरण लखनऊ।
13– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, समस्त औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
14– सम्बन्धित सदस्यगण, भू–सम्पदा अपील अधिकरण, उ0प्र0।
15– निदेशक, आवास बन्धु, को इस आशय से प्रेषित कि आदेश की प्रति आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
16– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

महेन्द्र बहादुर सिंह
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3
संख्याः 284/8–3–19–65विविध/16
लखनऊः दिनांक 28 फरवरी, 2019

:: अधिसूचना ::

द रियल स्टेट (रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेन्ट) एक्ट, 2016 (अधिनियम संख्या–16 सन् 2016) की धारा–20 की उपधारा–1 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्गत भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के गठन सम्बन्धी अधिसूचना संख्या–1458/8–3–16–65विविध/16 दिनांक 28.10.2016 के समस्त अंश उक्त अधिसूचना के निर्गत होने के दिनांक 28.10.2016 से प्रभावी होंगे।

महेन्द्र बहादुर सिंह
विशेष सचिव।

संख्याः 284(1)/8–3–19–65विविध/16 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 28.02.2019 के असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–ख में हिन्दी में प्रकाशित कराते हुए 5–5 प्रति सम्बन्धित विभागों तथा 25 प्रतियाँ आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
मनीष चन्द्र श्रीवास्तव
अनु सचिव।

संख्याः 284(2)/8–3–19–65विविध/16 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 लखनऊ।
2– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 लखनऊ।
3– मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4– महा निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5– महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
6– समस्त अपर मुख्य सचिव,/प्रमुख सचिव,/सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
7– पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
8– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
9– समस्त जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, उ0प्र0।
10– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0/आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
11– सचिव, उ0प्र0 भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (RERA) लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया आदेश की प्रति रेरा वेबसाइट पर भी अपलोड करने का कष्ट करें।
12– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, समस्त औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
13– निदेशक, आवास बन्धु, को इस आशय से प्रेषित कि आदेश की प्रति आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
14– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनीष चन्द्र श्रीवास्तव
अनु सचिव।

संख्या-1/2019/169/आठ-7-19-37विविध/2018

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- **समस्त उपाध्यक्ष,**
विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।

2- **आवास आयुक्त,**
आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

3- **प्रबन्ध निदेशक,**
लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-7 **लखनऊ : दिनांक : 07 फरवरी, 2019**

विषय : आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत नई मेट्रो रेल नीति, 2017 के अन्तर्गत प्रदेश में पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप (पी.पी.पी.) आधार पर मेट्रो रेल परियोजनाओं तथा भविष्य में क्रियान्वित की जाने वाली अर्बन ट्रांसपोर्टेशन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कन्सल्टेंट नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017 में निर्गत नई मेट्रो रेल पॉलिसी, 2017 में मेट्रो रेल परियोजनाओं का पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप (पी.पी.पी.) मॉडल में क्रियान्वित किये जाने तथा भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु विकल्पों के सम्बन्ध में विस्तृत प्राविधान दिये गये हैं। प्रदेश में पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप (पी.पी.पी.) परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अवस्थापना विकास विभाग द्वारा "गाइडलाईन्स फार सेलेक्शन ऑफ कन्सल्टेंस एण्ड डेवलपर्स फार पी.पी.पी. प्रोजेक्ट्स इन उत्तर प्रदेश-2016" निर्गत किया गया है, जिसमें दिनांक 29.06.2018 को कतिपय संशोधन करते हुए संशोधित गाईडलाईन्स भी जारी किये गये हैं।

2- लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना का क्रियान्वयन इक्विटी शेयरिंग मॉडल के आधार पर किया जा रहा है। प्रदेश की मेट्रो रेल परियोजनाओं की अत्यधिक अनुमानित लागत तथा राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत प्रदेश में मेट्रो रेल परियोजनाओं का क्रियान्वयन पी.पी.पी. मॉडल पर किये जाने पर विचार किया जा सकता है, ताकि प्रदेश सरकार पर इस हेतु अधिक वित्तीय व्यय भार न पड़े।

3- इस सम्बन्ध में मुझसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा निर्गत पी.पी.पी. गाईडलाइन्स के अनुसार प्रदेश में मेट्रो रेल परियोजनाओं का पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप (पी.पी.पी.) मॉडल पर क्रियान्वयन भविष्य में कराये जाने हेतु

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रदेश के जिन नगरों में मेट्रो रेल परियोजनाएं प्रस्तावित हैं तथा भविष्य में क्रियान्वित की जाने वाली Urban Transportation परियोजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य सरकार के सहयोग के लिए एक कन्सल्टेंट का चयन करा लिया जाय। चयनित कन्सल्टेंट द्वारा इस सम्बन्ध में विकासकर्ता के चयन हेतु मुख्यत: निम्नलिखित कार्य किये जायेंगे :-

1.1 Preparation of Expression of Interest (E.O.I.).

1.2 Preparation of Request for Qualification (R.F.Q.) .

1.3 Preparation of Request for Proposal (R.F.P.).

1.4 Preparation of Terms of Reference (T.O.R.) .

1.5 Preparation of Bidding Process and Time Schedule.

<u>उपर्युक्त के अतिरिक्त चयनित कन्सल्टेंट के निम्नलिखित Scope of Work भी होंगे :-</u>

2.1 The selected consultant will provide requisite competent consultants as mentioned in the RFP document on Man Month basis as well as external advisory support for a period of Twelve Months for execution of work defined as follows. The services will be provided in the following manner:

- Services of Team leader – Two Man days in a month.
- Services of various experts in resource pool-10 Man days in a month.
- Deployment of Staff on deputation to Authority 's office on full time basis for full month- Two persons- One Senior Consultant and One Consultant.
- The scope mentioned below is indicative and the Authority may utilize resources provided to it as per the priority decided by the Authority.

2.2 The scope of the Consultant is broadly divided into four work streams as under :

(i) Assistance in formulation of Business and Implementation Plan, wherever required by the Authority

The Consultant shall

- Assist the Authority in review of the existing project reports and other documents
- Support the Authority in review and analysis of existing and proposed <u>legal and **policy and**</u> regulatory framework, policies and relevant acts of importance including urban regulations and applicable acts/policies governing transit oriented development, real estate development of the proposed areas and project influence zones
- Suggest the Authority the funding structure, allocation of funding requirements between the shareholders of the Authority based on specific corridor implementation
- Assist the Authority in conducting the financial and economic analysis of the proposed corridors on standalone as well as consolidated level, i.e. at the Authority level
- Support the Authority in analyzing various financing options suitable for project implementation and assist in identifying necessary pre-requisites
- Support the Authority in developing a suitable commercial and project delivery structure for the integrated project delivery at the Authority level as well as corridor specific appropriate delivery structures
- Assist the Authority in updating feasibility and detailed project reports with

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

respect to commercial and financial aspects

- Support the Authority in conducting necessary stakeholder consultations
- Assist the Authority in the preparation of a detailed business plan and implementation plan including institutional structure and necessary capacity building measures

(ii) Assistance in formulation of Non-Rail Business Strategy

The consultant shall

- Assist the Authority in review and evaluation of the proposed non-rail businesses as brought out in the feasibility report/Detailed project Report and other reports for Urban Transportation like metro , mono rail etc. corridors prepared in the past
- Assist the Authority in review and benchmarking of the non- fare box revenue options monetized by similar transit systems nationally and globally
- Assist the Authority in identification of alternate revenue models (non-conventional non-fare businesses) which the Authority can harness
- Assist the Authority in identifying and shortlisting the suitable non-rail businesses for the Authority, based on key parameters such as revenue potential, readiness, etc.
- Assist the Authority in developing suitable commercial and project structuring options for each of the potential non-rail businesses identified in order to maximize asset utilization for commercial purposes.
- Assist the Authority in the preparation of revenue model (s) for the proposed non-rail businesses for next 30 years and undertake sensitivity analysis.
- Assist the Authority in preparation of a road map for implementation of Non-Rail Business Strategy.

(iii) Assistance in Land Value Capture (LVC)

Land Value Capture (LVC) can be used as method of capturing wealth benefit and ploughing it back into the project that would ultimately lead to the project benefit. LVC is expected to bring in paradigm shift in the way transport corridors are designed and financed as well as how regional development evolves over a period of time.

The Consultant shall :

- Support the Authority in analyzing the potential transit-oriented development (ToD) options for the stations and other sites (if any) identified for property management and development business.
- Assist the Authority in the assessment of real estate market and activity specific area demand including but not restricted to profiling of existing developments, identification of the major demand drivers within the micro-market pertaining to each site, supply analysis and local stakeholder interactions.
- The Consultant shall assist the Authority in understanding:
  - The potential from LVC, impact of change in land value of station area and allied land area in the vicinity of station
  - Optimum LVC structure among the concerned_stakeholders (both government and non-government)
  - Mechanism to realize benefits from LVC For the above, the consultant is required to assist the Authority & carrying out the following activities:
- Estimating potential from LVC
  - Identify the potential influence zones bucketed under appropriate categories
  - Assessment of current land value in zones where transportation points are closer vis a vis other regions of similar affluence

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

- Analyze prevailing construction costs, market prices, lease rentals, etc. for different type of assets in the identified influence zones
- Analyze land transactions by volume and value in the Project Influence Zone over past 5 years and related tax/cess income collected by respective Government/agency
- Assess precedents supporting land value appreciation from public projects and likely impact MRTS or Urban Transportation Projects can create in the project influence zone.
- Assess the incremental land value that may be created due to the proposed corridor development.

- Review of public finances
  - Review of Indian public sector of budgetary and financial situation on its central government, State Government and, if required, the major municipalities/nodes falling under Project Influence Zone
  - Long term perspective of their finances — both revenue and expenditure, and their debt pay-back capacity with or without LVC
- Review of statutory and regulatory framework
  - Review and analyze local taxation systems or public service charge systems (local level) in the identified influence zone
  - Review of applicable statutory and regulatory framework for above
  - Impact of Goods Service Tax (GST) with regard to such taxation and service charge regime
  - Map existing mechanism of tax and user charge collection in the Project Influence Zone in different cities of Uttar Pradesh.
  - Review of urban regulations and/or applicable acts/policies governing transit oriented development, real estate development at the proposed areas and project influence zone
  - Identify gaps in the existing regulatory framework and suggest policy/regulatory interventions necessary to harness LVC potential
- Options to harness LVC potential
  - Devise/assess LVC mechanisms in Project Influence Zone focusing on capturing value through increased land values
  - This can include detailed evaluation of Tax Incremental Financing (TIF), Betterment Levy, Special Assessment Charges, Transportation System Development Charges, Additional Cess, and other options.
  - Feasibility of the appropriate mechanism in the Indian and regional context shall be evaluated
  - Assess other opportunities of raising funds as a part of LVC by direct interventions in regional development like reclassification of land, densification, etc. as well as contributions from land owners and direct/indirect beneficiaries
- Financial and economic assessment of LVC options
  - Preparation of financial model to determine the increase in land value Project Influence Zone, as a result of the urban trasnportaton projects. Assess structuring options by evaluating following key aspects:
  - Defining roles of each stakeholders like Central Government, State Governments and Private players in station area development

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

activities

- Mechanism for capturing of incremental land value flow back to the project

- Building scenarios of the model based on the potential options such as analyzed previous activity and ownership of the land area development such as Government only (Central /State/SPV), private sector only, Government & private sector. Determination of optimal ownership structure.
- Quantitative evaluation of mechanisms for capturing of incremental growth in land value by the urban transportation.
- Carry out socio-economic analysis to evaluate impact of implementation of identified LVC mechanism
- Recommendation of proposed structure for sharing of land value capture potential between different stake holders.
- Suggest changes required in the existing rules/statutes/ regulations and enactment of new laws so as to optimize LVC

(iv) Program Management Support

The consultant shall

- Support the Authority in Market Discovery for the proposed businesses involving external stakeholders ("investors") including construction and infrastructure developers, financial institutions, etc. The key activities shall include.
- Categorization under several buckets by business/ product/ services.
- Prepare the company/corporate profile for each of the target companies (top 50 companies).
- Assess their future business strategy.
- Conduct interviews to test proposed project development structures and appetitefor their participation in such projects, assess their risk and return expectations.
- Assist the Authority in analyzing the financial impact of urban transportation projects on Govt. resources.
- Assist as a Transaction advisor for selection of developer in accordance with laid down guidelines and parameters.
- Assist the Authority in preparing reports/presentation for internal/ external meetings.
- Assist the Authority in taking meeting notes, assess them to prepare action plans, and track progress.
- Assist the Authority in preparing documentations, etc. necessary to obtain required minimum approvals and clearances as pre-requisite to start procurement/transaction process.
- Assist the Authority in the preparation of guidelines/policies suitable for harnessing and implementing non-rail business potential and land value capture strategy.
- Support the Authority in identification of areas/domains necessary for capacity building. Assist the Authority in preparing and managing capacity building programs.
- Knowledge transfer and handholding at the end of completion of assignment.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

3.0 The project team shall comprise of the following key personnel and experts meeting the qualifications and experience as stated below :

A. Overall Project Supervising and Advisory Team

- **Team Leader**

- Graduate in Engineering /Economics/Commerce and Post Graduate

  Diploma /MBA from a reputed institute or Chartered Accountant.

- Minimum 15 years of experience in the field of infrastructure sector which shall include railways, urban transport ,industrial corridors ,roads/bridges ,airports, ports, power ,logistics) involving financial feasibility /project appraisal , financial modeling ,project structuring ,PPP transaction services, financial planning, tariff regulation.

- Should have worked as leader or head of a consultancy team for at least 2 (Two) Eligible Assignments as defined in Annexure-I -Eligibility Criteria and method of evaluation.

- **Business Planning and Financial Expert**

Graduate in Engineering /Economics /Commerce and Post Graduate

Diploma /MBA from a reputed institute or Chartered Accountant

Minimum 10 years of experience in the field of infrastructure sector which shall include railways, urban transport , industrial corridors ,roads/bridges ,airports, ports ,power ,logistics) involving financial feasibility /project appraisal , financial modeling ,project structuring ,PPP transaction services, financial planning ,tariff regulation.

- **Real Estate Expert**

- Graduate in any discipline and Post Graduate Diploma /MBA from a reputed institute

- Degree in Law is preferred

- Minimum 10 years of experience in planning, financial structuring, formulation of business strategy etc. for large townships, mega commercial/housing projects.

- Must have sound understanding to provide assistance to the Authority in Land Value Capture

- Should have worked as real estate expert for at least 2 (two) township

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

Development projects, each having size of at least 500 acres **or Transit Oriented Development (TOD) Project along a Rail/Road based transport corridor for two projects each having TOD area of at least 500 acres.**
• **Urban Planning Analyst** - Bachelor of Architecture/**Bachelor of Civil Engineering/Bachelor of Urban/Town Planning** - Minimum 6 years of experience in the areas of urban planning, architecture and **relevant** related domains.
Public Finance Analyst - Post Graduate in Economics/Finance or MBA in Finance or Chartered Accountant - Minimum 6 years of experience in the areas of public finance for Central/State Govt. or local governments bodies.

B. Staff on deputation to the Authority

• **Senior Consultant** Graduate in Engineering or Economics or Commerce with post graduate diploma in business management /MBA from a reputed institute Minimum 6 years of experience in the infrastructure sector project management, financial modeling, financial feasibility, revenue strategy, innovative alternate methods of financing, business planning, policy and regulatory analysis, tariff determination /regulation etc. **Should have worked for at least two Eligible assignments as defined in Annexure-I -Eligibility Criteria & method of evaluation.** Should be well versed in preparation of PPT presentations, **Financial Modeling using EXCEL** etc.
• **Junior Consultant**
Graduate in Engineering or Economics or Commerce with post graduate diploma in business management /MBA from a reputed institute
Minimum 4 years of experience in the infrastructure sector project management, project appraisals, financial feasibility etc.
Should be well versed in preparation of PPT presentation, **Financial Modeling using EXCEL** etc.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

Out of the above personnel, the Team Leader, Business Planning and Financial expert and staff of deputation to the Authority must be full time employees of the Bidder. However other personnel can be hired by the bidder from market as per requirement subject to the condition that a personnel once deputed on this assignment shall not be changed by the Consultant during the assignment period without permission of the Authority .The above is considered necessary for the continuity of the assignment.

4. Mode of provision of services

(i) The personnel mentioned at A above i.e. Overall Project Supervisory and Advisory team shall contribute the following man days per month at the Authority's office or at the location advised by the Authority, as per the requirement of the Authority during the assignment period.

Team Leader – 2 Man days per month

Other members – 10 Man days per month

(ii) The personnel mentioned at B above i.e. Staff on deputation to the Authority comprising of Senior Consultant and **Junior** Consultant shall be deputed to Lucknow or any other location advised by the Authority on full time basis throughout the duration of the assignment.

For the above purpose, a Man day means full working day from 930 am to 600 pm. However in case of exigencies, the personnel shall be required to work beyond the above working hours and in such case no additional compensation shall be payable .In case of the staff on deputation to the Authority, the services shall be counted for full man day only .However in case of personnel under A, the provision of half day services **(up to 5 hours)** shall also be counted. The staff on deputation to the Authorities office shall be deputed within the period stated in Letter of Acceptance issued by the Authority in favor of the Consultant.

5.0 Assignment Duration (Contract Period) and its extension

(i) The duration of the above assignment (Contract period) shall be 12 Months (Twelve Months) from the date of issue of letter of acceptance by the Authority. The above assignment period/contract period can be extended for further period by the Authority for maximum of 12 months depending on the performance of the consultant at the same accepted rates & terms and conditions and as per the requirements of the Authority.

6.0 Submission of Performance Security by the successful bidder

Within 28 days of issue of the Letter of Acceptance by the Authority, the successful Bidder shall furnish to the Authority a Performance Security in the form of bank guarantee on the format annexed at **Annexure-VI** from a Scheduled Indian Bank acceptable to the Authority for an amount equal to 5% (Five percent) of the original Contract value. In case of revision of the contract value, the value of the above bank guarantee shall be revised so that the value of bank guarantee is equal to five percent of the revised contract value.

(i) The above Bank Guarantee shall be kept valid for the stipulated contract/assignment period plus three months. In case of extension of the assignment period /contract period, the validity of the above bank guarantee shall be suitably extended three months beyond the extended completion period.

(ii) No payment under the contract shall be made to the consultant, before receipt ofperformance security.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(iii) Failure of the successful Bidder to furnish the required performance security shall be a ground for the annulment of the award of the Contract and they will be debarred from participating in further Bidding for the same work with the Authority.

7.0 Quoting of rates/prices and Inclusions in the Quoted/ Accepted rates

7.1 The rates/prices are to be quoted only as per the format of financial bid at Annexure-The rates are to be quoted only in Indian Rs.

7.2 The quoted /accepted rates for various categories of personnel shall include all the cost towards provision of the personnel including their salary, conveyance expenses between home/place of stay and the Authorities office location, Medical, Insurance and all other perks/facilities and nothing extra over and above the accepted rates shall be paid by the Authority

8.0 Method and mode of payment

For each category of the personnel provided by the Consultant to the Authority, a monthly time sheet as per the Format, which will be mentioned in RFP shall be maintained by the Consultant which shall be approved by the nominated official of the Authority. The above sheet shall be the basis for the purpose of release of payment.

The payment will be made on monthly basis against submission of an invoice (in three copies) by the Consultant which shall be supported by the originals of the time sheets duly approved by the nominated official of the Authority. Payment will be made only for the man days approved by the nominated official of the Authority.

The reimbursement for the out of station expenses, if incurred by the Consultant, shall be made as per the modalities stated in General terms & conditions, on submission of stipulated documents.

The payment will be made by way of an account payee cheque/RTGS as per the bank account details provided by the Consultant.

9.0 Deduction of Income Tax at source

While releasing the payment for the services provided (excluding reimbursements), Income tax as per the prevailing tariff shall be deducted from the payments for which TDS certificate shall be issued to the Consultant.

10.0 Payment of Service tax on the services provided (excluding reimbursements)

Over and above the accepted man day rates, service tax shall be paid to the consultant as per the prevailing tariff .In the Financial bid the bidder is required to state the prevailing applicable tariff of service tax. Irrespective of the above submission by the bidder in its bid, service tax shall be paid as per the prevailing tariff at the time of provision of services. Service tax shall be paid on submission of a service tax paid invoice by the Consultant. The payment of service tax in the first invoice of the Consultant shall be released on submission of a copy of valid Service Tax Registration Certificate. The payment of service tax in the subsequent invoices shall be released on submission of documentary proof of depositing the service tax paid in the previous bill with the concerned authorities. Service tax shall not be paid on reimbursements made to the Consultant.

11.0 Facilities to be provided by the Authority to the Consultants Personnel

For the personnel provided on full time basis in the Authority's office, the Authority shall provide the following facilities, free of cost:

(i) Office space with required furniture, telephone and internet connection

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(ii) Canteen facility, if available, as provided to the employees of the Authority

(iii) Other facilities such as local transport, domestic and overseas travel related expenses including stay, per-diem shall be as per the General Terms and Conditions.

4- चयनित कन्सल्टेंट की फीस का वहन/भुगतान सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों/संस्थाओं द्वारा शेयरिंग बेसिस पर समान रूप से किया जायेगा।

भवदीय,

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3- अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0, लखनऊ।
4- समस्त नगर आयुक्त, उ0प्र0।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अरुणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-1/2019/617/आठ-2-2019-05एन0सी0आर0/17

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम,
नई दिल्ली।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक- 07 मार्च, 2019

विषय- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आर0आर0टी0एस0) परियोजना के डी0पी0आर0 एवं डी0पी0आर0 परिशिष्ट तथा इसकी संशोधित योजना के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-NCRTC/Govt. of UP/11(Part-II)/475, दिनांक 07.01.2019 तथा वित्त मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या-30(06)PFC.II/2018, दिनांक 11.02.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आर0आर0टी0एस0) परियोजना के डी0पी0आर0 एवं डी0पी0आर0 परिशिष्ट तथा इसकी संशोधित योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नानुसार कार्यवाही का निर्णय लिया गया है:-

(1) एन0सी0आर0टी0सी0 द्वारा प्रस्तुत आर0आर0टी0एस0 परियोजना की डी.पी.आर., डी.पी.आर. परिशिष्ट, इसकी संशोधित योजना तथा पी0आई0बी0 बैठक दिनांक 06.02.2019 में लिए गये निर्णय के अनुक्रम में वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत पत्र दिनांक 11.02.2019 में अनुमोदित फंडिंग पैटर्न के अनुसार परियोजना की कुल लागत रू0 30274 करोड़ के सापेक्ष उत्तर प्रदेश सरकार की सहभागिता रू0 6048 करोड़ पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है, जिसमें रू0 4726 करोड़ वित्तीय सहायता, रू0 923 करोड़ स्टेट जी0एस0टी0 छूट तथा रू0 399 करोड़ की सरकारी भूमि के रूप में दिया जाना है।

(2) डी0पी0आर0 में प्रस्तावित सुधारों के साथ परियोजना का क्रियान्वयन भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी नयी मेट्रो नीति, 2017 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार व दिल्ली सरकार के साथ सहभागिता के आधार पर किये जाने, परियोजना हेतु केन्द्र सरकार के माध्यम से ऋण प्राप्त किये जाने तथा भारत सरकार तथा प्रतिभागी राज्यों के मध्य 29 जून, 2011 को हुए समझौता ज्ञापन (MoU) के प्रावधानों के अनुसार सरकारी भूमि जिसमें सरकार या सरकार की एजेंसियों के स्वामित्व वाली भूमि सम्मिलित है, या तो रियायती दरों पर पट्टे पर या बिना ब्याज के अधीनस्त ऋण के रूप में उपलब्ध कराये जाने वाले व निजी भूमि राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त कानूनी प्राविधानों में अर्जित (aquire) किये जाने की कार्यवाही आरंभ की जाय।

(3) डी0पी0आर0 के अनुसार भूमि वैल्यू कैप्चर के विभिन्न साधनों द्वारा आय के अर्जन के लिए कार्यवाही प्रारम्भ की जाय।

2- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा उ0प्र0 सरकार द्वारा अनुमोदित डी0पी0आर0 में उल्लिखित शर्तों एवं विशिष्टियों का अक्षरक्षः पालन किया जायेगा तथा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पी0आई0बी0 बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 11.02.2019 तथा नई मेट्रो नीति 2017 के अनुसार परियोजना लक्षित समयसीमा में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3- प्रश्नगत परियोजना हेतु उत्तर प्रदेश सरकार की सहभागिता के अंश हेतु बजट व्यवस्था के सापेक्ष निर्गत वित्तीय स्वीकृतियों के अनुसार अवमुक्त धनराशि लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को उपलब्ध करायी जायेगी।

भवदीय,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1/2019/617/आठ-2-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
2. विशेष सचिव/स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4. सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण, वाह्य सहायतित परियोजना, न्याय, ऊर्जा, परिवहन, नगर विकास, गृह वित्त, औद्योगिक विकास, राजस्व तथा नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उ0प्र0 प्रभाग, गाजियाबाद।
8. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ।
9. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0।
10. आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ।
11. जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ/गाजियाबाद।
12. प्रबंध निदेशक, लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0।
13. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
14. नगर आयुक्त, मेरठ/गाजियाबाद।
15. उपाध्यक्ष, मेरठ/गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।
16. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0शासन।
17. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्रम-संख्या-72 (क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-
डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 25 मार्च, 2019
चैत्र 4, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3

संख्या 334/8-3-19-158विविध-18

लखनऊ, 25 मार्च, 2019

अधिसूचना

प०आ०-109

उ0प्र0 भू-सम्पदा अपील अधिकरण का कार्यालय (पुराना लखनऊ विकास प्राधिकरण) 6-जगदीश चन्द्र बोस मार्ग लालबाग, लखनऊ में स्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल, उ0प्र0 सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी०-614 राजपत्र (हि०)-2019-(1595)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी०-20 सा0 आवास एवं शहरी नियोजन-2019-(1596)-1,075 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5

संख्या : यू0ओ0 65/आठ–5–2019

लखनऊ : दिनांक 21 मई, 2019

कार्यालय–ज्ञाप

उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में शारीरिक रूप से दिव्यांगजन के लिए आरक्षण हेतु समूह– 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' के पदों के चिन्हांकन हेतु निम्नवत् समिति गठन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

1.	सुश्री अपूर्वा दुबे, विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	अध्यक्ष
2.	निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ	सदस्य
3.	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ0प्र0	सदस्य
4.	श्री देश दीपक वर्मा, सहायक आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ	सदस्य
5.	श्री चक्रेश जैन, अधीक्षण अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण	सदस्य
6.	श्री सी0पी0 त्रिपाठी, अपर सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	सदस्य

स्वामी नाथ पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ0प्र0।
3. श्री देश दीपक वर्मा, सहायक आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
4. श्री चक्रेश जैन, अधीक्षण अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
5. श्री सी0पी0 त्रिपाठी, अपर सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
6. निजी सचिव, विशेष सचिव (सुश्री अपूर्वा दुबे), आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

स्वामी नाथ पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध
संख्या–यू0ओ0 65/आठ–5–2019
(आवास–6 की पत्र0सं0–185/विविध/10)

प्रेषक,

स्वामी नाथ पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1 **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्रधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2 **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3 **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

4 **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,**
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5 **लखनऊः दिनांक 22 मई, 2019**

विषयः– उ0प्र0 लोक सेवाओं में शारीरिक रूप से दिव्यांगजन के लिए आरक्षण हेतु समूह–क, ख, ग एवं घ श्रेणी के पदों के चिन्हांकन हेतु पदों की उपयोगिता एवं आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा–33 के अन्तर्गत प्रदेश में लोक सेवाओं में दिव्यांगजन के लिए आरक्षण हेतु समूह–क, ख, ग एवं घ श्रेणी के पदों के चिन्हांकन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाना है। उक्त अधिनियम में विनिर्दिष्ट 21 प्रकार की दिव्यांगताओं हेतु 04 प्रतिशत का आरक्षण अनुमन्य कराया गया है। इस हेतु कार्मिक अनुभाग–2 द्वारा शासनादेश संख्या–4/2018/18/1/2008–का –2/2018, दिनांक 25.09.2018 जारी किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश में उल्लिखित दिव्यांगजन की श्रेणियों को समाहित करते हुए विभिन्न श्रेणियों के लिए पदों को चिन्हांकित करते हुए निम्नलिखित प्रारूप में सूचना शासन को 02 दिन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें :–

शारीरिक रूप से दिव्यांगजन जन के लिए समूह– क, ख, ग एवं घ के लिए चिन्हांकित पद

क्र0	पद नाम	पद के लिए उपयुक्त दिव्यांगजन की श्रेणी
1	2	3

भवदीय,

स्वामी नाथ पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि अनुभाग अधिकारी, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2, 6, 7 एवं 10 को इस अनुरोध सहित कि कृपया अपने नियंत्रणाधीन कार्यालयों से उक्त सूचना ससमय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

स्वामी नाथ पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

महत्वपूर्ण/समयबद्ध
संख्या : 812/आठ–1–19–10विविध/2019

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1 आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2 उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्रधिकरण,
उ0प्र0।

3 अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांकः 31 मई, 2019

विषयः सड़क मार्गो के आस–पास एवं विशेष रूप से खाली पड़े भूखण्डों में भारी मात्रा में गन्दगी व पॉलिथीन के निस्तारण के संबंध में।

महोदय,

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में भ्रमण के दौरान उन्हें सड़क मार्गो के आसपास व विशेष रूप से खाली पड़े भूखण्डों में भारी मात्रा में गन्दगी व पॉलिथीन देखने को मिली हैं, जिस पर मा0 मुख्यमंत्री जी ने अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए निम्न निर्देश दिये गये हैः–

(1) पॉलिथीन पर लगी रोक का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित हो।

(2) वर्तमान में सार्वजनिक स्थलों, मार्गो व उनके आस–पास खाली पड़े भूखण्डों में जमा गन्दगी व कूड़े को तत्काल उठाया जाय।

(3) यह सुनिश्चित किया जाय कि भविष्य में उपर्युक्त स्थलों पर गन्दगी व कूड़ा एकत्रित न होने पाये।

(4) यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा इस कार्य में शिथिलता बरती जा रही है तो उनके विरूद्ध कठोरता से दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने नियंत्रणाधीन अभिकरणों में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की स्थिति से शासन को तत्काल अवगत कराने का भी कष्ट करें।

भवदीय,

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. **जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी,**
समस्त विनियमित क्षेत्र
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक : 04 जून, 2019**

विषयः– मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अपील योजित किये जाने तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष अनुज्ञा याचिका अथवा पुर्नविचार याचिका योजित किये जाने के पूर्व शासन की सहमति प्राप्त किया जाना।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह तथ्य आये हैं कि ऐसे न्यायिक वाद, जिनमें शासन पक्षकार है या जिनमें मा0 न्यायालय द्वारा शासन स्तर से प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने के आदेश दिये गये हैं, ऐसे प्रकरणों में प्रायः विकास प्राधिकरण एवं विनियमित क्षेत्रों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के विरूद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष शासन की सहमति के बिना ही मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष अनुज्ञा याचिका तथा पुर्नविचार याचिका दाखिल की जा रही है। ऐसी विशेष अनुज्ञा याचिका/पुर्नविचार याचिकाओं में अपेक्षित आदेश प्राप्त नहीं होने की दशा में मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन शासन स्तर से कराये जाने की भी बाध्यता होती है और इस हेतु अवमाननावाद भी योजित किये जाते हैं। भू–अर्जन के अनेक मामलों में मा0 उच्च न्यायालय से आदेश पारित होने के उपरान्त अर्जन निकायों द्वारा शासन को तत्काल अवगत नहीं कराया जाता है और आदेश के अनुपालन की अल्प समयावधि में शासन स्तर पर परामर्शी विभागों का अपेक्षित परामर्श प्राप्त कर सम्यक परीक्षण किये जाने में कठिनाई होती है।

2– ऐसी विशेष अनुज्ञा याचिका /पुनर्विचार याचिकाओं में मा0 उच्चतम न्यायालय से अनुकूल आदेश प्राप्त नहीं होने पर शासन की ओर सें पुनः विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल किये जाने की दशा में शासन का पक्ष कमजोर हो जाता है, क्योंकि मा0 उच्चतम न्यायालय प्रकरण के संबंध में निर्णय दे चुका होता है। ऐसी स्थिति में मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में शासन के समक्ष विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है और असमंजस्य की स्थिति का सामना करना पड़ता है।

3– उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे न्यायिक वाद, जिनमें शासन पक्षकार है या जिनमें मा0 न्यायालय द्वारा शासन स्तर से प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने के आदेश दिये गये हैं, ऐसे मामलों में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अपील योजित किये जाने अथवा मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष अनुज्ञा याचिका/पुर्नविचार याचिका योजित किये जाने से पूर्व शासन की सहमति प्राप्त की जाय। यह भी निर्देशित किया जाता है कि इस संबंध में विशेष अपील, विशेष अनुज्ञा याचिका एवं पुर्नविचार याचिका योजित किये जाने हेतु निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत प्रतिवाद किये जाने के आधार स्पष्ट करते हुए सम्यक सूचना सहित सुस्पष्ट प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाय।

भवदीय,

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव।

संख्या–529(1)/आठ–3–19–178रिट/17–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0 प्र0 शासन।
4. निदेशक, आवास बन्धु उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया आवास बन्धु की साइट पर अपलोड करते हुए सम्बन्धित को तामील कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

संजय कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या–747/आठ–1–19–74विविध/2017

प्रेषक,

माला श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांक : 06 जून, 2019**

विषयः– नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ0प्र0 को नोडल एजेन्सी के रूप में दायित्वों का निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ0प्र0 लखनऊ को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अन्तर्गत संचालित समस्त परियोजनाओं की नोडल एजेन्सी के रूप में दायित्व निर्धारण सम्बन्धी आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 के आदेश संख्या–1902/आठ–1–2017–74 विविध/2017 दिनांक 13.09.2017 को सम्यक विचारोपरान्त अवक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग हेतु नोडल एजेन्सी के रूप में निम्न दायित्व निर्धारित किया जाता हैः–

(1) रू0 05 करोड़ की लागत तक की परियोजनाओं को प्राधिकरणों/आवास विकास परिषद/स्थानीय नगर निकाय आदि द्वारा सीधे मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को उपलब्ध कराया जायेगा। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा रू0 05 करोड़ तक की परियोजनाओं के औचित्य एवं आगणन का परीक्षण करने के उपरान्त प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) रू0 05 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का बोर्ड/सक्षम स्तर से अनुमोदन कराकर मुख्य अभियन्ता के हस्ताक्षर एवं औचित्य सहित प्रस्ताव शासन को मूल्यांकन एवं स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) परियोजनाओं के क्रियान्वयन भौतिक/वित्तीय प्रगति से सम्बंधित अनुश्रवण कार्य, परियोजनाओं को समय से पूर्ण करने एवं अवमुक्त की गयी धनराशि का नियमानुसार व्यय करने के अनुश्रवण हेतु मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक नोडल अधिकारी होंगे। कार्यदायी संस्थाओं द्वारा वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना प्रत्येक माह के 05 तारीख से पूर्व नोडल एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा प्रत्येक परियोजनाओं के संदर्भ में प्रत्येक माह

की 05 तारीख तक वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

2– कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

माला श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (आडिट प्रथम/लेखा प्रथम), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. आवास आयुक्त, उ0प्र0 विकास परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0, लखनऊ।
7. समस्त नगर आयुक्त, उ0प्र0।
8. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग (लेखा अनुभाग), उ0प्र0 शासन लखनऊ।
9. वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–8।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

महत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्या–751/आठ–1–19–64बैठक/17

प्रेषक,

माला श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
3. **अध्यक्ष/जिलाधिकारी,**
समस्त वि0क्षे0 विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
4. **प्रबन्ध निदेशक,**
लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांक 06 जून, 2019**

विषय : वर्ष 2019–20 में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अन्तर्गत सोलर पावर इंस्टॉलेशन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या–1967/आठ–1–17, दिनांक 17.10.2017 द्वारा सरकारी संस्थानों/अर्द्धसरकारी संस्थानों/सरकारी स्वैच्छिक संस्थान/सहायता प्राप्त संस्थान/प्रतिष्ठान तथा 5000 वर्ग मीटर एवं अधिक क्षेत्रफल के कार्यालय, हाउसिंग एवं कामर्शियल कॉम्पलेक्स व अन्य भवनों में रूफ–टाप सोलर पावर इंस्टॉलेशन हेतु वर्ष 2017 से 2020 तक कुल 350 मेगावाट सोलर पावर इंस्टॉलेशन का लक्ष्य रखा गया है, जिसके सापेक्ष प्राप्त उपलब्धि को घटाते हुए तथा वर्ष 2019–20 में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अन्तर्गत समस्त अभिकरणों एवं लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन हेतु निम्नलिखित तालिकानुसार कुल 323 मेगावाट सोलर पावर इंस्टॉलेशन का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है:–

क्रमांक	आवास एवं विकास परिषद/विकास प्राधिकरण का नाम	लक्ष्य 2019–20 (मेगावाट में)
1	2	3
1	आवास एवं विकास परिषद	35
2	आगरा	20
3	अलीगढ़	3.5
4	प्रयागराज	20
5	अयोध्या	5
6	आज़मगढ़	0.5
7	बागपत	0.5
8	बाँदा	5
9	बरेली	4.5
10	बस्ती	0

11	बुलन्दशहर	4.5
12	फिरोज़ाबाद	4.5
13	गाज़ियाबाद	38
14	गोरखपुर	10
15	हापुड़–पिलखुआ	5
16	झाँसी	5
17	कानपुर	39
18	खुर्जा	4
19	लखनऊ	40
20	मथुरा–वृन्दावन	10
21	मेरठ	15
22	मुरादाबाद	19
23	मुज़फ्फरनगर	4
24	रायबरेली	4
25	रामपुर	4
26	सहारनपुर	5
27	उन्नाव–शुक्लागंज	4
28	उरई	4
29	वाराणसी	5
30	कुशीनगर	0.5
31	शक्तिनगर	0.5
32	चित्रकूट	0.5
33	कपिलवस्तु	0
34	मिर्ज़ापुर	0.5
35	लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन	3
	Total	**323**

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया निर्धारित लक्ष्य उ0प्र0 इनर्जी कन्जर्वेशन बिल्डिंग कोड(यूपीई0सी0बी0सी0कोड)2018 की अधिसूचना के अनुसार भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008–(यथा संशोधित 2011 एवं 2016) के वर्तमान प्राविधानों के अनुसार उ0प्र0 ई0सी0बी0सी0कोड 2018 से आच्छादित भवनों या भवन परिसरों में सोलर पावर इंस्टालेशन के माध्यम से पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। सौर ऊर्जा संबंधी अन्य जानकारी Ministry of new & Renewable Energy(MNRE) की वेब साइट http://mnre.gov.in पर उपलब्ध है।

भवदीया,

माला श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

<u>पत्रांक एवं दिनांक तदैवः</u>

पत्रावली निदेशक (प्रशा0), आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि कृपया सोलर पावर इंस्टालेशन सम्बन्धी लक्ष्य को एम0पी0आर0/वर्कप्लान में सम्मिलित कराते हुए इसका सामयिक अनुश्रवण करने तथा अभिकरणों से प्राप्त समेकित सूचना शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से
अरूणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।

संख्या-2/2019/634/आठ-7-19-18मेट्रो/2017

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- **प्रमुख सचिव**,
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग
उ0प्र0 शासन।

2- **समस्त मण्डलायुक्त**,
उत्तर प्रदेश।

3- **अध्यक्ष**,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।

4- **उपाध्यक्ष**,
समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।

5- **प्रबन्ध निदेशक**,
लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-7 **लखनऊ : दिनांक : 07 जून, 2019**

विषय : उत्तर प्रदेश के विभिन्न महानगरों में मेट्रो रेल परियोजनाओं/रेल आधारित मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 'उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन' के नाम से एकल विशेष प्रयोजन साधन गठित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-01/2018/38/आठ-7-18-18मेट्रो/2017 दिनांक 11.01.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सुझावानुसार अन्य निर्णयों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के विभिन्न महानगरों में मेट्रो रेल परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु "उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन" के नाम से "एकल विशेष प्रयोजन साधन" गठित करते हुए कम्पनी अधिनियम, 2013 में विहित प्राविधानों के अनुसार नोयडा मेट्रो रेल कारपोरेशन, जोकि भारत सरकार तथा उ0प्र0 शासन की 50:50 की स्वामित्व वाली कम्पनी है, को "उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन" के नाम से गठित किये जाने वाले उक्त "एकल विशेष प्रयोजन साधन" की सब्सिडियरी कम्पनी बनाये जाने का निर्णय लिया गया था।

2- अवगत कराना है कि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-के-14011/27/2013-एम.आर.टी.एस.-IV दिनांक 10.04.2019 द्वारा सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 01.04.2019 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त राज्य सरकार के स्तर से आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराया गया है। दिनांक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

01.04.2019 को भारत सरकार के स्तर पर सम्पन्न उक्त बैठक में नोयडा-ग्रेटर नोयडा मेट्रो रेल परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु गठित "नोयडा मेट्रो रेल कारपोरेशन" को पृथक एस.पी.वी. के रूप में यथास्थिति बनाये रखने अथवा "नोयडा मेट्रो रेल कारपोरेशन" को "उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन" में समाहित किये जाने के बिन्दु पर राज्य सरकार के स्तर से अविलम्ब निर्णय लिए जाने की अपेक्षा की गयी है, ताकि कानपुर एवं आगरा मेट्रो रेल परियोजनाओं का क्रियान्वयन बिना किसी विलम्ब के प्रारम्भ हो सके।

3- इस प्रकरण पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि नोयडा-ग्रेटर नोयडा मेट्रो रेल परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु गठित "नोयडा मेट्रो रेल कारपोरेशन" को पृथक एस.पी.वी. के रूप में यथास्थिति बनाये रखते हुए उत्तर प्रदेश के विभिन्न महानगरों में मेट्रो रेल परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु "उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन" के नाम से "एकल विशेष प्रयोजन साधन" गठित कर भारत सरकार को अवगत कराया जाय।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन द्वारा लिए गये उक्त निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश के विभिन्न महानगरों में मेट्रो रेल परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु "उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन" के नाम से "एकल विशेष प्रयोजन साधन" गठित करने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक कार्यवाही समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
(2) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय/वित्त/नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(3) प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0।
(4) निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
(5) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

अरुणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:-16/2019/1783 /आठ-1-19-06आडिट/2014टी0सी0

प्रेषक,

पवन कुमार,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,

समस्त विकास प्राधिकरण,

उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 25 सितम्बर, 2019

विषय : प्रदेश के प्राधिकरणों में विभिन्न समितियों द्वारा उठायी गयी आडिट आपत्तियों को कम्प्यूटराईज्ड करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1308/आठ-1-19-06आडिट/2014टी0सी0, दिनांक 31 जुलाई, 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपके प्राधिकरण के संबंध में विभिन्न समितियों द्वारा उठायी गयी आडिट आपत्तियों को आडिट आपत्ति लगाये जाने के समय ही कम्प्यूटराईज्ड करके उनके निस्तारण का कार्य सुनिश्चित कराने तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने के निर्देश दिये गये हैं।

2- इस संबंध में प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों की जॉच संबंधी समिति की दिनांक 06 अगस्त, 2019 को सम्पन्न हुई बैठक में यह निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण में आडिट विभाग की जो आपत्तियां हैं, उनको अगर ऑनलाइन करा दिया जाय और पहले से इनके निस्तारण की व्यवस्था की जाय, तो बैठकों में आधे से ज्यादा प्रस्तर निस्तारित हो जायेंगे।

3- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 समिति द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में कृपया अपने-अपने प्राधिकरण से संबंधित विभिन्न समितियों की जो आडिट आपत्तियॉ है, उन्हें कम्प्यूट्रीकृत करते हुए ऑनलाइन किये जाने एवं आपत्ति लगने के समय से ही उनके निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए उक्त निर्देश का कड़ाई से अनुपालन भी कराने का कष्ट करें।

पवन कुमार
विशेष सचिव।

अति–महत्वपूर्ण / समयबद्ध
संख्या–2566/आठ–1––19–83बैठक / 2017

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
आवास एवं विकास परिषद।
उ0प्र0 लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

3. नियंत्रक प्राधिकारी / जिलाधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

4. प्रबन्ध निदेशक,
लखनऊ मैट्रो रेल कारर्पोरेशन,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊ : दिनॉक : 27, दिसम्बर, 2019

विषय :– रिट याचिका संख्या–13029 / 1985 एम0सी0 मेहता बनाम भारत संघ व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया रिट याचिका संख्या–13029 / 1985 एम0सी0 मेहता बनाम भारत संघ व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या–1220 / आठ–3–19–23 विविध / 2016 दिनांक 04.11.2019 एवं शासनादेश संख्या–37 / 2016 / 207 / आठ–1–16–27 विविध / 14 दिनांक 27.01.2016 **(छायाप्रति संलग्न)** का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश दिनांक 04.11.2019 के माध्यम से आवास विकास परिषद एवं विकास प्राधिकरणों को निर्माण गतिविधियों से उत्सर्जित धूल तथा वायु प्रदूषण होने के साथ–साथ विभिन्न स्तरों पर उक्त संबंध में प्रभावी रोकथाम हेतु निम्नवत् निर्देश जारी किये गये हैं:–

(1) निर्माण सामग्री को निर्धारित स्थलों पर ढक कर रखा जाय तथा समुचित प्रकार से पानी का छिड़काव किया जाय।
(2) निर्माण सामग्री को लाने व ले जाने वाले वाहनों के टायरों / बॉडी की भली–भांति धुलाई की जाय तथा निर्माण सामग्री को ढक कर ले जाया जाय।
(3) निर्माण एवं ध्वस्तीकरण से जनित अपशिष्ट को निर्धारित स्थल तक ढक कर ले जाया जाय तथा सड़कों के किनारे अनियंत्रित रूप से एकत्रित न किया जाय।
(4) निर्माण एवं ध्वस्तीकरण से जनित अपशिष्ट को पुनः प्रयोग किये जाने हेतु स्थल निर्धारित करते हुए प्लान्ट स्थापित किया जाय।
(5) पेड़ों से झड़ने वाली पत्तियों व उद्यानों से जनित अपशिष्ट को जलाया न जाय अपितु निर्धारित स्थलों पर कम्पोस्ट पिट बनाकर निस्तारित किया जाय।
(7) प्राधिकरण स्तर द्वारा उक्त निर्देशों के उल्लंघन पर व्यक्तियों / संस्थाओं के विरूद्व नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाय।

2– उल्लेखनीय है कि उक्त शासनादेश दिनांक 27.01.2016 के माध्यम से आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित विकास प्राधिकरणों को

अपने अधिकार क्षेत्र में भवन निर्माण की अनुज्ञा के अन्तर्गत यह प्रतिबन्ध अनिवार्य रूप से अंकित करने के निर्देश जारी किये गये हैं कि निर्माणाधीन अवधि में निर्माण स्थल पर धूल से बचने हेतु समुचित कवर का प्राविधान किया जाये, निर्माण सामग्री के परिचालन एवं उनके उपयोग की अवधि में निर्माण सामग्रियों पर पानी का छिड़काव किया जाय एवं डस्ट सस्पेंशन यूनिट का उपयोग अनिवार्य करते हुए निर्माण सामग्रियों को ले जाने हेतु ढके हुए वाहनों का प्रयोग किया जाय।

प्रकरण में मा0 उच्चतम् न्यायालय में हो रही सुनवाई तथा आदेशों के अनुपालन के कम में उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या प्राप्त किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त शासनादेश दिनांक 27.01.2016 के द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन समस्त अभिकरणों द्वारा किया जाना भी आवश्यक है।

3– इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 04.11.2019 एवं दिनांक 27.01.2016 के द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन न किये जाने की दशा में समुचित कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। साथ ही आवास विकास परिषद/विकास प्राधिकरणों के स्तर से उक्त शासनादेश के अनुपालन के संबंध में कृत कार्यवाही की अद्यतन आख्या/सूचना दिनांक 05.01.2020 तक निदेशक, आवास बन्धु को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निदेशक आवास बन्धु द्वारा उक्त सूचना उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराते उसकी प्रति आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रकरण मा0 उच्चतम् न्यायालय के आदेशों से आच्छादित है। अतएव व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4. सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
5. निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि कृपया समस्त संबंधितों को तामील कराते हुए विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें तथा आवास विकास परिषद/प्राधिकरणों से प्राप्त समेकित आख्या सभी सम्बंधितों को सम्यान्तर्गत उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

Scanned by CamScanner

संख्या–1220/आठ–3–19–23 विविध/2016

प्रेषक,

अपूर्वा दुबे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
आवास एवं विकास परिषद्।
उ0प्र0 लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

3. नियत्रक प्राधिकारी/जिलाधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊ : दिनॉक : 4 नवम्बर, 2019

विषय :– रिट याचिका (सी) 13029/1985 एम0सी0 मेहता बनाम भारत संघ व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त संबंध में रिट याचिका (सी) 13029/1985 एम0सी0 मेहता बनाम भारत संघ व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश सुश्री ऐश्वर्या भाटी, अपर महाधिवक्ता, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 04.11.2019 के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराये गये हैं। उक्त पत्र में उल्लिखित मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश निम्नलिखित हैं :–

(i) Personal presence of Chief Secretaries of States of Punjab, Haryana and Uttar Pradesh day after tomorrow i.e. Wednesday, 06.11.2019.

(ii)Crop stubble burning must stop immediately and the States of Punjab, Haryana and Uttar Pradesh must fo everything to stop it.

(iii) All construction and demolition activities stopped in NCR- Rs 1 lakh fine on violators

(iv) No further power cust be made in Delhi, Punjab, Haryana and Uttar Pradesh till it further orders to stop use of diesel generators

(v)Rs. 5,000/- fine garbage burning in Delhi-NCR.

(vi) High Level meeting to be held to examine and consider further emergent steps and identify other industrial activity that can be stopped in view of the suffocating air pollution conditions in NCR.

2– राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्राधिकरणों (गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़–पिलखुवा, बुलन्दशहर–खुर्जा, बागपत–बड़ौत–खेकड़ा, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर विकास प्राधिकरण) द्वारा मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा दिये गये उक्त आदेशों का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या प्रत्येक दशा में दिनांक 05.11.2019 को अपरान्ह 03:00 बजे तक उपलब्ध करायी जाय।

3– शेष प्राधिकरणों द्वारा निर्माण गतिविधियों से उत्सर्जित धूल तथा वायु प्रदूषण होने के साथ–साथ विभिन्न स्तरों पर उक्त संबंध में प्रभावी रोकथाम हेतु कार्यवाही

Scanned by CamScanner

नितान्त आवश्यक है। शेष प्राधिकरणों द्वारा निम्नवत् बिन्दुओं पर प्रभावी कार्यवाही की जाय :–

(1) निर्माण सामग्री को निर्धारित स्थलों पर ढक कर रखा जाय तथा समुचित प्रकार से पानी का छिड़काव किया जाय।
(2) निर्माण सामग्री को लाने व ले जाने वाले वाहनों के टायरों/बॉडी की भली–भांति धुलाई की जाय तथा निर्माण सामग्री को ढक कर ले जाया जाय।
(3) निर्माण एवं ध्वस्तीकरण से जनित अपशिष्ट को निर्धारित स्थल तक ढक कर ले जाया जाय तथा सड़कों के किनारे अनियंत्रित रूप से एकत्रित न किया जाय।
(4) निर्माण एवं ध्वस्तीकरण से जनित अपशिष्ट को पुनः प्रयोग किये जाने हेतु स्थल निर्धारित करते हुए प्लान्ट स्थापित किया जाय।
(5) पेड़ों से झड़ने वाली पत्तियों व उद्यानों से जनित अपशिष्ट को जलाया न जाय अपितु निर्धारित स्थलों पर कम्पोस्ट पिट बनाकर निस्तारित किया जाय।
(7) प्राधिकरण स्तर द्वारा उक्त निर्देशों के उल्लंघन पर व्यक्तियों/संस्थाओं के विरूद्व नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाय।

4– उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इस संबंध में किसी भी लापरवाही को शासन द्वारा गंभीरता से लिया जायेगा।

भवदीया,

(अपूर्वा दुबे)
विशेष सचिव।

संख्या–1220(1)/आठ–3–19–23 विविध/2016–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि कृपया समस्त संबंधितों को तामील कराते हुए विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें तथा प्राधिकरणों से प्राप्त समेकित आख्या शासन को सम्यान्तर्गत उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अपूर्वा दुबे)
विशेष सचिव।

Scanned by CamScanner